INFRA & SERVICES

# 10वीं वार्षिक रिपोर्ट

## 2018-2019

# मिशन और विजन

''विशिष्टता प्राप्त अवसंरचना विकासकर्ता के रुप में पहचान बनाना तथा पर्यावरण, गुणवत्ता व सुरक्षा पर विशेष बल देते हुए अवसंरचना परियोजनाओं के सभी क्षेत्रों के लिए विख्यात सेवाप्रदाता के रुप में स्वयं को स्थापित करना''

INFRA & SERVICES




# विषय वस्तु


| विवरण | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| अध्यक्ष का संबोधन | 6 |
| निदेशक की रिपोर्ट | 11 |
| निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर गतिविधियों) पर रिपोर्ट | 23 |
| प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट | 25 |
| कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट | 30 |
| निगमित शासन पर प्रमाणपत्र | 41 |
| सचिवीय संपरीक्षा रिपोर्ट | 42 |
| फार्म एमजीटी–9 में वार्षिक रिर्टन का सार | 46 |
| फार्म एओसी–2 में संबंधित पक्षों के साथ संविदाओं या व्यवस्थाओं का विवरण | 52 |
| **वित्तीय विवरण 2018–19** | **53** |
| 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन आईएसएल की वित्तीय विशेषताएं | 55 |
| तुलन पत्र | 56 |
| लाभ एवं हानि विवरण | 57 |
| रोकड़ प्रवाह विवरण | 58 |
| इक्विटी में परिवर्तन का विवरण | 60 |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां – नोट सं. 1 एवं 2 | 62 |
| प्रकटनों सहित लेखों पर नोट – नोट सं. 3 से 61 | 78 |
| लेखापरीक्षक की रिपोर्ट | 119 |
| भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट | 131 |

# निदेशक मंडल

(अंशकालीन निदेशक)

**श्री एम.के. सिंह**
अध्यक्ष

**श्री सुरजीत दत्ता**
निदेशक

**श्री ए.के. गोयल**
निदेशक

**श्री पराग वर्मा**
निदेशक

# प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

**श्री आर.पी. सिंह**
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(1 फरवरी 2019 से)

**श्रीमती पूजा चौरसिया**
मुख्य वित्त अधिकारी
(25 जनवरी 2019 से)

**सुश्री मनीषा गोला**
कंपनी सचिव
(28 नवंबर 2018)

**सांविधिक लेखापरीक्षक**
कपूर गोयल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार
जी–1 पूजा अपार्टमेंट, 4ए, अंसारी रोड, दरियागंज–नई दिल्ली–110002

**सचिवीय संपरीक्षक**
के.के.सिंह एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव,
384पी, सेक्टर–40, गुड़गांव–122003

**मुख्य बैंकर**
इंडियन ओवरसीस बैंक
एचडीएफसी बैंक

# बहुउद्देशीय परिसर

ग्वालियर

जम्मू

सिलिगुड़ी

दीघा

हरिद्वार

इंदौर

बर्धमान

प्रयागराज

# अध्यक्ष का संबोधन

## गणमान्य शेयरधारकों,

आपकी कंपनी की 10वीं वार्षिक साधारण बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपार्ट तथा निदेशक की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तथा सचिवीय संपरीक्षकों की रिपोर्ट आपको परिपत्रित की गई है और मैं इस आशय की अनुमति हेतु अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ लिया गया होगा।

मैं आरंभ में, कंपनी के कार्यनिष्पादन का ब्यौरा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।

## वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, आपकी कंपनी ने 70.64 करोड़ रूपए का प्रचालनिक राजस्व रिकार्ड किया है, जो कि पिछले वर्ष की 32.36 करोड़ रूपए की प्रचालनिक आय से 118.26 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है और कंपनी ने पिछले वर्ष के 39.19 करोड़ रूपए की तुलना में इस वर्ष 76.42 करोड़ रूपए का कुल राजस्व अर्जित किया हैं। कंपनी ने 17.20 करोड़ रूपए का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है। कर पश्चात लाभ 14.03 करोड़ रूपए है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान संवर्धित टर्नओवर प्रमुख रूप से परामर्शदात्री परियोजनाओं, बहुउद्देशीय परिसरों को उपपट्टे पर देने और सीएसआर तथा स्वच्छ भारत अभियान परियोजनाओं के निष्पादन के कारण है। इसप्रकार, इन परियोजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान अर्जित राजस्व क्रमशः 47.68 करोड़ रूपए, 17.79 करोड़ रूपए तथा 3.75 करोड़ रूपए था, जबकि वर्ष 2017–18 के दौरान यह केवल क्रमशः 15.50 करोड़ रूपए, 14.83 करोड़ रूपए तथा 1.55 करोड़ रूपए था। इसलिए, वास्तविक दृष्टि में और पिछले वर्षों की तुलना में, प्रचालनों से राजस्व में वृद्धि हुई है।

## प्रचालनिक प्रोफाइल

आपकी कंपनी ने रेल मंत्रालय के लिए चौबीस चिह्नित रेलवे स्टेशन परिसरों पर बहुउद्देशीय परिसरों के विकास का कार्य किया था। इरकॉन आईएसएल, ने 23 बहुउद्देशीय परिसरों को तीसरे पक्षों को सफलतापूर्वक उपपट्टे पर दिया है। उपपट्टे पर दिए गए इन 23 बहुउद्देशीय परिसरों में से तारापीठ, राजगीर तथा थिरूवला में बहुउद्देशीय परिसरों को वित्तीय रूप से अलाभप्रद माना गया था और करारों की शर्तों के अनुसार इन्हें रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को वापस किया गया था। आपकी कंपनी ने पट्टा किराया और उपपट्टेदार द्वारा अन्य देय राशियों का भुगतान न करने के

कारण कन्नूर, रामपुरहाट और मैसूर में बहुउद्देशीय परिसरों के उपपट्टा करारों को समाप्त कर दिया है। रामपुरहाट में बहुउद्देशीय परिसरों को उपपट्टे पर देने की प्रक्रिया पुनःआरंभ की गई है, जबकि उपपट्टेदारों द्वारा संबंधित न्यायलयों के समक्ष कन्नूर और मैसूर में बहुउद्देशीय परिसरों के उपपट्टा करारों को समाप्त किए जाने के विरूद्ध याचिका दायर की गई है।

आपकी कंपनी दो प्रमुख परियोजनाओं में विदेश मंत्रालय को परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) प्रदान कर रही है।

पहली परियोजना, 1518 करोड़ रूपए की निर्माण लागत वाली म्यामार के चिन राज्य में किमी 0.00 से किमी 109.2 तक पलेटवा से भारत–म्यामार सीमा (ज़ोरिनपुई) तक राष्ट्रीय राजमार्ग विशिष्टताओं पर दो लेन वाली सड़क का निर्माण कार्य। इसके लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श करार पर दिनांक 09.03.2017 को हस्ताक्षर किए गए थे।

दूसरी परियोजना, 293.93 करोड़ रूपए की निर्माण लागत पर म्यामार में त्रिपक्षीय राजमार्ग के तमु–क्यिंगोने–कलेवा (टीकेके) पर पहुंच मार्ग सहित 69 पुलों का निर्माण कार्य। इसके लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श करार पर दिनांक 26.10.2017 को हस्ताक्षर किए गए थे।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने 419.96 करोड़ रूपए के कुल मूल्य पर चार परियोजनाएं प्राप्त की हैं, जिनमें से प्रमुख परियोजना लगभग 108.36 करोड़ रूपए की अनुमानित परियोजना लागत पर दिनांक 11.06.2018 को प्रदान की गई कॉनकॉर के लिए भावपुर, कानपुर (उत्तर प्रदेश) के मल्टी मॉडल लॉजेस्टिक पार्क की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करने की परियोजना है और लगभग 201 करोड़ रूपए की अनुमानित परियोजना लागत पर दिनांक 03.09.2018 को प्रदान की गई कॉनकॉर के लिए दहेज, गुजरात के मल्टी मॉडल लॉजेस्टिक पार्क की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करने की परियोजना है।

आपकी कंपनी ने 74.34 करोड़ रूपए की कुल परियोजना लागत पर दिनांक 24.01.2019 को प्रदान की गई राष्ट्रीय आपदा बचाव दल (एनडीआरएफ) अकादमी, नागपुर के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करने की परियोजना तथा 34.19 करोड़ रूपए की कुल परियोजना लागत पर दिनांक 26.07.2018 को प्रदान की गई राष्ट्रीय ताप उर्जा निगम (एनटीपीसी), उच्चाहर, उत्तर प्रदेश के स्टेज–1 की एमजीआर प्रणाली के लिए पीआसी स्लीपरों सहित सीएसटी–9 स्लीपरों के प्रतिस्थापन के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करने की परियोजना भी प्राप्त की है।

वर्ष के दौरान प्राप्त नई परियोजनाओं के अतिरिक्त, आपकी कंपनी भारत में छह परियोजनाओं के संबंध में परियोजना प्रबंधन परामर्श भी प्रदान कर रही है।

आपकी कंपनी दुघोला, पलवल, हरियाणा में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एसवीएसयू) की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श उपलब्ध करा रही है। इसके लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श करार पर दिनांक 22.01.2018 को हस्ताक्षर किए गए थे और परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 425 करोड़ रूपए है। यह कार्य दिनांक 18.10.2018 को आरंभ हुआ है और इसके समाप्त होने की समयसीमा जनवरी, 2020 है।

आपकी कंपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, तकनीकी भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली के नए अत्याधुनिक भवन के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी उपलब्ध करा रही है। इसके लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श करार पर दिनांक 10.11.2017 को हस्ताक्षर किए गए थे और परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 192 करोड़ रूपए है। यह कार्य दिनांक 31.08.2018 को आरंभ हुआ है और इसके समाप्त होने की समयसीमा सितंबर, 2021 है।

आपकी कंपनी भारतीय भू पोत प्राधिकरण (एलपीएआई) द्वारा 07 भू पोतों पर सुरक्षा कार्मिकों के लिए बैरिक एकोमोडेशन के निर्माण के लिए के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी उपलब्ध करा रही है, जिसकी कुल परियोजना लागत लगभग 197.64 करोड़ रूपए है।

आपकी कंपनी ने क्रमशः 66.88 करोड़ रूपए तथा 93 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर) द्वारा प्रदान की गई पारादीप (ओडीशा) में तथा कडकोला स्टेशन, मैसूर जिला, कर्नाटक के समीप मल्टी मॉडल लाजेस्टिक पार्क (एमएमएलपी) के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी प्रदान किया है।

आपकी कंपनी को नवोदय विद्यालय समिति (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय) के लिए जेएनवी, अगर माल्वा (मध्य प्रदेश) तथा सबरकनाथ (गुजरात) में दौ नवोदय विद्यालयों के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में भी नियुक्त किया गया है। दोनों परियोजनाओं के लिए दिनांक 14.09.2017 को करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे औरा इनकी अनुमानित परियोजना लागत क्रमशः 25.09 करोड़ रूपए तथा 18.06 करोड़ रूपए है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के समापन के पश्चात, आपकी कंपनी ने दिनांक 08.05.2019 को कॉनकॉर द्वारा प्रदान की गई एमएमएलपी पारादीप पोत, ओडीशा में मैसर्स इफको के लिए हैंडलिंग सुविधाओं के विकास हेतु विस्तृत इंजीनियरिंग एवं परियोजना पर्यवेक्षण हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्श की नई परियोजना प्राप्त की है। इस परियोजना की कुल लागत 98.50 करोड़ रूपए है।

## निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी अच्छे निगमित शासन तथा डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों तथा सभी अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियामों के अनुपालन और नैतिकता के अनुसार व्यवसाय का संचालन करते हुए पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वांछित ब्यौरे को प्रस्तुत करने वाले निगमित शासन का एक पृथक खंड निदेशक की रिपोर्ट का भाग है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के प्रति 14.60 लाख रूपए की राशि खर्च की है। सीएसआर पहलों का उद्देश्य संधारणीय रूप से व्यवसाय का संचालन करना, इसमें व्यापक रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, सेनिटेशन आदि क्षेत्रों की गतिविधियां शामिल हैं। वांछित ब्यौरे को प्रस्तुत करने वाले निगमित शासन का एक पृथक खंड निदेशक की रिपोर्ट का भाग है।

## आभारोक्ति

निदेशक मंडल और कंपनी की ओर से, मैं रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय तथा रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए), तथा इसके अतिरिक्त, अपनी धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा शेयरधारकों का, उनके निरंतर सहयोग तथा मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं कंपनी के कर्मचारियों के प्रयासों की भी सराहना करता हूं, जो हमारी सर्वाधिक मूल्यवान संपत्ति हैं। उनका समर्पण, विवेक, कड़ी मेहनत और मूल्यों की गहन भावना कंपनी को प्रगति की ओर अग्रसर करने की कुंजी है। अंत में, मैं अपने ग्राहकों, वेंडरों तथा साझेदारों को उनके विश्वास और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

ह/–
**(एम.के.सिंह)**
**(अध्यक्ष)**
**(डीआईए न 06607392)**

**स्थान : नई दिल्ली**
**दिनांक : 27-08-2019**

# निदेशक की रिपोर्ट

# निदेशक की रिपोर्ट

**इरकॉन आईएसएल के गणमान्य शेयरधारकों,**

आपकी कंपनी के निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी के कार्यकलापों की 10वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है।

## 1. वित्तीय निष्पादन / विशेषताएं

### क. वित्तीय निष्पादनः

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, आपकी कंपनी ने 70.64 करोड़ रूपए का प्रचालनिक राजस्व रिकार्ड किया है, जो कि पिछले वर्ष की 32.36 करोड़ रूपए की प्रचालनिक आय से 118.26 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। कुल प्रचालनिक आय में वृद्धि मुख्य रूप से परामर्शदात्री परियोजनाओं के निष्पादन के कारण हुई है।

कंपनी ने 17.20 करोड़ रूपए का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है। कर पश्चात लाभ 14.03 करोड़ रूपए है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए प्रति शेयर आमदनी पिछले वर्ष में 2.10 रूपए से बढ़कर इस वर्ष 2.16 रूपए हो गई है।

दिनांक 31 मार्च 2019 को कंपनी की निवल संपत्ति 142.38 करोड़ रूपए हो गई है।

### ख. वित्तीय विशेषताएं

वर्ष 2017–18 की तुलना में वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी की वित्तीय निष्पादन के कुछ महत्वपूर्ण संकेतक निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

| क्रम सं. | विवरण | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|---|
| 1. | प्राधिकृत शेयर पूंजी | 65.00 | 65.00 |
| 2. | अंशदायी तथा प्रदत्त शेयर पूंजी | 65.00 | 65.00 |
| 3. | आरक्षित निधि व अधिशेष | 77.38 | 63.35 |
| 4. | प्रगतिरत पूंजीगत कार्य | 2.23 | 2.17 |
| 5. | कुल राजस्व | 76.42 | 39.12 |
| 6. | प्रचालनों से राजस्व | 70.64 | 32.36 |
| 7. | कर पूर्व लाभ | 17.20 | 18.11 |
| 8. | कर पश्चात लाभ | 14.03 | 13.65 |
| 9. | निवल संपत्ति | 142.38 | 128.35 |
| 10. | प्रति शेयर आमदनी (रूपए) | 2.16 | 2.10 |

### ग. आरक्षित निधि में अंतरण

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आपकी कंपनी ने आरक्षित निधि में 14,02,58,840 रूपए अंतरित किए हैं।

## घ. विदेशी मुद्रा आमदनियां और निर्गम

वर्ष 2018–19 के दौरान विदेशी मुद्रा आमदनियां और आउटगो 31,52,097 रूपए है, जो इरकॉन की मलेशिया परियोजना और अल्जीरिया परियोजना के लिए श्रमशक्ति आपूर्ति तथा म्यामार में परियोजना प्रबंधन परामर्श परियोजनाओं के कारण है। यह आंकड़ा ऋणात्मक है क्योंकि म्यामान परियोजना में व्यय स्थानीय मुद्रा (क्यात्स) में किया गया है, तथापि, ग्राहक यथा विदेश मंत्रालय (एमईए) से मुद्रा भारतीय रूपए (आईएनआर) में प्राप्त हुई है।

## ड. लाभांशः

कंपनी के संसाधनों के संरक्षण और कंपनी के विकास के लिए लाभों को प्राप्त करने हेतु, निदेशक मंडल दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर किसी प्रकार के लाभांश की सिफारिश नहीं करता है।

## च. शेयर पूंजीः

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 65 करोड़ रूपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी तथा 65 करोड़ रूपए की प्रदत्त शेयर पूंजी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है, जिसका 100 प्रतिशत इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा धारित है।

## 2. प्रचालन निष्पादन

क. आपकी कंपनी ने 23 स्टेशनों पर 24 बहुउद्देशीय परिसरों की स्थापना की है और ये स्टेशन हैं एल्लेप्पी, बर्धमान, दिघा, हरिद्वार, इंदौर, रामपुरहाट, रायपुर, सिलिगुड़ी, मदुरै, मैसूर, उदयपुर, इलाहबाद, बिलासपुर, ग्वालियर, हैदराबाद, हुबली, जबलपुर, जोधपुर, कन्नूर, राजगीर, तारापीठ, तिरुवल्ला, जम्मू (बजट होटल सहित एमएफसी) तथा जम्मू एएफसी (छोटा)।

इरकॉन आईएसएल ने इन 23 बहुउद्देशीय परिसरों को सफलतापूर्वक तीसरे पक्षों को उपपट्टे पर दे दिया है। उपपट्टे पर दिए गए इन 23 बहुउद्देशीय परिसरों में से तारापीठ, राजगीर तथा थिरूपला में बहुउद्देशीय परिसरों को वित्तीय रूप से अलाभप्रद माना गया था और करारों की शर्तों के अनुसार इन्हें रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को वापस किया गया था। आपकी कंपनी ने पट्टा किरया और उपपट्टेदार द्वारा अन्य देय राशियों का भुगतान न करने के कारण कन्नूर, रामपुरहाट और मैसूर में बहुउद्देशीय परिसरों उपपट्टा करारों को समाप्त कर दिया है। रामपुरहाट में बहुउद्देशीय परिसरों को उपपट्टे पर देने की प्रक्रिया पुनःआरंभ की गई है, जबकि उपपट्टेदारों द्वारा संबंधित न्यायलयों के समक्ष कन्नूर और मैसूर में बहुउद्देशीय परिसरों के उपपट्टा करारों को समाप्त किए जाने के विरूद्ध याचिका दायर की गई है।

## ख. चालू विदेशी परियोजनाएं –

आपकी कंपनी ने म्यामार में निम्नलिखित दो परियोजनाओं को निष्पादित किया है:

क. इरकॉन आईएसएल 1518 करोड़ रूपए की निर्माण लागत वाली म्यामार के चिन राज्य में किमी 0.00 से किमी 109.2 तक पलेटवा से भारत–म्यामार सीमा (ज़ोरिनपुई) तक राष्ट्रीय राजमार्ग विशिष्टताओं पर दो लेन वाली सड़क के निर्माण कार्य के लिए विदेश मंत्रालय को परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) प्रदान कर रही है।

**कैम्प–1 किमी 0 + 000 पर स्टोन क्रशर का संस्थापन (म्यामार के चिन राज्य में किमी 0.00 से किमी 109.2 तक पलेटवा से भारत–म्यामार सीमा (ज़ोरिनपुई) तक राष्ट्रीय राजमार्ग विशिष्टताओं पर दो लेन वाली सड़क को निर्माण कार्य)**

इसके कार्य के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श करार पर दिनांक 09.03.2017 को हस्ताक्षर किए गए थे। इंजीनियरिंग, प्रापण एवं निर्माण (ईपीसी) संविदा मैसर्स सी एंड सी जेवी (मैसर्स सी एंड सी कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड और मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का संयुक्त उद्यम) को प्रदान किया गया था और दिनांक 31.03.2017 को ईपीसी पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह कार्य दिनांक 31.05.2017 को आरंभ किया गया और इसके 30.05.2020 तक पूरा होने का कार्यक्रम है। यह परियोजना दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में स्थिति है और ईपीसी संविदाकार की ओर से संसाधन जुटाने, डिजाइनों को प्रस्तुत करने में विलंब और निधियों की कमी हो रही है। स्थानीय समूहों और म्यामार सेना के बीच झड़पों के कारण भी बीच में कार्य बाधित हुआ है, जो कि दिनांक 01.01.2010 को बढ गया। मार्च, 2019 को इस कार्य की भौतिक प्रगति 2.20 प्रतिशत है।

ख. इरकॉन आईएसएल, 293.93 करोड़ रूपए की निर्माण लागत पर म्यामार में त्रिपक्षीय राजमार्ग के तमु–क्यिंगोने–कलेवा (टीकेके) पर पहुंच मार्ग सहित 69 पुलों के निर्माण के लिए कार्य विदेश मंत्रालय को परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) प्रदान कर रही है।

इसके कार्य के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श करार पर दिनांक 26.10.2017 को हस्ताक्षर किए गए थे और इंजीनियरिंग, प्रापण एवं निर्माण (ईपीसी) संविदा मैसर्स एनसीएसएल–एमटीडीसीएल जेवी (मैसर्स नीरज सीमेंट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड और मैसर्स मनिपुर आदिवासी विकास निगम लिमिटेड का संयुक्त उद्यम) को प्रदान किया गया था और दिनांक 08.11.2017 को ईपीसी पर हस्ताक्षर किए गए थे। कार्य 28.11.2017 को आरंभ हुआ और इसके 27.11.2020 को पूरा होने की समयसीमा निर्धारित की गई है।

कार्य के 13 महीनों में कार्य की प्रगति शून्य होने के कारण और ईपीसी ठेकेदार द्वारा अन्य चूकों के कारण, विदेश मंत्रालय ने दिनांक 24.12.2018 को ईपीसी संविदा समाप्त कर दिया है। ठेकेदार ने दिनांक 29.12.2018 को माननीय मणिपुर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसे 29.03.2019 को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गा है। इरकॉन द्वारा विदेश मंत्रालय के साथ कार्य के पुनःनिविदा एवं निष्पादन की कार्यविधि को अंतिम रूप दिया जा रहा हैं। इसी बीच, ईपीसी ठेकेदार ने दिनांक 29.03.2019 के उच्च न्यायालय को चुनौती देते हुए मणिपुर उच्च न्यायालय की डिविजन बैंच में रिट याचिका दायर की है।

## ग. भारत में चालू परियोजनाएं

आपकी कंपनी ने निम्नलिखित छह भारतीय परियोजनाओं को निष्पादित किया है:–

(क) आपकी कंपनी दुघोला, पलवल, हरियाणा में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एसवीएसयू) की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श उपलब्ध करा रही है। इसके लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श करार पर दिनांक 22.01.2018 को हस्ताक्षर किए गए थे और परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 425 करोड़ रूपए (पीएमसी शुल्कों सहित) है। मार्च 2019 को कार्य की भौतिक प्रगति 11.8 प्रतिशत है। यह कार्य दिनांक 18.10.2018 को आरंभ हुआ है और इसके समाप्त होने की समयसीमा जनवरी, 2020 है।

**श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, दुघोला, पलवल**

**श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय – निर्माण स्थल**

(ख) आपकी कंपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, तकनीकी भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली के नए अत्याधुनिक भवन के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी उपलब्ध करा रही है। इसके लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श करार

पर दिनांक 10.11.2017 को हस्ताक्षर किए गए थे और परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 192 करोड़ रूपए (पीएमसी शुल्कों सहित) है। मार्च 2019 को कार्य की भौतिक प्रगति 9 प्रतिशत है। यह कार्य दिनांक 31.08.2018 को आरंभ हुआ है और इसके समाप्त होने की समयसीमा सितंबर, 2021 है

डीएसटी के नए अत्याधुनिक भवन का मॉडल

निर्माण स्थल

(ग) आपकी कंपनी भारतीय भू पोत प्राधिकरण (एलपीएआई) द्वारा 07 भू पोतों पर सुरक्षा कार्मिकों के लिए बैरिक एकोमोडेशन के निर्माण के लिए के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी उपलब्ध करा रही है, यथा 1. अटारी–पंजाबी, 2. अगरतला–त्रिपुरा, 3. रक्सौल–बिहार 4. जोगबनी–बिहार 5. पेट्रापोल–पश्चिम बंगाल, 6. दवकी–मेघालय तथा 7. मोरेह–मणिपुर, जिसकी कुल परियोजना लागत लगभग 197.64 करोड़ रूपए (पीएमसी शुल्कों सहित) है। अटारी–पंजाब में कार्य दिनांक 12.11.2018 को आरंभ हुआ। अटारी–पंजाब में मार्च 2019 तक भौतिक कार्य की प्रगति 8 प्रतिशत है और परियोजना के समापन की अनुसूची मार्च 2020 है। अन्य तीन स्थलों अगरतला–त्रिपुरा, जोगबनी–बिहार तथा दवकी–मेघालय में कार्य को मोबिलाइज किया गया है और अगस्त, 2020 तक कार्य के पूरा होने का कार्यक्रम है। मोहा स्थल के लिए वित्तीय बोली खोली गई है और पेट्रापोल–पश्चिम बंगाल स्थलों के लिए तकनीकी बोली मूल्यांकन का कार्य प्रगति पर है।।

निर्माण स्थल, एलपीएआई परियोजना–अटारी, पंजाब

निर्माण स्थल, एलपीएआई परियोजना–जोगबनी, बिहार

(घ) आपकी कंपनी ने कडकोला स्टेशन, मैसूर जिला, कर्नाटक के समीप मल्टी मॉडल लाजेस्टिक पार्क (एमएमएलपी) के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी प्रदान किया है। इसके करार पर दिनांक 20.01.2017 को हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 93 करोड़ रूपए है। यह कार्य दिनांक 27.08.2018 को आरंभ किया गया है। तथापि, स्थानीय ग्रामवासियों के साथ भूमि संबंधी मुद्दे के कारण किया यह कार्य दिनांक 31.08.2018 को बंद हो गया था, जिसका समाधान कॉनकॉर द्वारा किया जा रहा है।

(ड.) आपकी कंपनी ने पारादीप (ओडीशा) में भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर) द्वारा प्रदान किए गए मल्टी मॉडल लाजेस्टिक पार्क (एमएमएलपी) के निर्माण कार्य के लिए दिनांक 25.10.2017 को परियोजना प्रबंधन परामर्श

भी प्रदान किया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 66.88 करोड़ रूपए है। मार्च 2019 को इस कार्य की भौतिक प्रगति 11 प्रतिशत है। यह कार्य दिनांक 26.10.218 को आरंभ किया गया और इसके समाप्त होने की अनुसूची नवंबर, 2020 है।

**निर्माण स्थल, कॉनकॉर, पारादीप, ओडीशा**

(छ) आपकी कंपनी को नवोदय विद्यालय समिति (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय) के लिए जेएनवी, अगर माल्वा (मध्य प्रदेश) तथा साबरकंठ (गुजरात) में दौ नवोदय विद्यालयों के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में भी नियुक्त किया गया है। दोनों परियोजनाओं के लिए दिनांक 14.09. 2017 को करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस परियोजना की अनुमानित परियोजना लागत क्रमशः 25.09 करोड़ रूपए तथा 290.09 करोड़ रूपए (पीएमसी शुल्कों सहित) है। साबरकंठा परियोजना के तकनीकी मूल्यांकन का कार्य प्रगति पर है और अगरमाल्वा परियोजना की तकनीकी बोली खोलने की तिथि 21.05.2019 है।

## घ. भारत में नई परियोजनाएं

वर्ष 2018–19 के दौरान इरकॉन आईएसएल, ने चार नई परियोजना प्रबंधन परामर्श परियोजनाएं प्राप्त की हैं यथा :

(क) लगभग 108.36 करोड़ रूपए की अनुमानित परियोजना लागत पर दिनांक 11.06.2018 को प्रदान की गई कॉनकॉर के लिए भावपुर, कानपुर (उत्तर प्रदेश) के मल्टी मॉडल लॉजेस्टिक पार्क की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करने की परियोजना। कॉनकॉर के भूमि अधिग्रहण मुद्दे के कारण कार्य आरंभ नहीं किया जा सका है।

(ख) लगभग 201 करोड़ रूपए की अनुमानित परियोजना लागत पर दिनांक 03.09.2018 को प्रदान की गई कॉनकॉर के लिए दहेज, गुजरात के मल्टी मॉडल लॉजेस्टिक पार्क की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करने की परियोजना है। दिनांक 28.03.2019 को कार्य आरंभ हो गया है।

(ग) 36.26 करोड़ रूपए की कुल परियोजना लागत पर दिनांक 26.07.2018 को प्रदान की गई राष्ट्रीय ताप उर्जा निगम (एनटीपीसी), उच्चाहर, उत्तर प्रदेश के स्टेज–1 की एमजीआर प्रणाली के लिए पीआसी स्लीपरों सहित सीएसटी–9 स्लीपरों के प्रतिस्थापन के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करने की परियोजना है। निविदा प्रक्रिया आरंभ की गई और तकनीकी बोली 10.05.2019 को खोली गई।

(घ) 74.34 करोड़ रूपए की कुल परियोजना लागत पर दिनांक 24.01.2019 को प्रदान की गई राष्ट्रीय आपदा बचाव दल (एनडीआरएफ) अकादमी, नागपुर के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करने की परियोजना है। आर्किटेक्ट के चयन के लिए निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के समापन के पश्चात, आपकी कंपनी ने दिनांक 08.05.2019 को कॉनकॉर द्वारा प्रदान की गई एमएमएलपी पारादीप पोत, ओडीशा में मैसर्स इफको के लिए हैंडलिंग सुविधाओं के विकास हेतु विस्तृत इंजीनियरिंग एवं परियोजना पर्यवेक्षण हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्श की नई परियोजना प्राप्त की है। इस परियोजना की कुल लागत 98.50 करोड़ रूपए है।

(ड.) इरकॉन आईएसएल इरकॉन की मलेशिया परियोजना के लिए ''श्रमशक्ति आपूर्ति'' का कार्य भी कर रही है। दिनांक 31 मार्च 2019 को मलेशिया में कंपनी के तीन कर्मचारी कार्यरत हैं। इरकॉन आईएसएल अल्जीरिया में इरकॉन की परियोजना के लिए भी श्रमशक्ति आपूर्ति का कार्य कर रही है और कंपनी ने इरकॉन की अल्जीरिया परियोजना में एक कर्मचारी को तैनात किया है।

(च) आपकी कंपनी इरकॉन की विभिन्न परियोजनाओं के लिए उसे ''मशीनरी पट्टे पर देने'' का कार्य भी कर रही है। पूर्व में, इरकॉन की श्रीलंका परियोजना के लिए डियोमेटिक मशीन उपलब्ध कराई गई थी, जिसे दिनांक 30.06.2017 को भारत वापस लाया गया था। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान उक्त मशीन को 9 महीनों यथा मई 2018 से जनवरी 2019 की अवधि के लिए जयसनगर बारबीडोस रेल परियोजना में प्रयुक्त किया गया था और फरवरी 2019 में इस मशीन को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की छत्तीसगढ ईस्ट रेल लिमिटेड (सीईआरएल) परियोजना के लिए प्रयुक्त किया गया था।

इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी के पास तीन ओल्ड–ट्रैक मशीने उपलब्ध हैं, जिन्हें पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे (डब्ल्यूसीआर) के लिए खरीदा गया है और यह वलसाड (गुजरात) में रखी गई है। मशीनों को किसी परियोजना के लगाए जाने से पूर्व रीकंडीशन किया जाता है।

डुमैटिक मशीन

## 3. अनुपालन

### क. राष्ट्रपति के निदेश

दिनांक 1 जनवरी 2017 से इरकॉन आईएसएल के बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के लिए वेतन संशोधन के क्रियान्वयन के लिए दिनांक 24 नवंबर 2017 के पत्र के तहत रेलवे बोर्ड से एक राष्ट्रपति का निदेश प्राप्त हुआ था।

### ख. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

पारदर्शिता में संवर्धन एवं संवर्धित जवाबदेही के लिए, कंपनी में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन के लिए तंत्र विद्यमान है। सूचना का अधिकार अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी के अपील प्राधिकारी, केन्द्रीय जन–सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) तथा सहायक जन–सूचना अधिकारी (एपीआईओ) के नामों सहित आवश्यक अद्यतन सूचना इरकॉन आईएसएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्राप्त शिकायतों का उत्तर निर्धारित समय–सीमा के भीतर दिया जाता है।

वर्ष के दौरान कंपनी को केवल बारह (12) शिकायत प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 07 की प्रक्रिया/निपटान किया गया है और शेष को उन संबंधित प्राधिकारियों के पास भेज दिया गया है, जिनसे वे शिकायतें संबंधित हैं।

### ग. समझौता ज्ञापन

दिनांक 22 अप्रैल 2019 को आयोजित अंतर मंत्रालयी समिति बैठक में वर्ष 2019–20 के लिए आपकी कंपनी को धारक

कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट प्रदान की गई है, क्योंकि कंपनी की वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए प्रचालन से राजस्व से वार्षिक टर्नओवर 32.26 करोड़ रूपए है, जो कि बहुत कम है।

## 4. निदेशक मंडल तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

श्री हितेश खन्ना (डिन 02789681) तथा श्री ए.के. गुप्ता (डिन 07263307) द्वारा क्रमशः दिनांक 28.03.2018 तथा 25.01.2018 को कंपनी के निदेशक पद से कार्यमुक्त होने पर वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान निम्नलिखित निदेशकों की नियुक्ति की गई है:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री पराग वर्मा (डीआईएन 05272169) | 05.04.2018 से आगे |
| 2. | श्री एम.के.सिंह (डीआईएन 06607392) | 10.04.2018 से आगे |

### इस रिपोर्ट की तिथि को को निम्न निदेशक कार्यरत हैं :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री ए.के.गोयल (डीआईएन 05308809) | 01.12.2013 से आगे |
| 2. | श्री सुरजीत दत्ता (डीआईएन 06687032) | 01.09.2013 से आगे |
| 3. | श्री पराग वर्मा (डीआईएन 05272169) | 05.04.2018 से आगे |
| 4. | श्री एम.के.सिंह (डीआईएन 06607392) | 10.04.2018 से आगे |

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 203 के प्रावधानों, जो 1 अप्रैल, 2014 को प्रभावी हुए हैं, के अनुसरण में कंपनी के तीन प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्तियां की गईं थीं।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान नियुक्त और इस रिपोर्ट की तारीख को पद धारित करने वाले प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री राणा प्रताप सिंह | मुख्य कार्यपालक अधिकारी | 01.02.2019 से आगे |
| 2. | सुश्री पूजा चौरसिया | मुख्य वित्त अधिकारी | 25.01.2019 से आगे |
| 3. | सुश्री मनीष गोला | कंपनी सचिव | 28.11.2018 से आगे |

### वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कार्यमुक्त होने वाले प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री सी.के.नायर (मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में) | 30.01.2019 से आगे |
| 2. | श्री अंकित खेत्रपाल (मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में) | 25.01.2019 से आगे |
| 3. | सुश्री दीपशिखा गुप्ता (कंपनी सचिव) | 31.05.2018 से आगे |

## 5. बोर्ड समितियां

कंपनी में निम्नलिखित बोर्ड समितियां विद्यमान हैं:

1. लेखापरीक्षा समिति
2. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति
3. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

लेखापरीक्षा समिति, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना से संबंधित ब्यौरे को निगमित शासन रिपोर्ट में शामिल किया गया है, जो इस रिपोर्ट का भाग है और यह **अनुबंध–ग** पर संलग्न है।

## 6. निदेशक मंडल और लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

दिनांक 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के दौरान निदेशक मंडल और लेखापरीक्षा समिति की पांच बैठकों का आयोजन

किया गया था, जिनमें एक बैठक जून 2018 को समाप्त तिमाही में, एक बैठक सितंबर 2018 को समाप्त तिमाही में, एक बैठक दिसंबर 2018 को समाप्त तिमाही में तथा दो बैठकें मार्च 2019 को समाप्त तिमाही में आयोजित की गई थी।

निदेशक मंडल तथा लेखापरीक्षा समिति और अन्य बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकों का ब्यौरा निगमित शासन रिपोर्ट में **अनुबंध–ग** के रूप में उपलब्ध कराया गया है।

## 7. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और जोखिम प्रबंधन

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा जोखिम प्रबंधन का ब्यौरा प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट में उपलब्ध कराया गया है।

## 8. कार्मिक विकास

वर्ष के दौरान कंपनी में मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध विद्यमान रहा। दिनांक 31 मार्च, 2019 को कंपनी की कुल श्रमशक्ति संख्या 78 कर्मचारी हैं जिसमें इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की मलेशिया परियोजना के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त 3 ठेके के कर्मचारी तथा अल्जीरिया परियोजना के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त 01 ठेके के कर्मचारी शामिल हैं।

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के कार्मिक विकास से संबंधित मुद्दों पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा धारक कंपनी के रुप में कार्रवाई की जा रही है।

जिन कर्मचारियों की नियुक्त कंपनी द्वारा की गई है और जिन्हें ठेके पर इरकॉन की मलेशिया परियोजना अल्जीरिया परियोजना में तैनात किया गया है, उनकी व्यवस्था कंपनी कर रही है।

## 9. सूचना प्रौद्योगिकी

कंपनी की अपनी वेबसाइट **http://www.irconisl.com** उपलब्ध है जिसमें कंपनी का प्रोफाइल, परियोजनाएं, वार्षिक रिपोर्टें, निविदाएं, सम्पर्क ब्यौरा आदि उपलब्ध कराया गया है। वर्ष के दौरान नए निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति, परियोजनाओं, वार्षिक रिपोर्टों, निविदाओं, संविदाओं, आरटीआई, संपर्क ब्यौरा आदि को अद्यतन किया गया था। यह वेबसाइट धारक कंपनी की वेबसाइट **www.ircon.org** के साथ भी लिंक है।

## 10. प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन, ऊर्जा संरक्षण, अनुसंधान एवं विकास आदि

पर्यावरण पर समान तीव्रता के साथ बल दिया जा रहा है। वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को बहुउद्देशीय परिसरों में ग्रीन बिल्डिंग के व्यवहारिक तत्वों को शामिल करके पूरा किया गया था।

## 11. अन्य प्रकटन

### क. ऋणों, गारंटियों या निवेशों का विवरणः

वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई ऋण नहीं लिया है। कंपनी द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया है और कोई ऋण या गारंटी प्रदान नहीं की गई है।

### ख. निदेशकों और कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर प्रकटनः

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 197 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि वह निदेशक की रिपोर्ट में निदेशकों के पारिश्रमिक आदि के ब्यौरे को प्रकट करे। तथापि, निगमित कार्य मंत्रालय, द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना सं.जीएसआर 463(ई) के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 197 के प्रावधानों के अनुपालन से छूट प्राप्त है। चूंकि इरकॉन आईएसएल एक सरकारी कंपनी है, इसलिए इस प्रकार के विवरणों को निदेशक की रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

**ग. बोर्ड बैठकों और सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों का अनुपालनः**

वर्ष के दौरान, कंपनी सामान्य रूप से भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी बोर्ड की बैठकों पर सचिवीय मानकों (एसएस–1) तथा सामान्य बैठकें (एसएस–2) का अनुपालन करती है, केवल उन स्थितियों को छोड़कर जहां अन्यथा सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया हो।

**घ. जमा राशियां**

वर्ष के आरंभ में आपकी कंपनी के पास कोई जन जमा राशियां धारित नहीं है ना ही वर्ष के दौरान जनता से किसी प्रकार की जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

**ड. कंपनी की वर्तमान स्थिति और कंपनी के भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालय या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण तथ्यात्मक आदेशः**

कंपनी की वर्तमान स्थिति और कंपनी के भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालय या अधिकरणों द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किए गए हैं।

**च. वित्तीय वर्ष के अंत तथा रिपोर्टिंग की तिथि के बीच वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले तथ्यात्मक परिवर्तन और टिप्पणियांः**

वित्तीय वर्ष 2018–19 को समाप्त वर्ष के मध्यम में तथा इस रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई तथ्यात्मक परिवर्तन और टिप्पणियां नहीं हैं।

**छ. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तनः**

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

**ज. लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में अर्हता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणियांः**

वर्ष 2018–19 के लिए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई अर्हता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं हैं।

**झ. कंपनी द्वारा अनुसरण किए गए लेखांकन मानक**

दिनांक 31 मार्च 2018 को तथा इस तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण को कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 133 अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के लागू प्रावधानों तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम 2016 के अनुसार तैयार किया गया है।

## 12. एकीकृत रिपोर्ट

निम्नलिखित रिपोर्टें/अभिलेख तथा संगत अनुबंध इस रिपोर्ट के एकीकृत भाग हैं, और इन्हें यहां परिशिष्ट पर प्रस्तुत किया गया हैः

**क. सीएसआर गतिविधिय रिपोर्ट**

''सीएसआर गतिविधिय रिपोर्ट'' कंपनी की सीएसआर नीतियों, सीएसआर समिति की संरचना, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी का औसत शुद्ध लाभ, सीएसआर बजट, निर्धारित सीएसआर व्यय, तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान निष्पादित गतिविधियों/परियोजनाओं पर किए गए सीएसआर व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करती है। **(अनुबंध–क)**

**ख. प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट**

प्रबंधन विचार–विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट कम्पनी के कार्यों, व्यावसायिक वातावरण, मिशन और उद्देश्यों, क्षेत्रीय

तथा सगमेंटवार प्रचालनिक निष्पादन, शक्तियों, जोखिमों तथा चिंताओं और मानव संसाधन तथा आंतरित नियंत्रण प्रणाली ब्यौरा उपलब्ध कराया गया है। **(अनुबंध–ख)**

### ग. कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट, निगमित शासन पर कंपनी के दर्शन, निदेशक मंडल तथा इसकी समितियों की संरचना और उनका ब्यौरा, साधारण बैठकों का ब्यौरा और अन्य संगत प्रकटन, आदि उपलब्ध कराती है **(अनुबंध–ग)**। इसमें निम्नलिखित अनुपालन प्रमाणपत्र भी शामिल होते हैं:

(क) वित्तीय विवरणों, देय अनुपालनों व वित्तीय रिपोर्टिंग की सत्यता तथा विश्वसनियता, के संबंध में सीईओ तथा सीएफओ से प्रमाण पत्र (**अनुबंध–ग1** पर प्रस्तुत);

(ख) वर्ष 2018–19 के दौरान सभी मंडल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा आचार संहिता तथा प्रमुख मूल्यों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र (अनुबंध–ग2 पर प्रस्तुत);

(ग) पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित निगमित शासन के अनुपालन का प्रमाणपत्र (अनुबंध–ग3 पर प्रस्तुत)।

### घ. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 204 तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी की सचिवीय संपरीक्षा के लिए मैसर्स के.के. सिंह एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव को नियुक्त किया है। लेखापरीक्षा से प्राप्त फार्म सं. एमआर–3 में सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट **अनुबंध–घ** पर संलग्न है। सचिवीय लेखापरीक्षक ने यह भी अवलोकन किया था कि धारक कंपनी द्वारा नामांकन आधार पर नए निदेशकों की नियुक्ति के कारण दो निदेशकों के त्यागपत्र देने की वजह से आठ दिनों की अवधि के लिए बोर्ड में निदेशकों की संख्या न्यूनतम अपेक्षित संख्या से कम हो गई थी। यह भी अवलोकन किया गया था कि डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के रूप में इसके बोर्ड में एक–तिहाई निदेशक होने चाहिए। तथापि, यह उल्लेख किया गया है कि पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के लिए दिनांक 05.07.2017 के एमसीए अधिसूचना के तहत छूट प्रदान की गई है और दिनांक 16 जनवरी 2019 के कार्यालय ज्ञापन फाइल सं. 18(7)/2013–जीएम के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग यदि चाहे तो सीपीएसई में सहायक कंपनी के बोर्ड में गैर–सरकारी निदेशकों की नियुक्ति कर सकता है। इसके अतिरिक्त, यह भी अवलोकन किया गया है कि कंपनी के सभी निदेशक गैर–कार्यपालक हैं और डीपीई निशानिर्देशों, 2010 के अनुसार इनकी संख्या अधिकतम दो निदेशकों तक सीमित होनी चाहिए। इस विषय पर, निदेशकों ने उल्लेख किया है कि इरकॉन (धारक कंपनी) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण, इसके बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति धारक कंपनी द्वारा की गई है।

### ड. वार्षिक रिटर्न का सार

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियसम 12(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 92(3) और खंड 134(3)(क) के अनुसरण में है, फार्म एमजीटी–9 में वार्षिक रिटर्न का सार निदेशक मंडल की रिपोर्ट के भाग के रूप में अनुबंध–ड. पर उपलब्ध है।

### च. खंड–188 के अंतर्गत संबंधित पक्षों के साथ संविदाओं और व्यवस्थाओं का विवरण

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों को या तो व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के रूप में या आर्म लैंथ आधार पर निष्पादित किया गया है।

कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 188(1) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में संबंधित पक्षों के साथ संविदाओं और व्यवस्थाओं का ब्यौरा **फार्म एओसी–2** के रूप में **अनुबंध–च** पर संलग्न है।

## 13. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 134(5) के अनुसार, कम्पनी का निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि:–

i. वित्तीय लेखे तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है और इनमें कोई विशेष विचलन नहीं हुआ है बशर्ते वार्षिक वित्तीय लेखों में अन्यथा उल्लेख किया गया हो ।

ii. ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया था और उन्हें निरन्तर लागू किया गया था और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए तथा वर्ष 2018–19 के कम्पनी के लाभ के लिए कम्पनी की कार्य स्थिति का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत हो सके ।

iii. परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा छलकपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रख–रखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है ।

iv. दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को ''गोइंग कंसर्न'' आधार पर तैयार किया गया है।

v. सभी लागू नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गईं थीं और ऐसी प्रणालियां उपयुक्त थीं और कुशलतापूर्वक कार्य कर रहीं थीं।

## 14. लेखापरीक्षक

### क. सांविधिक लेखापरीक्षक

वर्ष 2018–19 के लिए कम्पनी के लेखों की लेखापरीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षक के रूप में कपूर गोयल एंड कंपनी, सनदी लेखाकारों की नियुक्ति की गई थी।

### ख. सचिवीय लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए कम्पनी की सचिवीय लेखापरीक्षा के लिए मैसर्स के.के.सिंह एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव को नियुक्त किया गया है।

### ग. आंतरिक लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए कम्पनी की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स राहुल जैन एंड एसोसिएट्स, लागत एवं प्रबंधन लेखाकारों को नियुक्त किया गया है।

## 15. एमएसई अनुपापलन

इरकॉन आईएसएल का सदैव यह प्रयास रहा है कि वह सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों (एमएसई) तथा स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को सहयोग प्रदान करे। इरकॉन आईएसएल ने एमएसई से विनिर्दिष्ट मदों के प्रापण के लिए भारत सरकार सार्वजनिक प्रापण नीति के क्रियान्वयन के लिए अनेक कदम उठाए हैं। वर्ष के दौरान कंपनी के 30 लाख रूपए के कुल प्रापण लक्ष्य की तुलना में एमएसई से प्रापण 4.96 करोड़ रूपए था।

## 16. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण (निवारण, निषेध एवं प्रतितोप) अधिनियम के अनुपालन की नीति

कंपनी में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति विद्यमान और कंपनी ने कार्यस्थल पर

महिलाओं के यौन शोषण (निवारण, निषेध एवं प्रतितोप) अधिनियम, 2013 तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों की तर्ज पर कार्यस्थल में महिलाओं के यौन शोषण के निवारण, निषेध एवं प्रतितोप की नीति विचाराधीन है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जहां, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण (निवारण, निषेध एवं प्रतितोप) अधिनियम, 2013 के खंड 22 के अनुसरण में यौन शोषण संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई हो। इसके अतिरिक्त, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण (निवारण, निषेध एवं प्रतितोप) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति के गठन का कार्य विचाराधीन है।

## आभारोक्ति

हम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, धारक कंपनी तथा रेल मंत्रालय, रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए), विदेश मंत्रालय तथा विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय तथा हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और अन्य मंत्रालयों और ग्राहकों का कंपनी के प्रति उनकी निरंतर रूचि और सहयोग के लिए प्रशंसा एवं धन्यवाद करते हैं।

हम कंपनी के सभी स्तरों के कर्मचारियों का कंपनी के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए उनके अथक प्रयासों, समर्पण और सत्यनिष्ठा के लिए आभार प्रकट करते हैं।

**निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से**

ह/–
**(एम.के.सिंह)**
**अध्यक्ष**
**(डीआईएन 06607392)**

**स्थान : नई दिल्ली**
**दिनांक : 21.05.2019**

परिशिष्ट–क

# निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर रिपोर्ट

(कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अनुसरण में)

1. **कंपनी द्वारा निष्पादित परियोजनाओं और कार्यक्रमों और इसके वेब–लिंक के परिदृश्य सहित कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा:**

   आपकी कंपनी आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय रूप से धारणीय विधि द्वारा व्यवसाय करने, जो पारदर्शी और नैतिक है, के लिए अपने स्टेकधारकों के प्रति प्रतिबद्ध है।

   कंपनी अधिनियम 2013 (अनुच्छेद–135) तथा सीएसआर के लिए डीपीई के संगत दिशानिर्देशों के अनुसार, आपकी कंपनी ने वर्ष 2014 में अपनी सीएसआर और धारणीयता नीति का निर्माण किया है, जिसका उद्देश्य अपने सामाजिक प्रभाव के माध्यम से सभी पहलुओं में समाज के सशक्तिकरण के लिए गुणवत्तापूर्ण सामाजिक परिवर्तनों को सक्रीय बनाना है। सीएसआर नीति का उद्देश्य शिक्षा, साक्षरता तथा पर्यावरणीय संधारणीयता और स्वास्य जैसे विकास क्षेत्रों पर कार्य करना है, जैसा की निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है और यह कंपनी की वेबसाइट **http://www.irconisl.com.** पर उपलब्ध है।

   सीएसआर नीति का उद्देश्य इरकॉन आईएसएल के प्रमुख व्यवसाय में संभावित सीएसआर गतिविधियों की संगतता को स्थापित करना है और कंपनी अधिरियम, 2013 की अनुसूची VII (की तर्ज पर दिल्ली तथा एनसीआर क्षेत्र में तथा इसके आसपास के क्षेत्र में निष्पादित की जाने वाली गतिविधियों के समीक्षा करना है।

   वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, इरकॉन आईएसएल ने पलवल, हरियाणा में स्थित एचवीएसयू कैम्पस में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्षेत्र में सीएसआर गतिविधियों निष्पादित की हैं और सरकारी स्कूल, दुधोला गांव, पलवल जिला, हरियाणा में सौर प्रणाली (10 केडब्ल्यूपी) तथा 2 सेट कम्प्यूटर व प्रिंटर उपलब्ध कराए हैं।

2. **सीएसआर समिति की संरचना:**

   वर्तमान में, कंपनी में सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं की मॉनीटरिंग के लिए स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में बोर्ड स्तरीय समिति विद्यमान है। वर्ष 2018–19 के दौरान समिति के गठन की संक्षिप्त पृष्ठभूमि, और 2018–19 के दौरान आयोजित बैठकों का ब्यौरा निगमित शासन रिपोर्ट के पैरा 7.2 पर प्रस्तुत है। वर्तमान में समिति के अध्यक्ष श्री ए.के.गोयल, अंशकालीन निदेशक तथा सदस्य के रूप में श्री सुरजीत दत्ता, अंशकालीन निदेशक तथा श्री पराग वर्मा, अंशकालीन निदेशक शामिल हैं।

3. **पिछले तीन वित्तीय वर्षों में यथा 2015–16, 2016–17 तथा 2017–18 में भारतीय परियोजनाओं से कंपनी को औसत शुद्ध लाभ 904.15 करोड़ रूपए प्राप्त हुआ है।**

4. **वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए सीएसआर बजट 18,08,000 रूपए है, जो कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों में भारतीय परियोजनाओं से कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2% है।**

5. **निदेशक मंडल ने दिनांक 19.09.2918 के परिपत्र सं. 52/18 के नोटों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए दिनांक 24.09.2018 को 18.08 लाख रूपए के सीएसआर बजट को अनुमोदित किया था जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों यथा 2015–16, 2016–17 तथा 2017–18 में भारतीय परियोजनाओं से कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2% है, जिसकी पुष्ट बाद में दिनांक 29.10.2018 को आयोजित निदेशक मंडल की 45वीं बैठक में की गई थी।**

6. **वर्ष 2018–19 के दौरान, कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों पर 14,60,151 रूपए खर्च किए हैं। इसप्रकार, वर्ष 2018–19 के लिए खर्च न की गई राशि 3,47,849 रूपए है और इस राशि को अगले वित्तीय वर्ष यथा 2019–20 के लिए अग्रेषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष यथा 2017–18 के लिए कोई अग्रेषित राशि नहीं है (वित्तीय विवरणों के नोट सं. 52 का संदर्भ लें)।**

वर्ष के दौरान निष्पादित परियोजनाओं और खर्च न की गई राशियों के कारणों का ब्यौरा निम्नानुसार प्रस्तुत है:

| क्र. सं | चिह्नित सीएसआर परियोजना या गतिविधि | परियोजना का स्थल/क्षेत्र | खर्च की गई राशि (रूपए लाख में) | खर्च न की गई राशि के कारण | प्रत्यक्ष क्रियान्वयन या क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम | पलवल, हरियाणा में स्थित एचवीएसयू कैम्पस | 5,72,873 रू. | वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निर्धारण किया गया है, जो अभी निष्पादित किए जाने हैं। | भारतीय कौशल निर्माण विकास परिषद (सीएसडीसीआई) |
| 2. | क. सौर प्रणाली (10 केडब्ल्यूपी)<br>ख.2(दो) प्रिंटरों सहित दो सेट कम्प्यूटर | सरकारी स्कूल, दुधोला, जिला पलवल, हरियाणा | 8,87,278 रू. | 10 लाख रूपए का बजट आवंटित किया गया था जिसके प्रति 8,87,278 रूपए की राशि खर्च की गई है। निम्नलिखित<br>कारणों से 1,12,722 लाख रूपए की राशि खर्च नहीं की जा सकी:–<br>(क) कार्य के निष्पादन के लिए प्राप्त बोली कम राशि की थी, और<br>(ख) बोली मूल्य में शामिल जीएसटी भाग को व्यय के रूप में लेखांकित नहीं किया गया और आवश्यक क्रेडिट इनपुट प्राप्त किया गया है। | प्रत्यक्ष |

कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

सौर प्रणाली

प्रिंटर सहित कम्प्यूटर प्रणाली

7. सीएसआर समिति पुष्टि करती है कि सीएसआर नीति का क्रियान्वयन और मॉनीटरिंग कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में की गई है।

**निदेशक मंडल के निमित्त और की ओर से**
ह/–
**(एम.के. सिंह)**
**(अध्यक्ष)**
**(डीआईएन 06607392)**

**स्थान : नई दिल्ली**
**दिनांक : 21.05.2019**

अनुबंध –ख

# प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

## विहंगावलोकन

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड (इरकॉन आईएलएस) रेल मंत्रालय के अधीन इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) अनुसूची 'क', मिनी रत्न – श्रेणी–I की कंपनी है की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रुप में 30 सितंबर 2009 को निगमित हुई थी जो कि भारतीय रेल प्रणाली के प्रयोक्ताओं को सुविधाएं व सहूलतें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय रेल की भूमि पर बहुउद्देशीय परिसरों (एमएफसी) के नियोजन, अभिकल्प, विकास, प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए आरएलडीए के साथ धारक कंपनी द्वारा समझौता ज्ञापन का परिणाम है। 24 स्टेशनों पर निर्माण (वॉर्म शैल) का भौतिक कार्य किया गया था। कंपनी ने 23 बहुउद्देशीय परिसरों को सफलतापूर्वक तीसरे पक्षों को उपपट्टे पर दे दिया है।

उपर्युक्त उद्देश्य कंपनी के भावी विकास के लिए सीमित थे और इसलिए, कंपनी ने विभिन्न अन्य क्षेत्रों में अपने व्यवसाय को फैलाया और इस प्रकार इसके उद्देश्यों में संशोधन हुआ।

## व्यवसाय वातावरण

अवसंरचना सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख स्रोत है। यह सेक्टर भारत के समग्र विकास को गति प्रदान करने में अत्यधिक उत्तरदायी क्षेत्र है और ऐसी नीतियां आरंभ करने के लिए सरकार का गहन ध्यान आकर्षित कर रहा है जो देश में समयबद्ध आधार पर विश्वस्तरीय अवसंरचना के विकास करे सुनिश्चित करेगा। देश में भवनों के निर्माण कार्य को गति प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने निर्माण परियोजनाओं को त्वरित आधार पर अनुमोदन प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2018 में विश्व बैंक के लॉजेस्टिक निष्पादन सूचकांक (एलपीआई) 2018 के अंतर्गत 167 देशों में से भारत का स्थान 44वां था। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के अनुसार अप्रैल 2000 से दिसंबर 2018 तक निर्माण विकास सेक्टर (टाउनशिप, आवासन, निर्मित अवसंरचना तथा निर्माण विकास परियोजनाएं) में 24.91 बिलियन अमरीकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त हुआ है। भारत में लॉजेस्टिक सेक्टर प्रति वर्ष 10.5 प्रतिशत के सीएजीआर पर विकसित हो रहा है और वर्ष 2020 तक इसके 215 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। भारत सरकार अवसंरचना सेक्टर को बल प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अवसंरचना सेक्टर केन्द्रीय बजट 2019–20 के अंतर्गत सर्वाधिक ध्यान केन्द्रित करने वाला क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत इस सेक्टर को 63.20 बिलियन अमरीकी डॉलर की राशि आवंटित की गई थी। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के अनुसार, अप्रैल 2000 से सितंबर 2018 तक निर्माण विकास सेक्टर और अवसंरचनात्मक गतिविधि सेक्टर को क्रमशः 24.90 बिलियन अमरीकी डॉलर और 13.49 बिलियन अमरीकी डॉलर का एफडीआई इनफ्लो प्राप्त हुआ। बाजार की यह वर्तमान सकारात्मक स्थिति भविष्य के लिए इस क्षेत्र में आकर्षक अवसरों को जन्म देती है।

**कंपनी निम्नलिखित क्षेत्रों में अवसरों की तलाश कर रही है:**

- भारत सरकार की परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टे तैयार करना।
- विभिन्न निजी / सरकारी एजेंसियों के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पी.एम.सी)।
- निर्माण–प्रचालन–हस्तांतरण(बीओटी) आधार पर रियल इस्टेट परियोजनाएं।
- परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) अध्ययन।
- सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर) परियोजनाएं।

## दृष्टिकोण

कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी का विजन/मिशन निम्नानुसार हैं:–

## विजन/मिशन

विशिष्टता प्राप्त अवसंरचना विकासकर्ता के रुप में पहचान बनाना तथा पर्यावरण, गुणवत्ता व सुरक्षा पर विशेष बल देते हुए अवसंरचना परियोजनाओं के सभी क्षेत्रों के लिए विख्यात सेवाप्रदाता के रुप में स्वयं को स्थापित करना ।

## उद्देश्य

i) वित्तीय वर्ष 2020–21 के अंत तक 10 करोड़ रुपए के प्रचालनिक लाभ सहित 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त करना।

ii) भारत तथा विदेश में अवसंरचना प्रबंधन परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराना।

## वित्तीय निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, आपकी कंपनी ने 70.64 करोड़ रूपए का प्रचालनिक राजस्व रिकार्ड किया है, जो कि पिछले वर्ष की 32.36 करोड़ रूपए की प्रचालनिक आय से 118.26 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। कुल प्रचालनिक आय में वृद्धि मुख्य रूप से परामर्शदात्री परियोजनाओं के निष्पादन के कारण हुई है।

कंपनी ने 17.20 करोड़ रूपए का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है। कर पश्चात लाभ 14.02 करोड़ रूपए है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए प्रति शेयर आमदनी पिछले वर्ष में 2.10 रूपए से बढकर इस वर्ष 2.16 रूपए हो गई है।

दिनांक 31 मार्च 2019 को कंपनी की निवल संपत्ति 142.38 करोड़ रूपए हो गई है।

## प्रचालनिक निष्पादन

इरकॉन आईएसएल ने इन 23 बहुउद्देशीय परिसरों को सफलतापूर्वक तीसरे पक्षों को उपपट्टे पर दे दिया है। उपपट्टे पर दिए गए इन 23 बहुउद्देशीय परिसरों में से तारापीठ, राजगीर तथा थिरूपला में बहुउद्देशीय परिसरों को वित्तीय रूप से अलाभप्रद माना गया था और करारों की शर्तों के अनुसार इन्हें रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को वापस किया गया था। आपकी कंपनी ने पट्टा किरया और उपपट्टेदार द्वारा अन्य देय राशियों का भुगतान न करने के कारण कन्नूर, रामपुरहाट और मैसूर में बहुउद्देशीय परिसरों उपपट्टा करारों को समाप्त कर दिया है। रामपुरहाट में बहुउद्देशीय परिसरों को उपपट्टे पर देने की प्रक्रिया पुनःआरंभ की गई है, जबकि उपपट्टेदारों द्वारा संबंधित न्यायलयों के समक्ष कन्नूर और मैसूर में बहुउद्देशीय परिसरों के उपपट्टा करारों को समाप्त किए जाने के विरूद्ध याचिका दायर की गई है।

इरकॉन आईएसएल 1518 करोड़ रूपए की निर्माण लागत वाली म्यामार के चिन राज्य में किमी 0.00 से किमी 109.2 तक पलेटवा से भारत–म्यामार सीमा (ज़ोरिनपुई) तक राष्ट्रीय राजमार्ग विशिष्टताओं पर दो लेन वाली सड़क के निर्माण कार्य के लिए विदेश मंत्रालय को परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, इरकॉन आईएसएल, 293.93 करोड़ रूपए की निर्माण लागत पर म्यामार में त्रिपक्षीय राजमार्ग के तमु–क्यिंगोने–कलेवा (टीकेके) पर पहुंच मार्ग सहित 69 पुलों के निर्माण के लिए कार्य विदेश मंत्रालय को परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) प्रदान कर रही है, जबकि विदेश मंत्रालय ने मैसर्स एनसीएसएल–एमटीडीसीएल (जेवी) की संविदा को समाप्त कर दिया है, जिसे म्यामार में त्रिपक्षीय राजमार्ग के तमु–क्यिंगोने–कलेवा (टीकेके) पर पहुंच मार्ग सहित 69 पुलों के निर्माण के लिए ईपीसी ठेकेदार (इंजीनियरिंग, प्रापण एवं निर्माण) के रूप में नियुक्त किया गया था। इरकॉन आईएसएल के साथ विदेश मंत्रालय द्वारा इस कार्य के पुनःनिविदा तथा इसके निष्पादन की कार्यविधि को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

आपकी कंपनी दुधोला, पलवल, हरियाणा में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एसवीएसयू) की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श उपलब्ध करा रही है। इसके लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श करार पर दिनांक 22.01.2018 को हस्ताक्षर किए गए थे और परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 425 करोड़ रूपए (पीएमसी शुल्कों सहित) है। मार्च 2019 को कार्य की भौतिक प्रगति 11.8 प्रतिशत है। यह कार्य दिनांक 18.10.2018 को आरंभ हुआ है और इसके समाप्त होने की समयसीमा जनवरी, 2020 है।

आपकी कंपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, तकनीकी भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली के नए अत्याधुनिक भवन के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी उपलब्ध करा रही है। मार्च 2019 को कार्य की भौतिक प्रगति 9 प्रतिशत है। और इसके समाप्त होने की समयसीमा सितंबर, 2021 है।

आपकी कंपनी भारतीय भू पोत प्राधिकरण (एलपीएआई) द्वारा 07 भू पोटों पर सुरक्षा कार्मिकों के लिए बैरिक एकोमोडेशन के निर्माण के लिए के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी उपलब्ध करा रही है, जिसकी कुल परियोजना लागत लगभग 197.64 करोड़ रूपए है।

आपकी कंपनी ने पारादीप (ओडीशा) और कडकोला स्टेशन, मैसूर जिला, कर्नाटक के समीप भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर) द्वारा प्रदान किए गए मल्टी मॉडल लाजेस्टिक पार्क (एमएमएलपी) के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी प्रदान किया है, जिसकी कुल अनुमानित लागत क्रमशः 66.88 करोड़ रूपए तथा 93 करोड़ रूपए हैं।

आपकी कंपनी को नवोदय विद्यालय समिति (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय) के लिए जेएनवी, अगर माल्वा (मध्य प्रदेश) तथा साबरकनाथ (गुजरात) में दौ नवोदय विद्यालयों के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में भी नियुक्त किया गया है। दोनों परियोजनाओं के लिए दिनांक 14.09.2017 को करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे और इन परियोजनाओं की अनुमानित परियोजना लागत क्रमशः 25.09 करोड़ रूपए तथा 18.06 करोड़ रूपए है।

**वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान इरकॉन आईएसएल ने चार नई परियोजना प्रबंधन परामर्श परियोजनाएं प्राप्त की हैं यथा :**

(क) लगभग 108.36 करोड़ रूपए की अनुमानित परियोजना लागत पर दिनांक 11.06.2018 को प्रदान की गई कॉनकॉर के लिए भावपुर, कानपुर (उत्तर प्रदेश) के मल्टी मॉडल लॉजेस्टिक पार्क की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करने की परियोजना।

(ख) लगभग 201.00 करोड़ रूपए की अनुमानित परियोजना लागत पर दिनांक 03.09.2018 को प्रदान की गई कॉनकॉर के लिए दहेज, गुजरात के मल्टी मॉडल लॉजेस्टिक पार्क की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करने की परियोजना है।

(ग) 36.26 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर दिनांक 26.07.2018 को प्रदान की गई राष्ट्रीय ताप उर्जा निगम (एनटीपीसी), उच्चाहर, उत्तर प्रदेश के स्टेज–1 की एमजीआर प्रणाली के लिए पीआसी स्लीपरों सहित सीएसटी–9 स्लीपरों के प्रतिस्थापन के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करने की परियोजना है।

(घ) 74.34 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर दिनांक 24.01.2019 को प्रदान की गई राष्ट्रीय आपदा बचाव दल (एनडीआरएफ) अकादमी, नागपुर के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करने की परियोजना है।

इरकॉन आईएसएल इरकॉन की मलेशिया परियोजना के लिए ''श्रमशक्ति आपूर्ति'' का कार्य भी कर रही है। दिनांक 31 मार्च 2019 को मलेशिया में कंपनी के तीन कर्मचारी कार्यरत हैं। इरकॉन आईएसएल अल्जीरिया में इरकॉन की परियोजना के लिए भी श्रमशक्ति आपूर्ति का कार्य कर रही है और कंपनी ने इरकॉन की अल्जीरिया परियोजना में एक कर्मचारी को तैनात किया है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के समापन के पश्चात, आपकी कंपनी ने दिनांक 08.05.2019 को कॉनकॉर द्वारा प्रदान की गई एमएमएलपी पारादीप पोत, ओडीशा में मैसर्स इफको के लिए हैंडलिंग सुविधाओं के विकास हेतु विस्तृत इंजीनियरिंग एवं परियोजना पर्यवेक्षण हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्श की नई परियोजना प्राप्त की है। इस परियोजना की कुल लागत 98.50 करोड़ रूपए है।

आपकी कंपनी इरकॉन की विभिन्न परियोजनाओं के लिए उसे ''मशीनरी पट्टे पर देने'' का कार्य भी कर रही है। पूर्व में, इरकॉन की श्रीलंका परियोजना के लिए डियोमेटिक मशीन उपलब्ध कराई गई थी, जिसे दिनांक 30.06.2017 को भारत वापस लाया गया था। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान उक्त मशीन को 9 महीनों यथा मई 2018 से जनवरी 2019 की अवधि के लिए जयनगर बारबीडोस रेल परियोजना में प्रयुक्त किया गया था और फरवरी 2019 में इस मशीन को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की छत्तीसगढ ईस्ट रेल लिमिटेड (सीईआरएल) परियोजना के लिए प्रयुक्त किया गया था।

इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी के पास तीन ओल्ड–ट्रैक मशीने उपलब्ध हैं, जिन्हें पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे (डब्ल्यूसीआर) के लिए खरीदा गया है और यह वलसाड (गुजरात) में रखी गई है। मशीनों को किसी परियोजना के लगाए जाने से पूर्व रीकंडीशन किया जाता है।

## क्षेत्रीय निष्पादन

वर्ष 2018–19 के दौरान राजस्व के पांच क्षेत्र हैं यथा परामर्श, श्रमशक्ति की आपूर्ति, बहुउद्देशीय परिसरों को उप–पट्टे पर देना तथा संयंत्र और मशीनरी को पट्टे पर देना तथा अन्य (सीएसआर तथा स्वच्छ भारत अभियान परियोजनाओं का निष्पादन)। वर्ष 2018–19 के लिए प्रचालनिक आय में परामर्श परियोजाओं का अंशदान प्रमुख है यथा कुल प्रचालनिक आय का 67.50 प्रतिशत है। नीचे प्रस्तुत तालिका विभिन्न क्षेत्रों से आय के भाग और कुल आय में इसके प्रतिशत अंशदान को दर्शाती है।

(₹ करोड़ में)

| सेक्टर | 2018-19 | | 2017-18 | | 2016-17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रचालनिक आय | % | प्रचालनिक आय | % | प्रचालनिक आय | % |
| परामर्श | 47.68 | 67.50 | 15.50 | 47.90 | 18.39 | 44.88 |
| श्रमशक्ति की आपूर्ति | 0.53 | 0.75 | 0.48 | 1.48 | 2.19 | 5.34 |
| एमएफसी को उपपट्टे पर देना | 17.79 | 25.18 | 14.83 | 45.83 | 13.66 | 33.33 |
| संयंत्र और मशीनरी को पट्टे पर देना | 0.89 | 1.26 | - | - | 1.69 | 4.12 |
| अन्य | | | | | | |
| सीएसआर तथा स्वच्छ भारत अभियान परियोजनाओं के निष्पादन से प्रचालन राजस्व | 3.75 | 5.31 | 1.55 | 4.79 | 5.05 | 12.32 |
| **कुल** | **70.64** | | **32.36** | | **40.98** | |

## सेगमेंट–वार निष्पादन

वर्ष 2018–19 के दौरान कुल प्रचालनिक आय में विदेशी परियोजनाओं का अंशदान 10.23% है तथा कुल प्रचालनिक आय में घरेलू परियोजनाओं का अंशदान 89.77% है।

(₹ करोड़ में)

| सेक्टर | 2018-19 | | 2017-18 | | 2016-17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल आय | % | कुल आय | % | कुल आय | % |
| विदेशी | 7.23 | 10.23 | 13.45 | 41.56 | 19.01 | 46.39 |
| घरेलू | 63.41 | 89.77 | 18.91 | 58.44 | 21.97 | 53.61 |
| **कुल** | **70.64** | | **32.36** | | **40.98** | |

## शक्तियाँ

आपकी कंपनी की सबसे बड़ी शक्ति है कि यह निर्माण के क्षेत्र में व्यापक प्रतिष्ठा प्राप्त इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। कंपनी विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए धारक कंपनी के अनुभव का लाभ प्राप्त कर सकती है।

## जोखिम और चिन्ता

प्रगतिरत रुप से बहुउद्देशीय परिसरों के निर्माण का कार्य पूरा होने से, इन बहुउद्देशीय परिसरों को पट्टे पर देने का कार्य आरम्भ किया गया है जो कि अत्यंत क्षेत्र विशिष्ट और बाजार आधारित है। हालांकि, एक स्वतंत्र प्रतिष्ठित परामर्शदाता द्वारा बाजार संभाव्यता का गहन अध्ययन किया गया है किन्तु राजस्व एकत्रण का जोखिम अभी भी विद्यमान है।

## आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक के रुप में मैसर्स राहुल जैन एंड एसोसिएट्स, लागत एवं प्रबंधन लेखाकारों को नियुक्त किया है। आंतरिक लेखापरीक्षकों ने आंतरिक प्रणालियों की पर्याप्तता की जांच करने तथा निरंतर सुधारों के उपाय सुझाने के लिए दो चरणों में कंपनी की लेखापरीक्षाएं की हैं। आंतरिक लेखापरीक्षक अनुभवी लागत एवं प्रबंधन लेखाकार फर्म है, जिसका चयन एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है और नियुक्ति के पश्चात सीधे प्रबंधन को रिपोर्ट करेगा। यह आंतरिक लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करेगा। आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है, अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है और इन्हें लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

## मानव संसाधन

कंपनी का उद्देश्य संगठन के लिए मान संसाधनों/कर्मचारियों का सही आकार तथा सही मिश्रण प्राप्त करना है। इरकॉन आईएसएल के कर्मचारियों में उन कार्मिकों का संयोजन है जिन्हें कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया है और जिन्हें निगमित कार्यालय में या परियोजनाओं में तैनात किया गया है और वे कर्मचारी जो इरकॉन से सेकेंडमेंट आधार पर शामिल किया गया है। कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) की मलेशिया परियोजना और अल्जीरिया परियोजना के लिए श्रमशक्ति भी उपलब्ध करा रही है। दिनांक 31 मार्च 2019 को कुल श्रमशक्ति संख्या 78 कर्मचारी हैं जिसमें इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) की मलेशिया परियोजना के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त 3 ठेके के कर्मचारी तथा अल्जीरिया परियोजना के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त 01 ठेके के कर्मचारी शामिल हैं। दीर्घकालीन विकास परिदृश्य को देखते हुए, आपकी कंपनी अपने स्वयं के संवर्ग विकास के माध्यम से प्रमुख श्रमशक्ति संसाधनों में संवर्धन करने की योजना बना रही है।

**निदेशक मंडल के निमित्त और की ओर से**

ह/–

**(एम.के. सिंह)**
**(अध्यक्ष)**
**(डीआईएन 06607392)**

**स्थान : नई दिल्ली**
**दिनांक : 21.05.2019**

अनुबंध –ग

# कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट

## 1. कंपनी का दर्शन

निगमित शासन कंपनी के व्यवसाय के नैतिक आचरण के लिए प्रणालियों तथा पद्धतियों की एक व्यवस्था है। यह अपने स्टेकधारकों की आकांशाओं को पूरा करने के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता, समानता और मूल्यों की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करता है। कंपनी का यह निरंतर प्रयास है कि व्यावसायिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में नैतिकता के उच्चतम मानकों को अपनाया जाए तथा उन्हें बनाया रखा जाए।

## 2. शासन संरचना

कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है जो कार्यप्रणाली और नीतियों का निर्धारण करता है और आवधिक रुप से कार्यनिष्पादन की समीक्षा करता है।

कंपनी के निष्पादन की समीक्षा धारक कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा भी की जाती है। मंडल बैठकों के कार्यवृत्त तथा कंपनी द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण संव्यवहारों और व्यवस्थाओं के विवरण तथा अलेखापरीक्षित तिमाही तथा अर्धवार्षिक परिणामों को धारक कंपनी की लेखापरीक्षा समिति / बोर्ड बैठकों के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

इरकॉन आईएसएल के बोर्ड में चार अंशकालीन निदेशकों के अतिरिक्त, धारक कंपनी ने कंपनी के दिन–प्रति–दिन के कार्यों के प्रबंधन के लिए बोर्ड स्तर से नीचे के एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी को नामित किया है।

## 3. निदेशक मंडल

### 3.1 निदेशक मंडल की संरचना

कंपनी के संगम अनुच्छेद (ए.ओ.ए)(अनुच्छेद 48) के अनुसार, निदेशकों की संख्या तीन से कम तथा बारह से अधिक नहीं होनी चाहिए। ए.ओ.ए (अनुच्छेद 49) के अनुसार, धारक कंपनी अध्यक्ष तथा सभी निदेशकों की नियुक्ति करती है।

निदेशक मंडल के सदस्यों की वर्तमान संख्या चार है जिसमें धारक कंपनी इरकॉन द्वारा नामित अंशकालीन निदेशकों सहित अंशकालीन अध्यक्ष शामिल हैं।

### 3.2 इस रिपोर्ट की तारीख को निदेशकों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

**निदेशक मंडल**

(इस रिपोर्ट की तारीख तक)

| निदेशक | पूर्णकालिक / अंशकालिक / स्वतंत्र | कंपनियों / निगमित निकायों में निदेशक पर (इरकॉन आईएसएल को छोड़कर) | समिति सदस्यता की कुल संख्या (इरकॉन आईएसएल सहित) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | अध्यक्ष के रूप में | अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्य के रूप में |
| श्री एम.के.सिंह (डीआईएन 06607392) (10.04.2018 से) | अंशकालीन अध्यक्ष | 1 [इरकॉन, आईआरएसडीसी, जेसीआरएल] | 1 | 4 |

| निदेशक | पूर्णकालिक / अंशकालिक / स्वतंत्र | कंपनियों / निगमित निकायों में निदेशक पर (इरकॉन आईएसएल को छोड़कर) | समिति सदस्यता की कुल संख्या (इरकॉन आईएसएल सहित) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | अध्यक्ष के रूप में | अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्य के रूप में |
| श्री ए.के.गोयल (डीआईएन 05308809) | अंशकालीन निदेशक | 5 [इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन एसजीटीएल, आईएसटीपीएल, इरकॉन डीएचएचएल, इरकॉन वीकेईएल] | 5 | 4 |
| श्री सुरजीत दत्ता (डीआईएन 06687032) | अंशकालीन निदेशक | शून्य | 1 | 2 |
| श्री पराग वर्मा (डीआईएन 05272169) (05.04.2018 से) | अंशकालीन निदेशक | 1 [आईआरएसडीसी] | शून्य | 4 |

**नोटः**

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निदेशकों की संख्या 20 कंपनियों की अधिकतम सीमा के भीतर है (जिनमें से सार्वजनिक कंपनियों के लिए अधिकतम 10)।
2. निदेशक एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं।
3. निदेशकों का कंपनी के साथ किसी प्रकार का अंतर–संबंध या संव्यवहार नहीं है।
4. निदेशक पद / समिति की सदस्यता निदेशकों से प्राप्त अद्यतन प्रकटनों के आधार पर है।
5. समिति सदस्यता के लिए सभी सार्वजनिक निजी कंपनियों की सीएसआर एवं धारणीय विकास समिति, लेखापरीक्षा समिति तथा शेयरधारक / निवेशक शिकायत निवारण समिति के सदस्यों पर ही विचार किया गया है।
6. निदेशकों की समिति सदस्यता संख्या डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 (डीपीई सीजी दिशानिर्देश) के अंतर्गत पांच अध्यक्षों की अनुमत सीमा सहित 10 की अधिकतम सीमा के भीतर है। उक्त सीमा के लिए केवल लेखापरीक्षा समिति तथा शेयरधारक / निवेशक शिकायत समिति को ही गिना जाएगा।
7. कंपनियों के पूरे नाम हैं:
   - क. इरकॉन – इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
   - ख. इरकॉन पीबीटीएल – इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड
   - ग. इरकॉन एसजीटीएल – इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड
   - घ. आईएसटीपीएल – इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड
   - ड. इरकॉन डीएचएचएल – इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड
   - च. इरकॉन वीकेईएल – इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
   - छ. आईआरएसडीसी – इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
   - ज. जेसीआरएल – झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

## 4. निदेशकों के संबंध में प्रकटन :

कंपनी (निदेशक की बैठकें व उनकी शक्तियां) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 के अनुसार निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटन के अनुसार निदेशकों का आपस में कोई संबंध नहीं है। संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 49 के अनुसार धारक कंपनी द्वारा कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन किया जाता है।

## 5. निदेशकों का पारिश्रमिक

धारक कंपनी द्वारा बोर्ड में नामित अंशकालीन निदेशक कंपनी से किसी प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करते हैं।

अंशकालीन निदेशकों को किसी प्रकार का बैठक शुल्क प्रदान नहीं किया जाता है।

## 6. वर्ष 2018–19 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकें और उनमें उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान निदेशक मंडल ने 30 मई 2018, 01 अगस्त 2018, 29 अक्टूबर 2018, 24 जनवरी, 2019 और 27 मार्च 2019 को पांच बैठकों में भाग लिया।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 167(1)(ख) के अनुसार अनुस्थिति की अनुमति प्रदान की गई है।

**वर्ष 2018–19 के दौरान निदेशकों और कंपनी सचिव की उपस्थिति के विवरण निम्न प्रकार हैं :–**

| निदेशक | 2018–19 में मंडल की बैठकों की संख्या | | अंतिम वार्षिक आम बैठक में भाग लिया |
|---|---|---|---|
| | आयोजित (उनके कार्यकाल के दौरान) | उपस्थितियां | |
| श्री एम.के.सिंह (डीआईएन 06607392) (10.04.2018 से) | 5 | 5 | हां |
| श्री ए.के.गोयल (डीआईएन 05308809) | 5 | 5 | हां |
| श्री सुरजीत दत्ता (डीआईएन 06687032) | 5 | 5 | हां |
| श्री पराग वर्मा (डीआईएन 05272169) (05.04.2018 से) | 5 | 5 | हां |

## 7 निदेशक मंडल की समितियां

### 7.1 लेखापरीक्षा समिति

#### 7.1.1 संदर्भ शर्तें

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 4.90 करोड़ रुपए से बढ़कर 40 करोड़ रुपए (28.03.2013 से) हो गई है, जो 100 प्रतिशत इरकॉन द्वारा धारित है। इसके परिणामस्वरुप, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292क के अनुपालन में, निदेशक मंडल ने 5 जुलाई 2013 को आयोजित अपनी बैठक में लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है। कार्पोरेट शासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अध्याय–4, पैरा 4.2 से पैरा 4.5 में निर्धारित अनुसार लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्तों को निदेशक मंडल द्वारा अपनाया गया था। संक्षेप में इनमें शामिल हैं:

1. कम्पनी की वित्तीय सूचना की प्रक्रिया और प्रकटन का पर्यवेक्षण करके लेखों की परिशुद्धता, पर्याप्तता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना है।

2. निदेशक मंडल द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण को स्वीकृति दिए जाने से पूर्व प्रबंधन के साथ समीक्षा करना। विशेष रूप से–

   क) कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 134 के उपखंड 5 की शर्तों के अनुसार निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाली अपेक्षित सामग्री को निदेशक की रिपोर्ट में भी शामिल किया जाएगा।

   ख) लेखांकन नीतियों तथा पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हो व इसके कारण।

   ग) प्रबंधन द्वारा विवेक के प्रयोग के आधार पर अनुमानों वाली प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां।

   घ) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।

   ड.) वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन।

   च) किसी संबंधित पक्षों के संव्यवहार का प्रकटन।

   छ) मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में योग्यता आदि।

3) निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किए जाने से पूर्व तिमाही वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा।

4) प्रचालनों की वित्तीय स्थिति तथा परिणामों पर प्रबंधन द्वारा चर्चा व विश्लेषण।

5) आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्यनिष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता पर प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

6) महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान व उन पर अनुवर्ती कार्रवाई हेतु दोनों लेखा परीक्षकों – आंतरिक एवं सांविधिक लेखापरीक्षक के साथ चर्चा।

7) आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग, स्टाफिंग तथा विभागों के कार्यालय प्रमुखों की वरियता, रिपोर्टिंग ढांचा, कवरेज तथा आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हो, की पर्याप्ता की समीक्षा करना।

8) लेखापरीक्षा शुल्कों के निर्धारण के लिए बोर्ड को सिफारिश करना।

9) आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, पुनःनियुक्ति, पारिश्रमिक तथा निलंबन आदि की समीक्षा करना।

10) मुख्य कार्यपालक / वित्त प्रमुख द्वारा वित्तीय विवरणों के प्रमाणन / घोषणा की समीक्षा करना।

### 7.1.2 लेखापरीक्षा समिति– संरचना और उपस्थिति

कार्पोरेट शासन पर दिनांक 14 मई 2010 के डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 4.2 से पैरा 4.5 में निर्धारित अनुसार शर्तों का अनुपालन करते हुए निदेशक मंडल की स्वीकृति से 05.07.2013 को मूल रुप से तीन अंशकालीन निदेशकों वाली बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया था। धारक कंपनी द्वारा नामित अंशकालीन निदेशकों में जब कभी परिवर्तन किए जाते हैं तो इस समिति का पुनर्गठन किया गया जाता है। तदनुसार, सभी बोर्ड सदस्यों को परिपत्रित नोट के माध्यम से दिनांक 26.04.2018 को समिति का पुनर्गठन किया गया था, जिसकी दिनांक 30 मई 2018 को आयोजित निदेशक मंडल की 43वीं बैठक पुष्टि की गई थी।

समिति की वर्तमान संरचना निम्नानुसार है:

श्री सुरजीत दत्ता – अध्यक्ष के रुप में अंशकालीन निदेशक

श्री ए.के. गोयल – सदस्य के रुप में अंशकालीन निदेशक

श्री पराग वर्मा – सदस्य के रुप में अंशकालीन निदेशक

वर्ष 2018–19 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 5 बैठकें आयोजित की गईं थीं अर्थात 30 मई 2018, 01 अगस्त 2018, 29 अक्तूबर 2018, 24 जनवरी 2019 तथा 27 मार्च 2019.

**उपस्थिति की ब्यौरा निम्नानुसार है:**

| सदस्य | पद | बैठकों की संख्या (संबंधित कार्यकाल के दौरान) | बैठक में उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| सुरजीत दत्ता (2018–19 वर्षभर) | अध्यक्ष | 5 | 5 |
| ए.के. गोयल (2018–19 वर्षभर) | सदस्य | 5 | 5 |
| पराग वर्मा (5 अप्रैल 2018 से) | सदस्य | 5 | 5 |

## 7.2 निगमित सामाजित उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135 के अनुसार, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक की निवल संपत्ति, या 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक के टर्नओवर या 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक के शुद्ध लाभ अर्जित करने वाले प्रत्येक कंपनी, बोर्ड स्तर की एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआर) का गठन करेगी जिसमें तीन या अधिक निदेशक होंगे जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 12 अप्रैल 2013 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन के तहत जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक सीपीएसई में बोर्ड स्तरीय समिति होगी जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा या किसी स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी जो कंपनी में सीएसआर तथा धारणीयता संबंधी नीतियों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

सभी बोर्ड सदस्यों को परिपत्रित नोट, जिसकी दिनांक 26 जून 2014 को आयोजित निदेशक मंडल की 22वीं बैठक में पुष्टि की गई थी, द्वारा कंपनी की सीएसआर नीति के क्रियान्वयन की निगरानी करने तथा कंपनी के सीएसआर एजेंडा को वांछित दिशा की ओर ले जाने के लिए उपयुक्त नीतियों तथा पद्धितियों के निर्माण में निदेशक मंडल को सहयोग प्रदान करने हेतु सीएसआर नीति के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए 13 जून, 2014 को सीएसआर के लिए एकीकृता निदेशक मंडल समिति का गठन किया गया है।

सभी बोर्ड सदस्यों को परिपत्रित नोट, जिसकी दिनांक 26 जून 2018 को आयोजित निदेशक मंडल की 43वीं बैठक में पुष्टि की गई थी, द्वारा समिति का पुनर्गठन किया गया था। समिति की वर्तमान संरचना इस प्रकार है:

श्री ए.के.गोयल – अध्यक्ष के रुप में अंशकालीन निदेशक

श्री सुरजीत दत्ता – सदस्य के रुप में अंशकालीन निदेशक

श्री पराग वर्मा – सदस्य के रुप में अंशकालीन निदेशक

वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी की कोई बैठक नहीं हुई है।

### 7.3 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 178 के अनुसार, 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक की प्रदत्त पूंजी, या 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक के टर्नओवर या 50 करोड़ रुपए या अधिक के समग्र बकाया ऋण या उधार या डिबेंचर या डिपाजिट करने वाले प्रत्येक कंपनी, नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति का गठन करेगी। इस समिति में तीन या अधिक गैर कार्यपालक निदेशक होंगे जिनमें से आधे से अधिक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 14 मई, 2010 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन के तहत जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम के लिए पारिश्रमिक समिति पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक सीपीएसई में एक पारिश्रमिक समिति होगी जिसमें कम से कम तीन निदेशक होंगे, और वे सभी अंशकालीन निदेशक होंगे (यथा नामिती और स्वतंत्र निदेशक), और समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी।

**संदर्भ शर्तें**

क. दिनांक 26 नवंबर 2008 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्यपालकों और गैर–यूनियनिकृत पर्यवेक्षकों में वितरण हेतु वार्षिक बोनस/परिवर्ती आय पूल तथा इसके संवितरण की नीतियां निर्धारण करना।

ख. निर्धारित मापदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों का हिह्नन/चयन हेतु नीतयों को तैयार करना और उनकी समीक्षा तथा उनके चयन और उन्हें हटाने के लिए मंडल के अनुमोदन हेतु सिफारिश करना।

ग. वरिष्ठ प्रबंधन तथा अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक के संबंध में उनके स्तर और पारिश्रमिक का निर्धारण करना।

घ. वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों के संबंध में मानव संसाधन नीति (नीतियों) की समीक्षा, विचार और सिफारिश करना।

ड. समय–समय पर कंपनी अधिनियम या डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा शामिल कोई अन्य कार्य।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 178 तथा डीपीई जीसी दिशानिर्देश, 2010 के पैरा 5.1 के अनुसरण में 28 अगस्त, 2015 को एक नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। समिति की संरचना निम्नानुसार है:

| | | |
|---|---|---|
| श्री ए.के.गोयल | – | अध्यक्ष के रुप में अंशकालीन निदेशक |
| श्री सुरजीत दत्ता | – | सदस्य के रुप में अंशकालीन निदेशक |
| श्री पराग वर्मा | – | सदस्य के रुप में अंशकालीन निदेशक |

वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी की कोई बैठक नहीं हुई है।

## 8. सामान्य आम बैठक

### 8.1 वार्षिक आम बैठक

पिछली 3 (तीन) वार्षिक आम बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं थीं:

| वार्षिक आम बैठक की संख्या | वित्त वर्ष | बैठक की तिथि | समय | स्थल |
|---|---|---|---|---|
| 9वीं | 2017–18 | 25 सितंबर 2018 | 1100 | कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली |
| 8वीं | 2016–17 | 25 सितंबर 2017 | 1600 | कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली |
| 7वीं | 2015–16 | 27 सितंबर 2016 | 1500 | कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली |

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों (2015–16 से 2017–18) में कोई विशेष संकल्प अपेक्षित या पारित नहीं किया गया है।

### 8.2 असाधारण आम बैठक

**क) पिछली 3 (तीन) असाधारण आम बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं थीं:**

| असाधारण आम बैठक संख्या | वित्त वर्ष के दौरान | बैठक की तिथि | समय | स्थल |
|---|---|---|---|---|
| चौथी | 2014–15 | 20 फरवरी 2015 | 1700 | कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली |
| तीसरी | 2012–13 | 22 जनवरी 2013 | 1430 | कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली |
| दूसरी | 2011–12 | 12 मार्च 2012 | 1430 | कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली |

**ख) विशेष संकल्प**

(क) चौथी असाधारण आम बैठक 20 फरवरी 2015 को आयोजित की गई थी।

प्राधिकृत शेयर पूंजी को 40 करोड़ से बढ़ाकर 65 करोड़ करने के लिए कंपनी के समझौता ज्ञापन और संगम अनुच्छेद में परिवर्तन।

(ख) तीसरी असाधारण आम बैठक 22 जनवरी 2013 को आयोजित की गई थी।

(i) प्राधिकृत शेयर पूंजी को 10 करोड़ से बढ़ाकर 40 करोड़ करने के लिए कंपनी के संगम अनुच्छेद में परिवर्तन।

(ii) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) से लिए गए ऋण के 35,10,00,000 रुपए के स्तर तक के भाग को प्रत्येक 10 रुपए के 3,51,00,000 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करना।

(ग) दूसरी असाधारण आम बैठक 12 मार्च 2012 को आयोजित की गई थी।

उद्देश्य खंड III क (मुख्य उद्देश्य) में नए उप खंडों को शामिल करके समझौता ज्ञापन में परिवर्तन किया गया।

## 9. प्रकटन

9.1 वर्ष के दौरान निदेशकों या उनके संबंधितयों के साथ कोई महत्वपूर्ण प्रकृति का संव्यवहार नहीं हुआ है, जिसका कंपनी के हित प्रभावित हुआ हो। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में नोट सं. 48 में निर्धारित संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहारों के प्रकटन की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया गया है।

9.2 वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी के व्यवसाय उद्देश्यों से इतर लेखों की बहियों में व्यय की किसी भी मद को नामे नहीं किया गया है। सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन एवं पर्क (विस्तृत विवरण वित्तीय विवरणों के भाग के रुप में नोट सं 48 में भी प्रकटित) के अनुसार प्रमुख कार्यपालकों को भुगतान हेतु पारिश्रमिक को छोड़कर निदेशकों तथा शीर्ष प्रबंधन के व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया है।

9.3 कुल व्यय के प्रतिशत के रुप में प्रशासनिक एवं कार्यालय व्ययों का ब्यौरा वित्तीय व्यय की तुलना में नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2018-19 | 2017-19 | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|
| प्रशासनिक व्यय | 3.53 | 2.65 | शून्य |
| बैंक तथा अन्य वित्तीय प्रशर | 0.05 | 1.38 | शून्य |
| कुल व्यय | 59.22 | 21.01 | शून्य |
| प्रशासनिक तथा अन्य व्यय /कुल व्यय (प्रतिशत में) | 5.96% | 12.63% | शून्य |
| बैंक तथा वित्तीय प्रभार/कुल व्यय (प्रतिशत में) | 0.08% | 6.56% | |

9.4 कंपनी आवधिक रुप से जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में परियोजनाओं से संबंधित जोखिमों और विदेशी विनिमय प्रबंधन के विषय में बोर्ड को सूचित करती है। जोखिम प्रबंधन से संबंधित ब्यौरा ''जोखिम एवं चिंता'' शीर्षक के अंतर्गत प्रबंधन विश्लेषण रिपोर्ट में दिया गया है।

9.5 कंपनी की सम्पूर्ण इक्विटी पूंजी यथा 65,00,00,000 इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) द्वारा धारित है।

9.6 किसी सांविधिक विनियम या सरकारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन न किए जाने की कोई घटना नहीं हुई है और पूंजी बाजार या सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों से संबंधित किसी मुद्दे पर कंपनी पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं।

9.7 डीपीई सीजी दिशानिर्देशों के स्व–मूल्यांकन के अनुपालन के लिए इरकॉन आईएसएल ने वर्ष 2017–18 के लिए 100 में से 98.21 का वार्षिक अंक तथा उत्कृष्टता ग्रेड प्राप्त किया है।

9.8 संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार आर्म लैंथ आधार पर व्यवसाय की साधारण प्रक्रिया है और कंपनी के वित्तीय विवरण के नोटों में संगत लेखांकन मानक की अपेक्षा के अनुसार इसे प्रकट किया गया है।

9.9 कंपनी में सांविधिक और प्रक्रियात्मक अनुपालनों की मॉनीटरिंग की प्रणालियां विद्यामन हैं। बोर्ड को इस स्थिति से अवगत कराया गया है ताकि कंपनी के सभी लागू नियमों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

## 10. सीईओ / सीएफओ प्रमाणन

मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा मुख्य वित्त अधिकारी ने वित्तीय विवरणों की सत्यता तथा सटीकता, देय अनुपालनों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग, जिसे लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, के संबंध में लिखित रुप में प्रमाणित किया है। (इस रिपोर्ट के **अनुबंध ''ग–1''** पर संलग्न है)।

## 11. आचार सहिंता

कम्पनी में निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता उपलबध है जो कंपनी की वेबसाइट पर है। वर्ष 2018–19 के दौरान निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन दल के सदस्यों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करने वाले अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा **संलग्नक ''ग–2''** पर उपलब्ध है।

## 12. शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना

### 12.1 सम्प्रेषण के माध्यम

इरकॉन आईएसएल की वर्ष 2018–19 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट **www.irconisl.com** पर तथा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध हैं।

### 12.2 चालू वर्ष के लिए वार्षिक साधारण बैठक

| | | |
|---|---|---|
| तारीख | : | 27.08.2019 |
| समय | : | 11.00 बजे पूर्वाहन |
| स्थान | : | कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय का बोर्ड कक्ष,<br>सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110007 |

### 12.3 श्रेणीवार शेयरधारक पैटर्न (इस रिपोर्ट की तिथि को)

| श्रेणी | भौतिक रूप में धारित शेयरों की संख्या (10 रु. प्रति शेयर) | शेयरधारण का प्रतिशत |
|---|---|---|
| प्रवर्तक (इरकॉन इंटरनेशनल लि. और इसके नौ नामिति) | 6,50,00,000 | 100 प्रतिशत |
| **कुल** | **6,50,00,000** | **100 प्रतिशत** |

धारक कंपनी द्वारा पदधारियों को बदले जाने के परिणामस्वरूप किसी नामिती शेयरधारक से दूसरे शेयरधारकों को शेयरों का अंतरण करना सामान्यतः एक तकनीकी कार्य है क्योंकि 100 प्रतिशत शेयर धारक कंपनी के हैं। इन शेयरों का अंतरण करने के लिए सीईओ एक प्राधिकृत अधिकारी है और कोई अंतरण बाकी नहीं हैं।

### 12.4 संप्रेषण का पता

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता है:

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लिमिटेड
प्लाट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर
साकेत, नई दिल्ली–1100017

टेलीफोन : 29565666

फैक्स : 26854000

ई–मेल : **info@irconisl.com**

वेबसाईट : **www.irconisl.com**

### 13. निगमित शासन पर अनुपालन

यह रिपोर्ट वर्ष 2018–19 के लिए कार्पोरेट शासन रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के संबंध में विधिक अपेक्षाओं का विधिक पालन करती है।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी सनदी कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के **संलग्नक ''ग–2''** पर उपलब्ध है।

**निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से**

ह/–
**(एम.के.सिंह)**
**(अध्यक्ष)**
**(डीआईएन 06607392)**

**स्थान : नई दिल्ली**
**दिनांक 21.05.2019**

अनुबंध ग–1

# मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा मुख्य वित्त अधिकारी प्रमाणन

हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के साथ वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वित्तीय विवरणों एवं तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण, तथा रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा की है:–

(i) इन विवरणों में किसी प्रकार के सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक विवरण को हटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं हैं।

(ii) ये विवरण समग्र रूप में कम्पनी के कार्य का वास्तविक व सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुपालन के अनुरुप हैं।

(iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लंघन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है।

(iv) हम आतंरिक नियत्रंण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उतरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कम्पनी में एक कुशल आंतरिक नियत्रंण प्रणाली तैयार की है। हमने आतंरिक नियंत्रणों और इनमें कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के सबंध में लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को बताया है, जिनके बारे में हम जानते हैं।

(v) हमने वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा समिति को इंगित कर दिया है, और इन्हें वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट कर दिया गया है; और

(vi) हमारी जानकारी में धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया है और ना ही कम्पनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबन्धन या कर्मचारी के बारे में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

ह/–
**सुश्री पूजा चौरसिया**
**मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)**

ह/–
**श्री आर.पी.सिंह**
**मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)**

**स्थान : नई दिल्ली**
**दिनांक : 21.05.2019**

अनुबंध–ग2

# वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड के निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में अध्यक्ष द्वारा घोषणा

मैं, एम.के. सिंह अध्यक्ष, इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबन्धन दल द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी की आचार संहिता तथा आधारभूत मूल्यों के अनुपालन की अश्पिुष्टि की गई है।

ह/–
(एम.के.सिंह)
(अध्यक्ष)
(डीआईएन 06607392)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21.05.2019

अनुबंध ग–3

**संतोष पांडे एंड एसोसिएट्स**
पेशेवर कम्पनी सचिव

पताः 611, विशाल टावर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर,
जनकपुरी वेस्ट, नई दिल्ली–110058,
मोबाइल नं. 9999202268
ईमेल आईडी : info@spcounsels.com

# वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए निगमित शासन पर डी.पी.ई के दिशानिर्देशों के अनुपालन संबंधित प्रमाणपत्र

सेवा में,

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लिमिटेड के सदस्य,
नई दिल्ली,

हमने अपकी कंपनी के संबंध में समय–समय पर डीपीई द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम हेतु निगमित शासन पर दिशानिर्देश, 2010 के अनुपालन की जांच की है।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उन क्रिया विधियों और उनके क्रियान्वयन तक सीमित है जिन्हें कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित अवलोकनों के साथ कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन के संबध में सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कारपोरेट शासन पर दिशानिर्देशों का सभी दृष्टिकोणों से निगमित शासन की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

यह भी अवलोकन किया गया था कि डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के अनुसार स्वतत्र निदेशकों के रूप में इसके बोर्ड में एक–तिहाई निदेशक होने चाहिए। तथापि, यह उल्लेख किया गया है कि पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के लिए दिनांक 05.07.2017 के एमसीए अधिसूचना के तहत छूट प्रदान की गई है और दिनांक 16 जनवरी 2019 के कार्यालय ज्ञापन फाइल सं. 18(7)/2013–जीएम के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग यदि चाहे तो सीपीएसई में सहायक कंपनी के बोर्ड में गैर–सरकारी निदेशकों की नियुक्ति कर सकता है।

हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन कंपनी की भावी व्यवहार्यता के लिए आश्वासन है और ना ही उसे कुशलता या प्रभावपूर्णता का आश्वासन है कि जिसके द्वारा प्रबंधन कंपनी के कार्यों का निष्पादन करता है।

**कृते संतोष पांडे एंड एसोसिएट्स**
**ह/–**
**सीएस संतोष पांडे**
**सदस्यता संख्या–ए40908**
**सी.ओ.पी सं.15211**

**स्थान : नई दिल्ली**
**दिनांक : 21-05-2019**

INFRA & SERVICES

KKSA®
SERVICE IS OUR RELIGION

K. K. SINGH & ASSOCIATES
Company Secretaries

**Head Office:**
384P, Sector-40, Gurugram - 122003, Haryana, India.
Ph.: +91-124-4370002, Fax : +91-124-4370002
E-mail :admin@kksinghassociates.com
Website: www.kksinghassociates.com
www.kksainc.com.

**फार्म सं. एमआर–3**

# सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

**31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु**
**(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं.9 के अनुसरण में)**

**सेवा में,**
**सदस्य,**
**मैसर्स इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड,**
**प्लॉट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017**

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड (जिसे यहां आगे ''कंपनी'' कहा जाएगा) द्वारा अच्छी निगमित पद्धतियों के अनुपालन की लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी, जिससे हमें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और इन पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आधार मिला है।

कंपनी की बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट देते हैं कि हमारे मतानुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रकियाएं भी हैं और उस स्तर तक तथा उस रूप में अनुपालन तंत्र विद्यमान है और यहां आगे उल्लिखित रिपोर्टिंग के मद्देनजर है:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच की है:

**I.** कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियम:

**II.** प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (''एससीआरए'') और तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियम: (समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)

**III.** डिपॉजिटरी एक्ट, 1966 तथा इसके अंतर्गत निर्मित विनियम तथा उप–नियम:(समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)

**IV.** विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के स्तर तक विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम और विनियम (समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)

**V.** भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम (''सेबी अधिनियम'') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देशः लागू नहीं

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का व्यपाक अधिग्रहण और ओवरटेक) विनियम, 2011 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भीतरी व्यापार निषेध) विनियम, 1992 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)

घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन तथा कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशानिर्देश, 1999 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)

(ड.) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों को जारी करना व सूचीकरण) विनियम, 2008 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इश्यु और शेयर हस्तांतरण एजेटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 और यह कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ संव्यवहार से संबंधित है (समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीकरण) विनियम, 2009 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं), और

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बायबैक) विनियम, 1998 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)

**VI.** एक सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम और मैसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन, रेल मंत्रालय के अंतर्गत अनुसूची–क, मिनी रत्न –श्रेणी। कंपनी) की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी होने के कारण, हमने अन्य विशिष्ट लागू अधिनियमों, कानूनों और विनियमों के अनुपालन में कंपनी की जांच और सत्यापन किया है यथाः

(क) निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देश, दिनांक 14 मई 2010.

(ख) लागू स्तर तर संबंधित श्रम कानून।

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है।

**I.** भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानक।

**II.** भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायितव एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015, यदि लागू हो। (समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान तथा प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण और अभ्यावेदनों तथा कंपनी द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के मद्देनजर, कंपनी ने निम्नलिखित अवलोकनों पर उपर्युक्त विषय के संबंध में अधिनियम, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है यथा डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के अंतर्गत यथापेक्षित निदेशकों के लिए आचार संहित को दिनांक 24.03.2019 को बोर्ड बैठक में अनुमोदित किया गया था और इसे कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस रिपोर्ट के वर्ष के दौरान निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर 18,08,000 रूपए की अपेक्षित राशि की तुलना में 14,60,151 रूपए खर्च किए हैं।

## हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

कंपनी के निदेशक मंडल का उपर्युक्त अवलोकनों के मद्देनजर कार्यपालक निदेशक और गैर कार्यपालक निदेशक के उचित शेष के साथ विधिवत रूप से गठन किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बोर्ड की संरचना में परिवर्तन हुए थे, वित्तीय वर्ष 2017–18 में दो निदेशकों ने अपने पद से त्यागपत्र दिया है, जिसके परिणामस्वरूप, आठ दिनों के लिए निदेशकों की संख्या अपेक्षित संख्या से कम रही। तथापि, हमारी धारक कंपनी द्वारा नामांकन आधार पर क्रमशः दिनांक 05.04.2018 और 10.04.2018 को नए निदेशकों की नियुक्ति की गई है। कंपनी के चार निदेशक इसकी धारक कंपनी द्वारा नामांकित हैं, जो गैर कार्यपालक निदेशक हैं जबकि डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के खंड 3.1.3 के अनुसार, नामांकित निदेशकों की अधिकतम संख्या दो निदेशकों तक सीमित रहेगी। रिपोर्ट के वर्ष के दौरान, कंपनी के लिए अपेक्षित है कि डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के अनुसार निदेशक मंडल में 1/3 स्वतंत्र निदेशक हों, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों के होने की अपेक्षा के संबंध में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के लिए दिनांक 05.07.2017 की एमसीए अधिसूचना के तहत छूट प्रदान की गई है।

सभी निदेशकों को उपयुक्त नोटिस दिया गया है कि वे समिति बैठकों के साथ बोर्ड बैठकों की अनुसूची तैयार करें तथा सात दिन या उससे कम अवधि के पूर्व नोटिस पर कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट तैयार करें, जैसा भी मामला हो, और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर कोई अन्य सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए तथा निदेशको द्वारा बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी की प्रणाली विद्यमान है।

प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के रूप में बोर्ड बैठकों के निर्णय एकमत से लिए जाते हैं।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अनुपालन की मॉनीटरिंग करने और इनके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप उपयुक्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी में निम्नलिखित घटनाएं/क्रियाएं हुई हैं जिनका कंपनी की कार्यप्रणाली पर प्रमुख प्रभाव पड़ा है:

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि रिपोर्ट की अवधि के दौरान, कंपनी में निम्नलिखित कोई घटना नहीं हुई है:

**I.** पब्लिक/राइट/प्रेफरेंशियर शेयरों/डिबेंचरों/स्वीट इक्विटी, आदि जारी किया जाना।

**II.** प्रतिभूतियों का रिडम्पशन/बाय–बैक

**III.** कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 180 के अनुसरण में सदस्यों द्वारा प्रमुख निर्णय लिया जाना।

**IV.** विलय/एमलबमेशन/पुनर्संरचना आदि

**V.** विदेशी तकनीकी गठजोड़

कृते के.के.सिंह एंड एसोसिएट्स कंपनी सचिव

ह/–
सीएस रिचा सिंह
भागीदार
एफसीएस:44237 सीपी सं.:16640

**दिनांकः 21.05.2019**
**स्थानः गुरूग्राम**

'इस रिपोर्ट को अनुबंध–क के रूप में अनुबंधित हमारे समसंख्यक पत्र के साथ पढ़ा जाए और यह इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

KKSA®
SERVICE IS OUR RELIGION

**K. K. SINGH & ASSOCIATES**
**Company Secretaries**

**Head Office:**
384P, Sector-40, Gurugram - 122003, Haryana, India.
Ph.: +91-124-4370002, Fax : +91-124-4370002
E-mail :admin@kksinghassociates.com
Website: www.kksinghassociates.com
www.kksainc.com.

**अनुबंध–क**

**सेवा में,**

**सदस्य,**
**मैसर्स इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड,**
**प्लॉट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017**

हमारी समतिथिक रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाए:

1. सचिवीय रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारर निष्कर्षों / लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपना मत अभिव्यक्त करना है।

2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय रिकार्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। जांच आधार पर सत्यापन किया गया था ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि रिकार्डों में सही तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। हमारा मत है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धतियां और प्रक्रियाएं, हमारे मत के लिए युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं की है। हमने संगत वित्तीय वर्ष के लेखा बहियों, दस्तावेजों तथा वित्तीय विवरणों के अनुरक्षण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसे अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुपालन के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का आश्रय लिया है, जो हमें कंपनी के कार्यकलापों का सत्य एवं सही स्थिति प्रस्तुत करता है।

4. हमने सेवाकर या जीएसटी सहित वित्तीय नियमों के अनुपालन के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का आश्रय लिया है। जैसा भी मामला हो और हमने उनका अवलोकन नहीं किया है।

5. जहां कहीं अपेक्षित हुआ, हमने कानूनों, नियमों, विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

6. निगमित तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रकियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट ना तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के लिए आश्वासन है और ना ही कुशलता या प्रभावपूणता के लिए है जिसके द्वारा प्रबंधन कंपनी के कार्यों का संचालन करेगी।

**कृते के.के. सिंह एंड एसोसिएट्स कंपनी सचिव**

**ह/–**
**सीएस रिचा सिंह**
**भागीदार**
**एफसीएस:44237 सीपी सं.:16640**

**दिनांकः 21.05.2019**
**स्थानः गुरूग्राम**

अनुबंध–ड.

फॉर्म सं. एमजीटी–9

# वार्षिक रिटर्न का सार

**31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष को**
**(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1)के अनुसरण में)**

## I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरा:

| | |
|---|---|
| सीआईएन | यू45400डीएल2009जीओआई194792 |
| पंजीकरण तिथि | 30 सितंबर, 2009 |
| कंपनी का नाम | इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एंड सर्विसेज लिमिटेड |
| कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी | शेयर द्वारा कंपनी लिमिटेड |
| पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क ब्यौरा | प्लॉट सं सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली – 110017 दूरभाष 011–29565666 |
| क्या सूचीबद्ध कंपनी है | नहीं |
| रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता तथा संपर्क ब्यौरा | लागू नहीं |

## II. कंपनी का प्रधान व्यावसायिक गतिविधियां:

कंपनी की सभी व्यावसायिक गतिविधियां जो कंपनी के कुल टर्नओवर का 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करती हैं, निम्नानुसार हैं:

| क्र.स. | मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम तथा विवरण | उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड | कंपनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | भारतीय रेल प्रणाली के प्रयोक्ताओं को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बहुउद्देशीय परिसरों (एमएफसी) आदि के अवसंरचना के निर्माण के क्षेत्र में नियोजन, अभिकल्पन, विकास, सुधार, कार्य आरंभ, प्रचालन और अनुरक्षण आदि करने हेतु। | 6810 | 25.18 प्रतिशत |
| 2 | परियोजना प्रबंधन परामर्श परियोजना | 7110 | 67.50 प्रतिशत |

## III. धारक कंपनी, सहायक कंपनी तथा संबद्ध कंपनियों का विवरण:

| क्र. सं. | कंपनी का नाम व पता | सीआईएन/जीएलएन | धारक/सहायक/संबद्ध कंपनी | धारित शेयरों का प्रतिशत | लागू अनुच्छेद |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड | यू45203डीएल1976जीओआई008171 | धारक कंपनी | 100 प्रतिशत | 2(46) |

## IV. शेयर धारिता पैटर्नः

(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रुप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

i) श्रेणीवार शेयर धारित

| शेयरधारकों की श्रेणी | वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या | | | | वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या | | | | वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | डीमेट | भौतिक | कुल | कुल शेयरों का प्रतिशत | डीमेट | भौतिक | कुल | कुल शेयरों का प्रतिशत | |
| **क. प्रमोटर** | | | | | | | | | |
| **(1) भारतीय** | | | | | | | | | |
| क) व्यक्तिगत/एचयूएफ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ख) केन्द्र सरकार | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ग) राज्य सरकार | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| घ) निकाय निगम | - | 6,50,00,000 | 6,50,00,000 | 100% | - | 6,50,00,000 | 6,50,00,000 | 100% | - |
| ड.) बैंक/वित्तीय संस्थान | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| च) कोई अन्य | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **उप कुल (क) (1)** | **-** | **6,50,00,000** | **6,50,00,000** | **100%** | **-** | **6,50,00,000** | **6,50,00,000** | **100%** | **-** |
| **(2) विदेशी** | | | | | | | | | |
| क) एनआरआई-व्यक्तिगत | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ख) अन्य–व्यक्तिगत | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ग) निकाय निगम | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| घ) बैंक/वित्तीय संस्थान | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ड.) कोई अन्य | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **उप कुल (क) (2)** | **-** | **शून्य** | **शून्य** | **शून्य** | **-** | **शून्य** | **शून्य** | **शून्य** | **-** |
| **प्रमोटर की कुल शेयरधारिता (क)=(क)(1)+(क)(2)** | **-** | **6,50,00,000** | **6,50,00,000** | **100%** | **-** | **6,50,00,000** | **6,50,00,000** | **100%** | **-** |
| **ख. जन शेयरधारिता** | | | | | | | | | |
| **(1) संस्थान** | | | | | | | | | |
| क) म्यूचुवल फंड | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ख) बैंक/वित्तीय संस्थान | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ग) केन्द्र सरकार | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| घ) राज्य सरकार | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ड.) उपक्रम पूंजी निधि | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| च) बीमा कंपनियां | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| छ) एफआईआई | | | - | - | - | - | - | - | - |
| ज) विदेशी उपक्रम | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पूंजी निधियां | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| झ) अन्य (विनिर्दिष्ट) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **उपकुल (ख)(1):** | | **शून्य** | **शून्य** | **शून्य** | **शून्य** | **शून्य** | **शून्य** | **शून्य** | **शून्य** |
| **(2) गैर संस्थागत** | | | | | | | | | |
| क) निकाय निगम | | | | | | | | | |
| i) भारतीय | - | - | | | - | - | - | - | - |
| ii) विदेशी | - | - | | | - | - | - | - | - |
| ख) व्यक्तिगत | - | - | | | - | - | - | - | - |
| i) व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा 1लाख रुपए तक समान्य शेयर पूंजी का धारण | - | - | | | - | - | - | - | - |

| शेयरधारकों की श्रेणी | वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या | | | | वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या | | | | वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | डीमेट | भौतिक | कुल | कुल शेयरों का प्रतिशत | डीमेट | भौतिक | कुल | कुल शेयरों का प्रतिशत | |
| ii) व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा 1 लाख रुपए से अधिक समान्य शेयर पूंजी का धारण | - | - | | | - | - | - | - | - |
| ग) अन्य (विनिर्दिष्ट) | - | - | | | - | - | - | - | - |
| **उप कुल (ख)(2):** | - | शून्य | शून्य | शून्य | - | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| **कुल जन शेयरधारिता (ख)=(ख)(1) + (ख)(2)** | - | **शून्य** | **शून्य** | **शून्य** | - | **शून्य** | **शून्य** | **शून्य** | **शून्य** |
| **ग. जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **सकल योग (क+ख+ग)** | | **6,50,00,000** | **6,50,00,000** | **100%** | - | **6,50,00,000** | **6,50,00,000** | **100%** | - |

## ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता

| क्र. सं | शेयरधारकों के नाम | वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता | | | वर्ष के अंत में शेयरधारिता | | | वर्ष के दौरान धारित शेयरों मे प्रतिशत परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत | कुल शेयरों के प्रति गिरवी शेयरों का प्रतिशत | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत | कुल शेयरों के प्रति गिरवी शेयरों का प्रतिशत | |
| 1. | इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और इसके 6 नामिति | 6,50,00,000 | 100% | - | 6,50,00,000 | 100% | - | |
| | **कुल** | **6,50,00,000** | **100%** | - | **6,50,00,000** | **100%** | - | **100%** |

## iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया विनिर्दिष्ट करें यदि कोई परिवर्तन नहीं है)

| विवरण | वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता | | वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत |
| वर्ष के आरंभ में | वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं | | | |
| वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी और इसमें वृद्धि/कमी के कारणों को दर्शाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण / बोनस /स्वेट इक्विटी आदि): | वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं | | | |
| वर्ष के अंत में | वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं | | | |

**iv) शीर्ष 10 शेयरधारकों का शेयरधारण पैटर्न (निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर व एडीआर के धारकों से इतर):**

| प्रत्येक शीर्ष 10 शेयरधारकों हेतु | वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता | | वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत |
| वर्ष के आरंभ में | | | | |
| वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी और इसमें वृद्धि/कमी के कारणों को दर्शाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/बोनस /स्वेट इक्विटी आदि): | शून्य | | | |
| वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तिथि को, यदि वर्ष के दौरान पृथक हुए हैं) | | | | |

**v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:**

| प्रत्येक निदेशक और केएमपी हेतु | वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता | | वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत |
| वर्ष के आरंभ में | | | | |
| वृद्धि/कमी के कारणों को दर्शाते हुए (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/बोनस /स्वेट इक्विटी आदि) वर्ष के दौरान तिथिवार वृद्धि/कमी : | शून्य | | | |
| वर्ष के अंत में | | | | |

## V. ऋणग्रस्तता :

बकाया ब्याज/अर्जित परंतु भुगतान के लिए देय नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता :

(₹ करोड़ में)

| | जमा को छोड़कर रक्षित ऋण | अरक्षित ऋण | जमा | कुल ऋणग्रस्तता |
|---|---|---|---|---|
| **वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता** | | | | |
| i) मूल राशि | – | शून्य | – | शून्य |
| ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज | – | शून्य | – | शून्य |
| iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं | – | शून्य | – | शून्य |
| **कुल (i + ii + iii)** | – | **शून्य** | – | **शून्य** |
| **वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन** | | | | |
| – परिवर्धन | – | शून्य | – | शून्य |
| – कमी | – | शून्य | – | शून्य |
| **निवल परिवर्तन** | – | **शून्य** | – | **शून्य** |
| **वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता** | | | | |
| i) मूल राशि | – | शून्य | – | शून्य |
| ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज | – | शून्य | – | शून्य |
| iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं | – | शून्य | – | शून्य |
| **कुल (i + ii + iii)** | – | **शून्य** | – | **शून्य** |

## VI. निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

### क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/या प्रबंधक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक *:

| क्र. सं. | पारिश्रमिक का विवरण | प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम | | | | कुल राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **सकल वेतन** | | | | | |
| (क) | आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन | | | | | |
| (ख) | आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य | | | | | |
| (ग) | आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ | | | | | |
| 2 | स्टॉक विकल्प | | | | | |
| 3 | स्वेट इक्विटी | | | लागू नहीं | | |
| 4 | अन्य के लाभ का प्रतिशत बतौर कमीशन, उल्लेख करें | | | | | |
| 5 | अन्य (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्क्स टैक्स आदि) | | | | | |
| | **कुल (क)** | | | | | |
| | अधिनियम के अनुसार सीमा | | | | | |

*इरकॉन आईएसएल के बोर्ड में धारक कंपनी द्वारा नामित 4 अंशकालीन निदेशक हैं जो कंपनी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करते हैं। अंशकालीन निदेशकों को कोई बैठक शुल्क नहीं दिया जाता है।

### ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

| क्र. सं. | पारिश्रमिक का विवरण | निदेशकों के नाम | | कुल राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | स्वतंत्र निदेशक | | | |
| क) | बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क | | | |
| ख) | कमीशन | | | |
| ग) | अन्य, कृपया स्पष्ट करें (बोर्ड उप–समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क) | | | |
| | **कुल (1)** | | | |
| 2 | अन्य गैर अधिशासी निदेशक | | | |
| क) | बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क | | लागू नहीं | |
| ख) | कमीशन | | | |
| ग) | अन्य, कृपया स्पष्ट करें | | | |
| | **कुल (2)** | | | |
| | **कुल (ख) = (1+2)** | | | |
| | **कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक** | | | |
| | **अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा** | | | |

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

| क्र. सं. | पारिश्रमिक का विवरण | मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक | | | कुल राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| | | मुख्य अधिशासी अधिकारी | कंपनी सचिव | मुख्य वित्त अधिकारी | |
| 1 (क) | सकल वेतन<br>आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन | 35,93,064 | 14,29,852 | 2,74,333 | |
| (ख) | आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य | - | - | - | |
| (ग) | आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ | शून्य | शून्य | शून्य | |
| 2 | स्टॉक विकल्प | शून्य | शून्य | शून्य | |
| 3 | स्वेट इक्विटी | शून्य | शून्य | शून्य | |
| 4 | कमीशन | | | | |
| | –लाभ के % के रूप में<br>–अन्य, स्पष्ट करें | शून्य | शून्य | शून्य | |
| 5 | अन्य, स्पष्ट करें | | | | |
| | क) अन्य सेवानिवृत्ति लाभ | 7,55,077 | 2,27,369 | 12,720 | |
| | ख) निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन | 13,22,266 | 3,54,348 | - | |
| | ग) अन्य लाभ | 2,45,305 | 89,388 | | |
| | **कुल (क)** | **59,15,712** | **21,00,957** | **2,87,053** | |
| | अधिनियम के अनुसार सीमा | | | | |

## VII. दंड/सज़ा/अपराधों की कंपाउंडिंग:

| प्रकार | कंपनी अधिनियम की धारा | संक्षिप्त विवरण | दंड/सज़ा/कंपाउंडिंग फीस का विवरण | प्राधिकरण (आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट) | अपील, यदि की गई है (विवरण दें) |
|---|---|---|---|---|---|
| दंड | | | | | |
| सज़ा | | | | | |
| कंपाउंडिंग | | | शून्य | | |
| **ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी** | | | | | |
| दंड | | | | | |
| सज़ा | | | | | |
| कंपाउंडिंग | | | | | |

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से
ह/–
(एम.के.सिंह)
(अध्यक्ष)
(डीआईएन 06607392)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21.05.2019

अनुबंध–च

# फार्म सं– एओसी–2

वर्ष 2018–19 (1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक) तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कतिपय आर्म–लैंथ संव्यवहारों सहित कंपनी अधिनियम, 2013, के अनुच्छेद 188 (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं / व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटन हेतु फॉम

**संविदाओं या संव्यवहारों का ब्यौरा जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं हैं : शून्य**

सामग्री संविदाओं या संव्यवहारों का ब्यौरा जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं हैं :

| क्र. सं | संबंधित पक्षों के नाम और संबंध की प्रकृति | संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की प्रकृति | संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की अवधि | मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की प्रमुख विशेषताएं | बोर्ड की स्वीकृति की तिथि, यदि कोई हो | अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड धारक कंपनी | धारक कंपनी, इरकॉन द्वारा उपलब्ध कार्यालय स्थल (पट्टा करार का नवीकरण) | पट्टा करार तिथि 17 अगस्त 2017<br>अवधिः 1 अप्रैल 2017 से 2 वर्ष | 1,34,238.60 रूपए प्रति माह की दर से दिनांक 01.04.2017 से दो वर्ष की अवधि के लिए कार्यालय स्थल पट्टे पर प्रदान किया गया है। | लागू नही | शून्य |
| 2 | इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड धारक कंपनी | इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की अल्जीरिया परियोजना और कोलकाता परियोजना के लिए श्रमशक्ति की आपूर्ति तथा डूमेटिक मशीन (जयनगर) की आपूर्ति और मलेशिया परियोजना में श्रमशक्ति की आपूर्ति | करार पर क्रमशः दिनांक 26 मार्च 2019, 25 मार्च 2019 तथा 28 मार्च 2019 को हस्ताक्षर किए गए। दिनांक 13 मार्च 2019 को श्रमशक्ति करार का एक्स्टेंशन किया गया। | | लागू नही | शून्य |

उपर्युक्त संव्यवहार को इरकॉन आईएसएल की लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है।

**निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से**

ह/–
(एम.के.सिंह)
(अध्यक्ष)
(डीआईएन 06607392)

**स्थान : नई दिल्ली**
**दिनांक : 21.05.2019**

# वित्तीय विवरण

# 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन आईएसएल की वित्तीय विशेषताएं

(₹ लाख में)

| विवरण | 2018-19 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रचालनिक आय | 7,064.00 | 3,235.51 | 4,098.22 | 7,404.72 | 3,638.76 | 3,107.51 |
| अन्य आय | 577.52 | 676.33 | 625.51 | 782.65 | 512.33 | 91.20 |
| **कुल आय (1+2)** | **7,641.51** | **3,911.85** | **4,723.73** | **8,187.37** | **4,151.08** | **3,198.72** |
| व्यय | 5,921.90 | 2,101.22 | 2,643.20 | 5,926.33 | 2,122.00 | 1,858.00 |
| प्रचालनिक मार्जिन (पीबीडीआईटी) | 2,036.89 | 2,365.75 | 2,705.60 | 2,956.62 | 2,836.60 | 1,893.04 |
| ब्याज व्यय | 4.77 | 137.79 | 263.39 | 391.09 | 560.60 | 485.90 |
| मूल्यह्रास | 312.50 | 417.33 | 361.68 | 304.49 | 247.23 | 66.59 |
| **कर पूर्व लाभ** | **1,719.61** | **1,810.63** | **2,080.53** | **2,261.04** | **2,028.77** | **1,340.55** |
| **कर पश्चात लाभ** | **1,402.59** | **1,365.44** | **1,236.28** | **1,422.28** | **1,092.60** | **766.04** |
| आरक्षित निधियां एवं अतिरेक | 7,737.88 | 6,335.29 | 4,969.91 | 3,733.64 | 2,311.36 | 1,218.76 |
| दीर्घकालीन ऋण | - | - | 1,834.00 | 2,521.00 | 3,150.00 | 4,815.40 |
| शेयर पूंजी | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| शेयर पूंजी लंबित आवंटन | - | - | - | - | 2,500.00 | - |
| **निवल परिसंपत्ति** | **14,237.88** | **12,835.29** | **11,469.91** | **10,233.64** | **8,811.36** | **5,218.76** |

सीआईएन–यू45400डीएल2009जीओआई194792

31 मार्च 2019 को

# तुलन पत्र

(रु. में)

| | विवरण | नोट सं. | 31 मार्च 2019 को | | 31 मार्च 2018 को | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | **परिसंपत्ति** | | | | | |
| 1 | **गैर वर्तमान परिसंपत्तियां** | | | | | |
| | (क) संपत्ति, संयत्र और उपकरण | 3 | 57,075,782 | | 70,635,076 | |
| | (ख) पूंजीगत प्रगतिरत कार्य | 4 | 22,360,750 | | 21,715,638 | |
| | (ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां | 5 | 875,981,09 | | 893,914,204 | |
| | (घ) वित्तीय परिसंपत्तियां | 6 | | | | |
| | (i) ऋण | 6.1 | 494,102 | | - | |
| | (ii) अन्य | 6.2 | 24,590,291 | | 38,128,188 | |
| | (ड.) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां | 7 | 70,223,850 | | 67,256,781 | |
| | (च) आस्थगित कर परिसंपत्तियां | 8 | 2,171,759 | | 5,599,238 | |
| | | | | 1,052,898,044 | | 1,097,249,125 |
| 2 | **चालू परिसंपत्तियां** | | | | | |
| | (क) दरसूचियां | 9 | 36,739 | | 33,583 | |
| | (ख) वित्तीय परिसंपत्तियां | 10 | | | | |
| | (i) व्यापार प्राप्य राशियां | 10.1 | 634,374,775 | | 381,287,981 | |
| | (ii) नकद और नकदी समतुल्य | 10.2 | 7,304,800 | | 129,874,843 | |
| | (iii) बैंक शेष उपरोक्त (ii) के अलावा | 10.3 | 1,343,284,599 | | 417,205,605 | |
| | (iv) ऋण | 10.4 | 872,788 | 563,500 | | |
| | (v) अन्य | 10.5 | 141,568,461 | | 41,563,367 | |
| | (ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल) | 11.1 | - | | 2,065,416 | |
| | (घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां | 12 | 8,119,861 | 2,135,562,024 | 3,114,373 | 975,708,668 |
| | **कुल परिसंपत्तियां** | | | **3,188,460,068** | | **2,072,957,793** |
| II. | **इक्विटी और देयताएं** | | | | | |
| 1 | **इक्विटी** | | | | | |
| | (क) कुल इक्विटी शेयर | 13 | 650,000,000 | | 650,000,000 | |
| | (ख) अन्य इक्विटी | 14 | 773,787,820 | 1,423,787,820 | 633,528,980 | 1,283,528,980 |
| 2 | **देयताएं** | | | | | |
| (i) | गैर वर्तमान देयताएं | | | | | |
| | (क) वित्तीय देयताएं | 15 | | | | |
| | (i) अन्य वित्तीय देयताएं | 15.1 | 41,419,806 | | 350,469 | |
| | (ख) प्रावधान | 16 | 1,609,296 | | 262,663 | |
| | (ग) आस्थगित कर देयताएं निवल | 8 | 175,903,029.03 | | 184,684,145 | |
| | (घ) अन्य गैर चालू देयताएं | 17 | 317,579,006 | 536,511,137 | 314,739,447 | 500,036,724 |
| 3 | **चालू देयताएं** | | | | | |
| | क) वित्तीय देयताएं | 18 | | | | |
| | (i) व्यापार प्राप्य (निवल) | 18.1 | | | | |
| | - सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के कुल बकाया देय | | 19,122,697 | - | | |
| | - सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से इतर ऋणदाताओं के कुल बकाया देय | | 132,004,187 | | 10,007,606 | |
| | (ii) अन्य वर्तमान देयताएं | 18.2 | 55,649,086 | | 50,846,184 | |
| | (ख) चालू कर देयताएं (निवल) | 11.2 | 4,107,997 | - | | |
| | (ग) अन्य चालू देयताएं | 19 | 1,016,767,637 | | 228,219,857 | |
| | (घ) प्रावधान | 20 | 509,507 | 1,228,161,111 | 318,442 | 289,392,089 |
| | **कुल इक्विटी और देयताएं** | | | **3,188,460,068** | | **2,072,957,793** |
| III. | वित्तीय विवरणों के संलग्न नोटों को देखें | | | | | |

**हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**
**कृते कपूर गोयल एंड कंपनी**
**सनदी लेखाकार**
**फर्म पंजीकरण सं. 001370एन**

ह/–
**सीए तरूण कपूर**
**(साझेदार)**
**स.सं. 095949**

**स्थान : नई दिल्ली**
**दिनांक : 21-05-2019**

**निदेशक मंडल के निमित्त और की ओर से**

ह/–
**पूजा चौरसिया**
**सी.एफ.ओ**

ह/–
**राणा प्रताप सिंह**
**सी.ई.ओ**

ह/–
**मनीषा गोला**
**कंपनी सचिव**

ह/–
**सुरजीत दत्ता**
**निदेशक**
**(डीआईएन– 06687032)**

ह/–
**एम के सिंह**
**अध्यक्ष**
**(डीआईएन–06687032)**

सीआईएन–यू45400डीएल2009जीओआई194792

# लाभ एवं हानि विवरण

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु

(रु. में)

| | विवरण | नोट सं. | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|---|
| | **राजस्व :** | | | |
| I | प्रचालनों से राजस्व | 21 | 706,399,554 | 323,551,393 |
| II | अन्य आय | 22 | 57,751,589 | 67,633,147 |
| III | **कुल आय (I + II)** | | **764,151,143** | **391,184,540** |
| IV | व्यय: | | | |
| | प्रचालनिक आय | 23 | 442,259,082 | 86,040,715 |
| | कर्मचारी लाभ व्यय | 24 | 82,918,777 | 42,028,573 |
| | वित्तीय लागतें | 25 | 477,412 | 13,778,795 |
| | मूल्यह्रास एवं परिशोधित व्यय | 26 | 31,250,447 | 41,732,982 |
| | प्रशासनिक एवं अन्य व्यय | 27 | 35,284,536 | 26,540,569 |
| | **कुल व्यय (IV)** | | **592,190,253** | **210,121,635** |
| V | आपवादिक मदों और कर से पूर्व लाभ/घाटा (I - IV) | | 171,960,889 | 181,062,905 |
| VI | आपवादिक मदें | | | |
| VII | कर पूर्व लाभ/(हानि) (V - VI) | | 171,960,889 | 181,062,905 |
| VIII | कर व्यय: | 28 | | |
| | (1) चालू कर | | | |
| | - वर्ष हेतु | | 37,055,508 | 38,641,721 |
| | - पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (निवल) | | - | -8,757,877 |
| | (2) आस्थगित कर (निवल) | | -5,353,585 | 14,635,202 |
| | कुल कर व्यय (VIII) | | 31,701,924 | 44,519,046 |
| IX | निरंतर प्रचालन से इस अवधि के लिए लाभ/(हानि) (VII - VIII) | | 140,258,966 | 136,543,859 |
| X | बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि) | | - | - |
| XI | बंद प्रचालनों के कर व्यय | | - | - |
| XII | बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (X-XI) | | - | - |
| XIII | अवधि के लिए लाभ/(हानि) (IX+XII) | | **140,258,966** | **136,543,859** |
| XIV | अन्य वृहत आय | 29 | | |
| | क. (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा | | -178 | -8,375 |
| | (ii) मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ और हानि में पुनवर्गीकृत नहीं किया जाएगा | | 52 | 2,898 |
| | ख. (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुनवर्गीकृत किया जाएगा | | | |
| | (ii) मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ और हानि में पुनवर्गीकृत किया जाएगा | | | |
| | | | **-126** | **-5,477** |
| XV | अवधि के लिए कुलप वृहत आय (IX+X)(अवधि के लिए वृहत लाभ और अन्य वृहत आय) | | **140,258,840** | **136,538,383** |
| XVI | प्रति इक्विटी शेयर आमदनी: (निरंतर प्रचालन हेतु) | | | |
| | (1) मूल | 30 | 2.16 | 2.10 |
| | (2) विलयित | | 2.16 | 2.10 |
| XVII | प्रति इक्विटी शेयर आमदनी: (बंद प्रचालन हेतु) | | | |
| | (1) मूल | | | |
| | (2) विलयित | | | |
| XVIII | प्रति इक्विटी शेयर आमदनी: (बंद तथा जारी प्रचालन हेतु) | | | |
| | (1) मूल | 30 | 2.16 | 2.10 |
| | (2) विलयित | 2.16 | 2.10 | |

**हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**
**कृते कपूर गोयल एंड कंपनी**
**सनदी लेखाकार**
**फर्म पंजीकरण सं. 001370एन**

ह/–
सीए तरूण कपूर
(साझेदार)
स.सं. 095949

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21-05-2019

**निदेशक मंडल के निमित्त और की ओर से**

| | | |
|---|---|---|
| ह/–<br>पूजा चौरसिया<br>सी.एफ.ओ | ह/–<br>राणा प्रताप सिंह<br>सी.ई.ओ | ह/–<br>मनीषा गोला<br>कंपनी सचिव |
| ह/–<br>सुरजीत दत्ता<br>निदेशक<br>(डीआईएन– 06687032) | ह/–<br>एम के सिंह<br>अध्यक्ष<br>(डीआईएन–06687032) | |

सीआईएन–यू45400डीएल2009जीओआई194792

# रोकड़ प्रवाह विवरण

## 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु

(रु. में)

| विवरण | नोट सं. | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|
| **प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह** | | | |
| कर निर्धारण से पूर्व निवल लाभ | | 171,960,889 | 181,062,905 |
| समायोजन हेतु : | | | |
| मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि | | 31,250,447 | 41,732,982 |
| परिसंपत्तियों (निवल) के निपटान पर घाटा / (लाभ) | | 325,617 | - |
| वित्तीय लागते | | 477,412 | 13,778,795 |
| ब्याज आय | | | |
| **कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालपनिक लाभ** | **(1)** | **204,014,366** | **236,574,682** |
| **समायोजन हेतु :** | | | |
| इंवेंटरियों में कमी / (वृद्धि) | | (3,156) | -10,982 |
| व्यापार प्राप्यों में कमी / (वृद्धि) | | (254,036,673) | -18,438,184 |
| सीसीई के अतिरिक्त बैंक शेषों में कमी / (वृद्धि) | | (926,078,994) | -223,564,023 |
| ऋणों में कमी / (वृद्धि) | | (309,288) | 16,827 |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि) | | (100,005,095) | 274,921 |
| अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि) | | (5,005,488) | 3,369,929 |
| गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि) | | (494,102) | |
| अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि) | | 13,537,897 | -37,697,616 |
| अन्य गैर चालू वित्तीय देयताएं में कमी / (वृद्धि) | | 2,839,559 | -22,102,883 |
| प्रावधानों में कमी / (वृद्धि) | | 1,346,455 | -375,615 |
| व्यापार प्राप्यों में कमी / (वृद्धि) | | 141,119,278 | 2,714,868 |
| अन्य वित्तीय देयताओं में कमी / (वृद्धि) | | 45,872,239 | -21,281,791 |
| अन्य चालू देयताओं में कमी / (वृद्धि) | | 788,547,780 | 178,514,582 |
| प्रावधानों में कमी / (वृद्धि) | | 191,065 | 181,147 |
| | **(2)** | **(292,478,523)** | **-138,398,820** |
| **प्रचालन से सृजित नकद** | **(1+2)** | **-88,464,157** | **98,175,862** |
| प्रदत्त आयकर | | (32,899,285) | -82,829,202 |
| **प्रचालन गतिविधियों से निवल नकद** | **(क)** | **-121,363,442** | **15,346,660** |
| **निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह** | | | |
| पीपीपी, अमूर्त परिसंपत्तियों और विकासाधीन अमूर्त पर पूंजीगत व्यय | | (2,138,430) | (3,487,953) |
| स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री | | 1,409,242 | 2,703 |
| वर्ष के दौरान प्रदान पूंजी अग्रिम | | | |
| प्राप्त ब्याज | | | |
| **निवेश गतिविधियों से निवल रोकड़** | **(ख)** | **(729,188)** | **(3,485,250)** |

| विवरण | नोट सं. | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|
| **निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह** | | | |
| शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्त धन | | | |
| उधारों से प्राप्त धन | | -229,200,000 | |
| वित्तीय लागत | | (477,412) | -13,778,795 |
| लाभांश (लाभांश संवितरण कर सहित) प्रदत्त | | | |
| **वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड़** | (ग) | **-477,412** | **-242,978,795** |
| **रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्यों में निवल वृद्धि(कमी)** | (क+ख+ग) | **-122,570,042** | **-231,117,385** |
| **रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य (आरंभिक)** | (ङ) | **129,874,843** | **360,992,227** |
| रोकड़ शेष | | 101,548.50 | |
| बैंकों में शेष | | | |
| चालू खाते | | 14,734,322.70 | 71,625,537 |
| – फलैक्सी खाते | | 115,038,971.68 | 133,003,856 |
| अल्पकालीन निवेश | | - | 156,362,834 |
| **रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य (अंतिम)** | (च) | **7,304,800** | **129,874,843** |
| रोकड़ शेष | | 142,224 | 101,548 |
| बैंकों में शेष | | | |
| चालू खाते | | 5,179,237 | 14,734,323 |
| – फलैक्सी खाते | | 1,983,339 | 115,038,972 |
| अल्पकालीन निवेश | | | 0.00 |
| **रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)** | (ङ - च) | **-122,570,043** | **-231,117,384** |

**हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**
**कृते कपूर गोयल एंड कंपनी**
**सनदी लेखाकार**
**फर्म पंजीकरण सं. 001370एन**

ह/–
**सीए तरूण कपूर**
**(साझेदार)**
**स.सं. 095949**

**स्थान : नई दिल्ली**
**दिनांक : 21-05-2019**

**निदेशक मंडल के निमित्त और की ओर से**

ह/–
पूजा चौरसिया
सी.एफ.ओ

ह/–
राणा प्रताप सिंह
सी.ई.ओ

ह/–
मनीषा गोला
कंपनी सचिव

ह/–
सुरजीत दत्ता
निदेशक
(डीआईएन– 06687032)

ह/–
एम के सिंह
अध्यक्ष
(डीआईएन–06687032)

सीआईएन–यू45400डीएल2009जीओआई194792

31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि के लिए

# इक्विटी परिवर्तन विवरण

## क. इक्विटी शेयर पूंजी

(रु. में)

| विवरण | शेयरों की सं. | राशि |
|---|---|---|
| **31 मार्च 2019 को शेष** | **65,000,000** | **650,000,000** |
| जमा : वर्ष के दौरान जारी शेयर | - | |
| **31 मार्च 2019 को शेष** | **65,000,000** | **650,000,000** |

## ख. अन्य इक्विटी

(रु. में)

| विवरण | आरक्षित तथा अतिरेक | | | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन | सामान्य आरक्षित | प्रतिधारित आमदनी | कुल |
| **1 अप्रैल 2018 को शेष** | - | **633,528,980** | - | **633,528,980** |
| लेखांकन नीतियों या पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन | | | | |
| **रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में पुनवर्णित शेष** | - | **633,528,980** | - | **633,528,980** |
| वर्ष के लिए लाभ | - | - | 140,258,966 | 140,258,966 |
| अन्य वृहत आय | - | - | (126) | (126) |
| **कुल वृहत आय** | - | - | **140,258,840** | **140,258,840** |
| सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण | - | - | (140,258,840) | (140,258,840) |
| वर्ष के दौरान जमा | - | 140,258,840 | - | 140,258,840 |
| वर्ष के दौरान प्रतिपूर्ति/जारी | | - | - | - |
| **31 मार्च 2019 को शेष** | - | **773,787,820** | - | **773,787,820** |

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते कपूर गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001370एन

ह/–
सीए तरूण कपूर
(साझेदार)
स.सं. 095949

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21-05-2019

निदेशक मंडल के निमित्त और की ओर से

ह/–
पूजा चौरसिया
सी.एफ.ओ

ह/–
राणा प्रताप सिंह
सी.ई.ओ

ह/–
मनीषा गोला
कंपनी सचिव

ह/–
सुरजीत दत्ता
निदेशक
(डीआईएन– 06687032)

ह/–
एम के सिंह
अध्यक्ष
(डीआईएन–06687032)

सीआईएन–यू45400डीएल2009जीओआई194792

**31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि के लिए**

# इक्विटी परिवर्तन विवरण

## क. इक्विटी शेयर पूंजी

(रु. में)

| विवरण | शेयरों की सं. | राशि |
|---|---|---|
| **अप्रैल 2017 को शेष** | **65,000,000** | **650,000,000** |
| जमा : वर्ष के दौरान जारी शेयर | - | - |
| **31 मार्च 2018 को शेष** | **65,000,000** | **650,000,000** |

## ख. अन्य इक्विटी

(रु. में)

| विवरण | आरक्षित तथा अतिरेक | | | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन | सामान्य आरक्षित | प्रतिधारित आमदनी | कुल |
| **1 अप्रैल 2017 को शेष** | - | **496,990,598** | - | **496,990,598** |
| लेखांकन नीति या पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन | | | | |
| **रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में पुनर्वर्णित शेष** | - | **496,990,598** | - | **496,990,598** |
| वर्ष के लिए लाभ | - | - | 136,543,859 | 136,543,859 |
| अन्य वृहत आय | - | - | (5,477) | (5,477) |
| **कुल वृहत आय** | - | - | **136,538,383** | **136,538,383** |
| सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण | - | - | (136,538,383) | (136,538,383) |
| वर्ष के दौरान संवर्धन | - | 136,538,383 | - | 136,538,383 |
| वर्ष के दौरान प्रतिपूर्ति/जारी | | - | - | |
| **31 मार्च 2018 को शेष** | - | **633,528,980** | - | **633,528,980** |

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते कपूर गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001370एन

ह/–
सीए तरूण कपूर
(साझेदार)
स.सं. 095949

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21-05-2019

निदेशक मंडल के निमित्त और की ओर से

ह/–
पूजा चौरसिया
सी.एफ.ओ

ह/–
राणा प्रताप सिंह
सी.ई.ओ

ह/–
मनीषा गोला
कंपनी सचिव

ह/–
सुरजीत दत्ता
निदेशक
(डीआईएन– 06687032)

ह/–
एम के सिंह
अध्यक्ष
(डीआईएन–06687032)

# वित्तीय वर्ष 2018–19 के लेखों के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

## नोट 1: निगमित सूचना

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह कंपनी भारत में आधारित है और इसे भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित किया गया है। आरंभ में कंपनी का निगमन रेलवे प्रयोक्ताओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चिह्नित रेलवे स्टेशनों पर बहुउद्देशीय परिसरों के निर्माण और विकास के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने धीरे–धीरे धारित कंपनी सहित विभिन्न ग्राहकों के लिए अवसंरचना परामर्श परियोजनाओं, डीपीआर एवं एफएस तैयार करना, परियोजना प्रबंधन परामर्श परियोजनाओं, श्रमशक्ति आपूर्ति, संयंत्र एवं मशीनरी का पट्टाकरण, बहुउद्देशीय परिसरों को उप पट्टे पर देने तथा सीएसआर परियोजनाओं का कार्य भी आरंभ किया है। कंपनी घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार के बाजारों में कार्य कर रही है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017 में स्थित है।

## नोट 2: इंड एस (स्टेंडएलोन) के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीति

### तैयार करने के आधार

### 2.1 अनुपालन विवरण

दिनांक 31 मार्च 2019 को और इस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों को कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016 तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम 2017 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) के अनुसार तैयार किया गया है।

### 2.2 मापन का आधार

वित्तीय विवरण को ऐतिहासिक लागत अभिसमय तथा संचित आधार पर तैयार किया गया है, केवल निम्नलिखित मदों को छोड़कर, जिन्हें संगत इंड एएस द्वारा यथापेक्षित उचित मूल्य पर मापा गया है।

i) निर्धारित लाभ योजना।

ii) कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है।

### 2.3 अनुमानों और निर्णय का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को इंड एएस के अनुरूप तैयार किए जाने के लिए प्रबंधन को ऐसे निर्णय, अनुमान तथा संभावनाएं प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग तथा वित्तीय विवरणों की तिथि को परिसंपत्तियों, देयताओं, की रिपोर्टिंग राशि तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों और देयताओं के अनुप्रयोग को प्रभावित करे। वास्तविक परिणाम उनके अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

**प्रमुख लेखांकन अनुमान एवं निर्णय:**

- वित्तीय प्रलेखों का उचित मूल्य मापन।
- परिसंपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण एवं अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल।
- निर्माण संविदाओं के समापन प्रतिशत का निर्धारण।

- गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि।
- वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि।
- आस्थगित एवं चालू कर अनुमान।
- राजस्व – कंपनी निष्पादन दायित्वों के सम्पूर्ण संतोष के प्रति अपनी प्रगति का युक्तिसंगत रूप से अनुमान लगाने के लिश्चात समय के साथ संतोषजनक निष्पादन दायित्व हेतु राजस्व को स्वीकार करती है।

  राजस्व को स्वीकार करने के लिए कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, दावों (क्षतिपूर्ति, छूट आदि) तथा अन्य भुगतानों पर किए जाने वाले अपेक्षित अनुमानों और निर्णयों के निर्धारण की आवश्यकता है, जिस स्तर तक वे संभावित हैं और वे विश्वसनीय रूप से मापे जाने के लिए सक्षम हों। दावों के लिए अनुमान तैयार करने के प्रयोजन से, कंपनी ने संविदागत तथा ऐतिहासिक सूचना का प्रयोग किया है।

  प्राक्कलनों और अंतर्निहित पूर्वानुमानों की समीक्षा आवधिक रूप से की जाती है। इन अनुमानों में परिवर्तनों और उक्त परिणामों व इस अवधि के लिए स्वीकृत अनुमानों, जिसमें परिणाम ज्ञात/सामग्रीगत होते हैं, के बीच अंतरों के कारण भावी परिणाम भिन्न हो सकते हैं।

## 2.4 रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, जिसके द्वारा गैर–रोकड़ प्रकृति के संव्यवहारों तथा भावी रोकड़ प्राप्तियों या भुगतानों के किसी आस्थगित या बीमांकक के संव्यवहारों को प्रभावित करने से पूर्व लाभ/(हानि को) समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश तथा वित्तीय गतिविधियों को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक किया जाता है।

## 2.5 विदेशी मुद्रा संव्यवहार

### i) क्रियात्मक और प्रतिपादन मुद्रा

वित्तीय विवरणों में शामिल मदों को उस राष्ट्र की प्रधान अर्थव्यवस्था के पर्यावरण की मुद्रा का प्रयोग करते हुए परिवर्तित किया जाता है, जहां कंपनी प्रचालन कर रही है (यथा क्रियात्मक मुद्रा)। वित्तीय विवरणों को भारतीय रूपए में प्रस्तुत किया जाता है, जो कंपनी की प्रतिपादन और क्रियात्मक मुद्रा है।

### ii) विदेशी मुद्रा संव्यवहार

### (क) भारतीय प्रचालनों में संव्यवहारः

i) सभी भारतीय मुद्रा संव्यवहारों को संव्यवहार तिथि को प्रचलित दर पर क्रियात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।

ii) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण, अमूर्त परिसंपत्ति, निवेश संपत्ति,पूर्वप्रदत्त व्ययों, दरसूची, गैर–मौद्रिक मदों को आरंभिक संव्यवहार की तिथि की दर पर परिवर्तित किया जाता है।

iii) मौद्रिक मदों (व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, रोकड़ और बैंक, ऋण तथा कर्ज और अन्य प्राप्य और भुगतानयोग्य) को ऐसी रिपेर्टिंग तिथि को देयताओं हेतु प्रचलित समापन बिक्री दर तथा परिसंपत्तियों को समापन क्रय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

iv) उपर्युक्त संव्यवहारों के संबंध में विदेशी मुद्रा लाभ या हानियों को लाभ व हानि विवरणों में स्वीकार किया गया है।

**(ख) विदेशी प्रचालनों के संव्यवहार**

i) सभी विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को संव्यवहार की तिथि को प्रचलित दर पर क्रियात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाएगा।

ii) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण, अमूर्त परिसंपत्ति, निवेश संपत्ति, पूर्वप्रदत्त व्ययों, दरसूची, गैर–मौद्रिक मदों को आरंभिक संव्यवहार की तिथि की दर पर परिवर्तित किया जाता है।

iii) मौद्रिक मदों (व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, रोकड़ और बैंक, ऋण तथा कर्ज और अन्य प्राप्य और भुगतानयोग्य) को ऐसी रिपेर्टिंग तिथि को देयताओं हेतु प्रचलित समापन बिक्री दर तथा परिसंपत्तियों को समापन क्रय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

iv) उपर्युक्त संव्यवहारों के संबंध में विदेशी मुद्रा लाभ या हानियों को लाभ व हानि विवरणों में स्वीकार किया गया है।

**विदेशी प्रचालन के परिणाम और वित्तीय स्थिति, जिनकी क्रियात्मक मुद्रा प्रतिपादन मुद्रा से भिन्न है, को निम्नानुसार प्रतिपादन मुद्रा में परिवर्तित किया जाएगा।**

i) परिसंपत्तियां और देयताएं – रिपोर्टिंग तिथि को समापन बिक्री दर।

ii) आय/व्यय – वर्ष के दौरान औसत विनिमय दर।

iii) क्रियात्मक मुद्रा और प्रतिपादन मुद्रा के परिवर्तन में विनियम अंतरों को ओसीआई (अन्य वृहत आय)में स्वीकार किया जाएगा।

iv) विदेशी प्रचालन के निपटान पर (ग्राहक से सभी प्राप्यों की वसूली पर) ओसीआई (अन्य वृहत आय) के घटकों को संबंधित विदेशी प्रचालन के लाभ या घाटे में परिवर्तित किया जाएगा।

## 2.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को लागत घटा संचित मूल्यह्रास तथा गैर वसूली योग्य घाटों, यदि कोई हो, पर मापा जाएगा।

(ख) मशीनरी कलपुर्जे जिनका प्रयोग केवल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में हो सकता है और ऐसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के शेष जीवनकाल पर इनका प्रयोग अनियमित और पूंजीकृत तथा मूल्यह्रासित/परिशोधित किए जाने की संभावना हो।

(ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित अनुवर्ती लागत को परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार किया जाएगा, यदिः

क) यह संभावित है कि मदों से संबंधित भावी आर्थिक लाभ निकाय में प्रवाहित होंगे; और

ख) मद की लागत का परिकलन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता है।

(घ) परिसंपत्ति की लागत में निम्नलिखित शामिल हैंः

i. परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर प्रत्यक्ष रूप से आरोपित लागत।

ii. निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय को उस स्तर तक निर्माण की प्रत्यक्ष लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाएगा जिस स्तर पर वह निर्माण या इसकी आकस्मिकता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है।

iii. वस्तुओं को उस स्थल से विखंडित करने और हटाने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य, यदि स्वीकृति मापदंड को पूरा किया जाए।

(iv) प्रतिस्थापन की लागत, प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण कलपूर्जों की मरम्मत तथा दीर्घकालीन निर्माण परियोजनाओं की ऋण लागत को पूंजीकृत किया गया है, यदि स्वीकृति मापदंड को पूरा किया जाए।

(v) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की कोई मद और कोई महत्वपूर्ण भाग जिसे आरंभिक रूप में स्वीकार किया गया है, को उसके निपटान या जब उसके प्रयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना न हो, पर उसे अस्वीकार किया गया है। परिसंपत्ति को अस्वीकार करने पर उत्पन्न कोई लाभ या हानि (निवल निपटान राशि और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में परिकलित) को आयकर में शामिल किया गया है।

(vii) प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को बकाया संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के अधिग्रहण के प्रति प्रदत्त राशियां और उन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत, जो उस तिथि से पूर्व वांछित प्रयोग के लिए तैयार नहीं है, को प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों के अंतर्गत प्रकट किया जाएगा। वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ होने से पूर्व परियोजनाओं के प्रति प्रत्यक्ष व्यय को परियोजना विकास व्यय के रूप में देखा जाएगा और उन्हें प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों के अंतर्गत दर्शाया जाएगा।

## 2.7 अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों की पहचान तब की जाती है जब यह संभावना हो कि भावी आर्थिक लाभ, जो उस परिसंपत्ति के परिणामस्वरूप होगा, वे उपक्रम में प्रवाहित होंगे और परिसंपत्ति के मूल्य का विश्वसनियता के साथ मापन किया जा सकेगा। अमूर्त परिसंपत्तियों का प्रकटन ऐतिहासिक लागत घटा संचित परिशोधन तथा क्षति, यदि कोई हो, पर किया जाता है।

## 2.8 निवेश परिसंपत्तियां

क. निवेश परिसंपत्ति में निर्मित परिसंपत्ति, निर्माणाधीन परिसंपत्ति तथा वित्तीय पट्टे के अंतर्गत धारित संपत्ति जिसे व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बिक्री या उत्पादन या प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग हेतु के स्थान पर किराया अर्जन या पूंजी संवर्धन या दोनों प्रयोजनों के लिए धारित किया गया है।

ख. निवेश परिसंपत्तियों को लागत पर, संचित मूल्यह्रास तथा संचित अर्जन घाटों, यदि कोई हो, पर लेखांकित किया जाएगा।

ग. कंपनी निवेश परिसंपत्तियों के भवन घटक को मूल क्रय की तिथि/निर्माण के समापन की तिथि से 60 वर्षों में मूल्यह्रासित करेगी।

घ. निवेश संपत्तियों को या तो उनके निपटान किए जाने पर या प्रयोग से उन्हें स्थायी रूप से वापस लिए जाने पर और उनके निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ प्राप्त न होने की संभावना पर अस्वीकृत किया जाएगा। निवल निपटान राशि और परिसंपत्ति की प्रतिधारण राशि के बीच के अंतर को अस्वीकृति की तिथि में लाभ या हानि के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

## 2.9 सहायक कंपनियां और संयुक्त व्यस्थाएं

क. सहायक कंपनियों में निवेश

सहायक कंपनियों में निवेश को लागत पर लेखांकित किया जाएगा।

ख. संयुक्त व्यवस्था

संयुक्त व्यवस्था में निवेश को या तो कार्य भागीदारी व्यवस्था (संयुक्त प्रचालन) के अंतर्गत संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालनों या संयुक्त रूप से नियंत्रित निकाय (संयुक्त उद्यमों) द्वारा निष्पादित संविदाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण संविदागत अधिकारों और प्रत्येक संयुक्त उद्यम साझेदार का दायित्व पर निर्भर करता है ना कि संयुक्त व्यवस्था की विधिक संरचना पर। कंपनी के संयुक्त उद्यम और संयुक्त प्रचालन दोनों हैं।

i) संयुक्त प्रचालन

कंपनी कंपनी अपने संयुक्त प्रचालनों की परिसंपत्तियों, देयताओं, राजस्व तथा व्ययों के अपने प्रत्यक्ष अधिकार और संयुक्त रूप से धारित या वहन परिसंपत्तियों, देयताओं, राजस्व और व्ययों को स्वीकार करती है।

ii) संयुक्त उद्यम

(क) अनिगमित संयुक्त उद्यम

- लाभों और हानियों में कंपनी के भाग को संयुक्त उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभों एवं हानियों के निर्धारण पर लेखांकित किया जाएगा।
- कंपनी के भाग के निवल लागत पर किए गए निवेश को लाभ एवं हानि के रूप में स्वीकार किया जाएगा और निवल निवेश को निवेशों, ऋणों तथा अग्रिमों या चालू देयताओं, जैसा भी मामला हो, के रूप में, के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा।

(ख) निगमित संयुक्त उद्यम

- निवेशों पर आय को तक स्वीकार किया जाता है जब उसे प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो।

ऐसे संयुक्त उद्यमों में निवेश को मूल्य में किसी कमी के लिए प्रावधान के पश्चात लेखांकित किया जाता है, जो कि स्थाई प्रकृति से इतर का हो।

## 2.10 मालसूचियां

### क) प्रगतिरत निर्माण कार्य

प्रगतिरत निर्माण कार्य का मूल्य लागत पर निकाला जाता है, तब तक कार्य के आउटकम को विश्वसनियता के साथ तथा विश्वसनीय मूल्य पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। साइट मोबलाइजेशन व्यय को बट्टे खाते के स्तर तक लागत पर ही मूल्यित किया जाता है।

### ख) अन्य

i. लागत लाभ ठेकों में, सभी सामग्रियों, स्पेयर्स और श्ंडारों जो संविदा की शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान योग्य नहीं है उन्हें नीचे (iii) के अनुसार दर सूची मूल्य के रूप में दर्शाया गया है।

ii. मद दर और एकमुश्त टर्नकी संविदाओं के संबंध में, सभी सामग्रियों (पूंजीकृत को छोड़कर) के उपयोग को वर्ष लाभ और हानि लेखा को प्रशरित किया जाता है।

iii. मालसूचियों का मूल्यांकन प्रथम आवक प्रथम जावक (एफआईएफओ) आधार पर और वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

iv. अबद्ध औजारों को क्रय वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

## 2.11 रोकड़ एवं बैंक अधिशेष

तुलन पत्र में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में शामिल हैं बैंक में नकद, उपलब्ध नकद, तीन महीने या कमी की मूल परिवक्वता वाले बैंकों के अन्य अल्पकालीन जमा राशियां, जो मूल्य में परिवर्तन के अपर्याप्त जोखिम के मद्देनजर हैं तथा बैंक ओवरड्रफ्ट।

रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से रोकड़ व रोकड़ समानान्तर में रोकड़, अल्पकालीन बैंक जमा राशियां आदि शामिल हैं जैसाकि ऊपर परिशषित किया गया है तथा बकार्यों बैंक ओवरड्राफ्ट का निवल परिभाषितानुसार रोकड़ तथा बैंक शेष, बैंक ओवरड्राफ्ट का योग शामिल होता है।

## 2.12 प्रावधान

### क. अनुरक्षण के लिए प्रावधान

i) लागत जमा निविदा में, जहां लागत प्रतिपूर्तियोग्य हो वहां अनुरक्षण के लिए प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

ii) संविदागत बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए मद दर और एकमुश्त टर्नकी ठेकों के मामलों में समूह का उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए अनुरक्षण का प्रावधान किया जाता है जिसमें संविदागत बाध्यता, उप ठेकेदारों की बाध्यता, प्रचालन आवर्त और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

iii) प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में प्रत्येक आंकलित संविदा में प्रबंधन के जोखिम अनुमान के आधार पर अभिकल्प गारंटी अवधि के दौरान अनिश्चित व्यय के लिए प्रावधान किया जाता है। तथापि, यह न्यूनतम 50 लाख रूपए तथा अधिकतम ग्राहक के साथ संविदा करार में विनिर्दिष्ट अभिकल्प गारंटी की राशि के बराबर होगा।

**ख) डीमोबिलाइजेशन के लिए प्रावधान**

विदेशी परियोजनाओं में श्रमशक्ति तथा संयंत्र व उपकरण के विनियोजन पर होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए विनियोजन का प्रावधान रखा गया है।

**ग) अन्य**

प्रावधान किए जाते हैं जब :–

i) पूर्ववर्ती घटना के परिणामों के रूप में समूह का वर्तमान दायित्व स्थापित हो,

ii) दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गमन की संभावना हो, और

iii) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

जब एक प्रावधान को प्रति संविदा प्रावधान के रूप में स्थापित कर लिया जाता है, या जब यह निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाता है कि धन वापसी प्राप्त हो जाएगी, अपेक्षित व्यय निपटान के लिए धन वापसी का प्रावधान किया जाता है।

**घ) प्रावधानों का खंडन**

उपर्युक्त बिंदु क, ख तथा ग में स्वीकृत प्रावधान, जिनकी 12 महीनों से अधिक की अवधि में निपटान होने की संभावना है, को प्रिटैक्स रियायत दर का प्रयोग करके वर्तमान मूल्य पर मापित किया गया है जो देयाता के प्रति विशिष्ट जोखिमों को दर्शाते हैं। समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को ब्याज व्ययों के रूप में स्वीकार किया गया है।

**ड.) अलाभप्रद संविदा**

संविदा जिसमें संविदा के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने वाली अपरिहार्य लागतें इससे प्राप्त होने वाले संभावित लाभ से अधिक हो जाती हैं, को अलाभप्रद संविदा कहते हैं और ऐसी संविदाओं के अंतर्गत प्रस्तुत दायित्वों को प्रावधान के रूप में स्वीकार और मापा जाता है।

## 2.13 राजस्व मान्यता

**(क) ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व**

(i) परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीसीएम) सेवाओं से राजस्व : ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व प्राप्त किया जाता है जब माल एवं सेवाओं का नियंत्रण ग्राहकों की ऐसी धनराशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो इस आधार पर है कि कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होने की उम्मीद करे।

ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व को उस स्तर तक स्वीकार किया जाएगा जहां तक यह संभावना हो कि कंपनी में आर्थिक लाभ प्राप्त हों और राजस्व तथा लागतों, यदि लागू हो, को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके।

यदि हमारे ग्राहकों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने में अन्य पक्ष शामिल होता है तो कंपनी निर्धारण करती है कि ग्राहकों को किए गए वादे की प्रकृति का मूल्यांकन करके इन संव्यवहारों को करने वाला प्रधान पक्ष है या एजेंट है। राजस्व को सकल आधार पर बुक किया जाता है, जहां कंपनी प्रधान पक्ष के रूप में कार्य करती है और यदि कंपनी एजेंस के रूप में कार्य करती है तो अपनी सेवाओं के लिए प्रतिधारित निवल राशि पर। कंपनी ने संविदाओं के तथ्य पर विचार करके राजस्व को स्वीकार किया है।

सभी पीएमसी संविदाओं में, कंपनी प्रस्तुत दायित्वों की पूर्ण निष्पादन की दिया में उसकी प्रगति को मापने के पश्चात समय के साथ–साथ संतोषजनक निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व को स्वीकार करता है, उस स्थिति में जहां निष्पादन दायित्व के परिणाम को उचित रूप वे माना नहीं जा सकता है किन्तु कंपनी को संतोषजनक निष्पादन के लिए लागत की वसूली की आशा होती हो, राजस्व को केवल उस समय तक किए गए लागतों की सीमा तक स्वीकार किया जाता है, जबतक कि यह कार्यनिष्पादन दायित्व के परिणामों को यथोचित मापन नहीं है।

निष्पादन दायित्वों को इपपुट विधि के प्रयोग द्वारा मापा जाता है। जहां निष्पादन दायित्वों को इनपुट विधि द्वारा मापना संभव नहीं है वहां इन अनुबंधों के लिए आउटपुट विधि का प्रयोग किया जाता है, जो वास्तविक रूप से कंपनी के कार्यनिष्पादन को पूरी तरह से प्रदर्शित करता है।

राजस्व को संव्यवहार मूल्य पर मापा ताजा है, जो निष्पादन दायित्वों हेतु आवंटित किए जाता है और इसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र राशि को अलग कर दिया जाता है तथा इसका समायोजन वेरियेबल दृष्टिकोण, यदि कोई हो, पर किया जाता है।

संविदा के आरंभ होने के पश्चात, संव्यवहार के मूल्य विभिन्न कारकों के कारण बदल सकते हैं। संव्यवहार के मूल्य में कोई भी परिवर्तन अनुबंध में निर्धारित समय पर उसी आधार निष्पादन दायित्वों हेतु आवंटित किया जाता है। इसके परिणामस्वरुस्प, एक संतोषजनक निष्पादन दायित्व हेतु आवंटित राशि को राजस्व के रूप में या राजस्व में कमी के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिस अवधि में संव्यवहार में परिवर्तन हुआ है।

यदि स्थिति में परिवर्तन होता है तो राजस्व, लागत या पूर्णता की दिशा में प्रगति का अनुमान संशेधित किया जाता है। अनुमानित राजस्व या लागतों के कारण परिणम में वृद्धि या कमी हो सकती है और इस परिवर्तन की अवधि में लाभ या हानि को शामिल करके स्वीकार किया जाता है, यदि परिवर्तन उसी अवधि को प्रभावित करता है या परिवर्तन की अवधि और भावी अवधि दोनों का प्रभावित करता है।

यदि कंपनी ग्राहकों द्वारा विचार किए जाने या देय भुगतान किए जाने से पूर्व किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहक को हस्तांतरित करती है तो संविदागत परिसंपत्ति अर्जिन के लिए मान्यता प्राप्त है और यह स्थिति शर्त सहित है। यदि कोई ग्राहक कंपनी में सेवा स्थानांतरित करने से पहले भुगतान पर विचार करता है तो भुगतान किए जाने या भुगतान के लिए देय राशि (जो भी पहले हो) के लिए अनुबंध दायित्व को स्वीकार किया जाएगा। अनुबंध देयता को राजस्व के रूप में स्वीकार किया जाता है यदि कंपनी अनुबंध के तहत निष्पादन करती है।

**(ii) श्रमशक्ति आपूर्ति से राजस्व**

कंपनी ग्राहकों के साथ संविदा में उल्लिखित अनुसार वादा की गई सेवाओं (याा सहमत श्रमशक्ति की आपूर्ति) के अंतरण द्वारा निष्पादन दायित्वों के संतोष पर राजस्व को स्वीकार करती है। ऐसे सेवाओं को समय के साथ संतुष्ट निष्पादन दायित्वों के रूप में स्वीकार किया जाता है क्योंकि ग्राहक कंपनी द्वारा उपलब्या लाभों को एक साथ ही प्राप्त एवं उपभोग करता है।

**(ख) अन्य राजस्व मान्यता**

i) लाभांश आय को उस समय लेखांकित किया जाता है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

ii) ब्याज आय को कुशल ब्याज दर विधि के प्रयोग द्वारा स्वीकार किया जाता है। ब्याज आय को लाभ एवं हानि विवरण में अन्य आय में शामिल किया गया है।

**2.14 पट्टा**

**(क) पट्टेदार के रूप में कंपनी**

**वित्तीय पट्टाः–**

i) जो व्यापक स्तर पर सभी जोखिमों और प्रतिफलों को आकस्मिक रूप से परिसंपत्ति के स्वामित्व पर हस्तांतरित करता है।

ii) जो न्यूनतम पट्टा भुगतान के उचित मूल्य या वर्तमान मूल्य के निम्नतर पर पट्टा आरंभ पर पूंजीकृत किया जाता है।

iii) भुगतानों को वित्तीय प्रभारों और पट्टा देयता में कमी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि देयता की शेष राशि पर ब्याज की स्थिर दर प्राप्त की जा सके।

iv) वित्तीय प्रभारों को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय लागतों पर स्वीकार किया गया है।

v) परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रासित। तथापि, यदि पट्टा अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करने की कोई युक्तिसंगत निश्चितता नहीं है तो, परिसंपत्ति को अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और पट्टा अवधि में से कम अवधि पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

**प्रचालन पट्टाः–**

i) पट्टे को प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब जोखिम और प्रतिफलों के प्रमुख भाग को कंपनी पर अंतरित नहीं किया जाता है।

ii) आय को पट्टा अवधि के स्थान पर सीधी रेखा आधार पर लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में स्वीकार किया गया है केवल उन स्थानों को छोड़कर जहां पट्टा भुगतान संभावित सामान्य मुद्रास्फीति की तर्ज पर वृद्धि के लिए निर्धारित हो ताकि संभावित स्फीतिकारी लागत वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति की जा सके।

**ख) कंपनी के रूप में पट्टादाता**

**वित्तीय पट्टाः**

i) इसे तब मान्यता प्रदान की जाती है जब स्वामित्व के सभी जोखिम और प्रतिफल कंपनी से पट्टादाता को हस्तांतरित होते हैं।

ii) देय भुगतान को पट्टों में कंपनी के निवेल निवेश पर प्राप्य के रूप में रिकार्ड किया जाता है। वित्तीय पट्टा आय को लंखांकन अवधि में आवंटित किया जाता है ताकि इस पट्ट के संबंध में स्थिर निवल बकाया निवेश पर प्रतिफल की दर को प्रदर्शित किया जा सके।

**प्रचालन पट्टा :**

i) वे पट्टे हैं जिसमें कंपनी स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को व्यापक रूप से पट्टादाता को हस्तांतरित नहीं करती है

ii) कार्य को पट्टा अवधि पर सीधी–रेखा आधार पर लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में स्वीकार किया जाता है केवल उस स्थिति को छोड़कर जहां पट्टा भुगतान को संभावित मुद्रास्फीति लागत वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति हेतु संभावित सामान्य वृद्धि की तर्ज पर बढाने के लिए निर्धारित किया जाता है। संविदा की समाप्ति के मामले में किसी किराया आय को बुक नहीं किया जाता है, तथापि, संविदा के जीर्णोद्धार पर किराया आय को पूर्व प्रभाव से बुक किया जाता है।

## 2.15 अनुसंधान और विकास व्यय

i) अनुसंधान लागतों को किए जाने की संभावना है।

ii) व्यक्तिगत परियोजना पर विकास व्ययों को अमूर्त परिसंपत्ति में स्वीकार किया जा सकता है जब कंपनी प्रदर्शित कर कि:

- अमूर्त परिसंपत्ति को पूरा करने की तकनीकी व्यवहार्यता ताकि परिसंपत्ति प्रयोग या बिक्री के लिए उपलब्ध हो।
- पूरा करने की इसकी मंश और परिसंपत्ति के प्रयोग या बिक्री की इसकी क्षमता और मंश।
- इस प्रकार परिसंपत्ति भावी आर्थिक लाभों का सृजन करेगी।
- परिसंपत्ति को पूरा करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता।
- विकास के दौरान व्यय की विश्वसनीयता को मापने की क्षमता।

परिसंपत्ति को विकास व्यय के रूप में स्वीकार करने की आरंभिक स्वीकृति के पश्चात, परिसंपत्ति का आकलन लागत घटा संचित परिशोधन तथा संचित क्षतिपूर्ण घाटों पर किया गया है। परिसंपत्ति का परिशोधन तब आरंभ होता है जब विकास कार्य पूरा हो जाता है और परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध है। इसे संभावित भावी लाभ की अवधि के उपर परिशोधित किया जाता है। परिशोधन व्यय को लाभ और हानि विवरण में स्वीकार किया जाता है जबतक कि ऐसे व्यय अन्य परिसंपत्ति के प्रतिधारण मूल्य के भाग का निर्माण न करता हो।

विकास की अवधि के दौरान, परिसंपत्ति को परिशोधन के लिए वार्षिक रूप से परीक्षित किया जाता है।

## 2.16 संसाधनों को जुटाने पर व्यय

संसाधनों को जुटाने के लिए नई परियोजनाओं पर आरंभिक ठेका व्ययों का निर्धारण उस कार्य के वर्ष में प्रगतिरत निर्माण कार्य के रूप में किया जाता है जिसे वित्त वर्ष के अन्त में ठेके के पूरा होने के स्तर पर उसी प्रतिशत में आगामी वर्षों के लिए परियोजना में पूर्व दरों पर प्रभारित माना जाएगा।

## 2.17 मूल्यह्रास एवं परिशोधन

क. परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।। में विनिर्दिष्ट अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर सीधी रेखा आधार (एमएलएम) पर प्रावधान किया गया है।

ख. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद के प्रत्येक भाग को पृथक रूप से मूल्यह्रासित किया जाता है। यदि उस भाग का मूल्य मद की कुल लागत के सापेक्ष में महत्वपूर्ण भाग है और उस भाग का उपयोगी जीवन अन्य शेष परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन से भिन्न है।

ग. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की महत्वपूर्ण मदों की चालू अवधि के लिए परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार है:

| विवरण | उपयोगी जीवनकाल (वर्ष) |
|---|---|
| संयंत्र और मशीनरी | 12 वर्ष |
| कम्प्यूटर | 03 वर्ष |
| फर्नीचर, फिक्सचर एवं फर्निशिंग | 10 वर्ष |
| कार्यालयी उपकरण | 05 वर्ष |
| लेबोरेटरी उपकरण | 10 वर्ष |
| वाहन | 10 वर्ष |

घ. पट्ट वाली भूमि तथा उसमें परिशोधनों को उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और पट्टा अवधि पर परिशोधित किया जाएगा।

ड. मूल्यह्रास अवधियों, उपयोगी जीवनकाल और शेष मूल्यों की समीक्षा तथा भावी समायोजन, यदि उपयुक्त हो, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाएगी। सामान्य रूप से परिसम्पत्ति का शेष मूल्य कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची– ।। में विनिर्दिष्ट अनुसार परिसंपत्ति के मूल लागत के 5 प्रतिशत तक होगा।

च. वर्ष के दौरान अधिग्रहित सम्पति संयंत्र और उपकरण, जिनकी लागत पृथक रूप से 5000 रूपए तक है, को चिह्नन के लिए 1 रूपए के सांकेतिक मूल्य पर मूल्यह्रासित किया जाएगा। तथापि, कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए मोबाईल फोन को राजस्व में प्रभारित किया जाता है, चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो।

**अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन**

क) अमूर्त परिसंपत्तियों को उपयोग के लिए उनके उपलब्ध होने की तिथि से सीधी रेखा आधार पर उनके संबंधित उपयोगी जीवनकाल पर परिशोधित किया जाएगा

अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवनकालः

| अमूर्त परिसंपत्तियां | उपयोगी जीवनकाल | आंतरिक रूप से सृजित या स्वःसृजित |
|---|---|---|
| पट्टा अधिकार | एमएफसी का उपयोगी जीवन | आरंभ में सृजित |

ख) परिशोधन विधि, उपयोगी जीवनकाल और शेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाएगी।

ग) प्रत्येक मामले में 25 लाख रूपए की साफ्टवेयर लागत को चिह्नन के लिए 1 रूपए के सांकेतिक मूल्य रखते हुए क्रय के वर्ष में पूर्णत परिशोधित किया जाएगा।

घ) उपर्युक्त नीति संख्या 2.6(च) में उपर संदर्भित पूंजीगत व्यय को उस वर्ष से पट्टा अवधि पर परिशोधित किया किया गया है, जिस वर्ष संबंधित परियोजना प्रचालन में आई है।

## 2.18 गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

किसी परिसंपत्ति को क्षतिपूर्ण तब माना जाता है जब उक्त परिसंपत्ति का वसूलनीय मूल्य परिसंपत्ति की वहन लागत से अधिक हो जाता है और इंपेयर्ड हानि को उस वर्ष के लाभ हानि खाते में लेखांकित किया जाता है, जिसमें परिसंपत्ति को क्षति के रूप में पहचाना गया है। कंपनी प्रत्येक रिपार्टिंग तिथि पर क्षतिपूर्ण घाटे की अनुमानित राशि का आकलन करती है। पूर्व लेखांकन अवधि में लेखांकित इंपेयर्ड क्षति को रिवर्स किया जाता है यदि वसूलीयोग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होता है और ऐसी हानियां अब विद्यमान नहीं हैं या कम हो गई हैं। व्युत्क्रम या आंशिक हानियों को लाभ व हानि विवरण में लेखांकित किया जाएगा।

## 2.19 उधार लागतें

i. सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में उधार लागतों को व्यय के रूप में प्राभारित किया जाता है, जिस अवधि में वे व्यय किए गए हैं।

ii. अधिग्रहण, अर्हक परिसंपत्ति के निर्माण या उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से होने वाली उधार लागत को वाणिज्यिक प्रचालनों के आरंभ होने तक ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

## 2.20 कर्मचारी लाभ

(क) अल्पकालीन कर्मचारी लाभ

प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान किए जाने हेतु संभावित अल्पकालीन कर्मचारी लाभों की गैर–रियायती राशि को उस अवधि के दौरान व्यय के रूप में लेखांकित किया जाएगा जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है।

**(ख) सेवा पश्चात लाभ तथा अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ**

i. भविष्य निधि तथा पेंशन निधि के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ परिशिषित अंशदान योजना है। भविष्य निधि ट्रस्ट तथा पेंशन ट्रस्ट के लिए अंशदान को उस वर्ष के लिए लाभ हानि खाते के विवरण में प्रभारित किया जाता है जिस वर्ष अंशदान देय है।

ii. दीर्घकालीन अवकाश नकदीकरण, उपदान तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान वर्ष के अंत में बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

iii. बीमांकक लाभों और हानियों को अन्य वृहत आय में स्वीकार किया जाता है।

iv. अन्य वृहत आय में स्वीकृत निवल निर्धारित लाभ देयता (परिसंपत्ति) के पुनर्मापनों को अनुवर्ती अवधि में लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

**अन्य :**

i. कंपनी में कार्य करने वाले नामांकन/सेकेंडमेंट आधार पर तथा धारक कंपनी के रोल वाले कर्मचारी। दीर्घकालीन अवकाश नकदीकरण, उपदान तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान धारक कंपनी द्वारा वर्ष के अंत में बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

ii. नामांकन/सेकेंडमेंट आधार पर कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के अन्य सभी प्रावधान धारक कंपनी द्वारा किए जाएंगे।

iii. केवल श्रीलंका शाखा में तैनात संविदा कर्मचारी के लिए अवकाश वेतन का प्रावधान लेखा बहियों में किया जाता है क्योंकि उन्हें कोई अन्य सेवानिवृत्ति लाभ देय नहीं है।

iv. नामांकन/सेकेंडमेंट आधार पर कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान का प्रावधान धारक कंपनी द्वारा अपने पीएफ ट्रस्ट में संचित आधार पर किया जाता है।

**2.21 कर**

**(क) चालू आयकर**

i. चालू आय सहित करों की राशि का निर्धारण लागू कर दरों और कर कानूनों के अनुसार किया जाता है।

ii. राशि के परिकलन के लिए प्रयेक्त कर दरें और कर कानून वे हैं जिन्हें उन देशों में रिपोर्टिंग तिथि को पारित या विशिष्ट रूप से पारित किया गया है जहां कंपनी प्रचालन कर रही है और करयोग्य आाय का सृजन हो रहा है।

iii. चालू तथा पूर्व अवधियों के लिए चालू आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं का आकलन वसूली की संभावित राशि या कर प्राधिकारियों को भुगतान की गई राशि पर किया जाता है। अतिरिक्त कर के लिए देयता, यदि कोई हो, का प्रावधान/भुगतान तक किया जाता है जब आकलन पूरे हो जाते हैं।

iv. ओसीआई मदों के संबंध में चालू कर को अन्य वृहत आय में स्वीकृत किया जाता है।

**ख) आस्थगित कर**

i. आस्थगित आय कर को आगामी तुलनपत्र का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

ii. आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं को अस्थायी अंतर पर स्वीकार किया जाता है, जिसका परिकलन कर दरों और कर कानूनों के प्रयोग से किया जाता है जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि को पारित या विशिष्ट रूप से पारित किया गया है।

iii. आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों को यथा संभव उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है जहां करयोग्य लाभ

उपलब्ध हो जिसके प्रति कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों, तथा अप्रयुक्त कर ऋणों और अप्रयुक्त कर घाटों के कैरीफार्वड को प्रयोग किया जा सके।

iv. आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की प्रतिधारण राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध होगा।

ओआईसी मद से संबंधित आस्थगित कर को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है।

## 2.22 प्रचालन सेगमेंट

प्रचालन सेगमेंट को इस रूप में रिपोर्ट किया जाता है जो मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक को उपलब्ध आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुसार हो।

तदनुसार, कंपनी ने परियोजना के परामर्श, श्रमशक्ति आपूर्ति, एमएफसी को उपपट्टे, तथा संयंत्र एवं मशीनरी व अन्य प्रचालनिक राजस्व के आधार पर पांच प्रचालनिक रिपोर्टिंग सेगमेंटों और परियोजनाओं के भौगोलिक स्थल यथा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर के आधार पर दो प्रचालनिक रिपोर्टिंग सेगमेंटों की पहचान की है।

## 2.23 प्रति शेयर आमदनी

प्रति शेयर मूल आमदनी निर्धारित करने के लिए, समूह इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ पर विचार करता है। प्रति शेयर मूल आमदनी के परिकलन में प्रयुक्त शेयरों की संख्या उस अवधि के दौरान बकार्यों शेयरों की संख्या का औसत है। प्रति शेयर विलयित आमदनियों के निर्धारण के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ और इस अवधि के दौरान बकार्यों शेयरों की औसत संख्या को सभी विलयित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

## 2.24 आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक सम्पतियाँ

क) आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नलिखित किसी भी मामले में किया जाता है।

i. भूतपूर्व घटना से वर्तमान दायित्व उत्पन्न हों, जब यह संभव न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गम की आवश्यकता हो; या

ii. वर्तमान दायित्व में विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव न हों; या

iii. एक संभावित दायित्व में बशर्ते संसाधनों के निर्गम की संभावना न्यूनतम हो।

ख) आकस्मिक संपत्तियों की ना तो पहचान हो सके, ना ही प्रकटन।

ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

घ) आकस्मिक देयता निपटान पर संभव आउटफ्लो को ध्यान मे रखते हुए निवल अनुमानित प्रावधान है।

## 2.25 उचित मूल्य मापन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उचित मूल्य पर वित्तीय माध्यमों को मापती है। उचित मूल्य वह कीमत है जो परिसंपत्ति की बिक्री या देयता के अंतरण के लिए भुगतान हेतु मापन तिथि को बाजार भागीदारों के बीच व्यवस्थित संव्यवहार से प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन इस अनुमान पर आधारित है कि परिसंपत्ति की बिक्री या देयताओं के अंतरण का संव्यवहार इनमें से किसी रूप में निष्पादित होगाः

- परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार, या

- प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, बाजार या देयता के लिए सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार।

प्रमुख या सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार कंपनी के लिए सुगम्य होना चाहिए। परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का मापन इस अनुमान के साथ किया जाता है कि बाजार भागीदार यह इसका प्रयोग परिसंपत्ति या दायित्व के मूल्य निर्धारण हेतु, इस अनुमान के साथ कि बाजार भागीदार अपने सर्वोत्तम आर्थिक हितों पर कार्य करेंगे। कंपनी उन मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करती है जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं और जिसके लिए उचित मूल्य मापन हेतु पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं, जिससे संगत अवलोकनीय जानकारियों के अधिकतम प्रयोग और अनावश्यक जानकारियों के निम्नतम प्रयोग को संभव बनाया जा सके।

परिसंपत्तियां और देयताएं जिसके लिए वित्तीय विवरण में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया जाता है, को समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर निम्नानुसार वर्णित उचित मूल्य क्रम के भीतर श्रेणीबद्ध किया जाता है।

– स्तर 1 – कोट किया गया (समायोजित) समरूपी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रीय बाजारों में बाजार मूल्य।

– स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए उचित मूल्य मापन हेतु महत्वपूर्ण निम्नतर स्तर इनपुट का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया जाता है।

– स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए एचित मूल्य मापन हेतु महत्वपूर्ण निम्नतर स्तर इनपुट गैर अवलोकन किया जाता है।

आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए, कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पुनःआंकलन श्रेणीकरण (निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है) द्वारा निर्धारित करती है कि क्या इस पदक्रम के स्तरों के बीच अंतरण हुए हैं।

रिपोर्टिंग तिथि को, कंपनी परिसंपत्तियों और देयताओं के मूल्यों के संचलन का विश्लेषण करती है, जिसकी आवश्यकता लेखांकन नीतियों के अनुसार पुनःमापन या पुनःआकलन के लिए होती है। इस विश्लेषण के लिए, कंपनी संविदाओं और अन्य संगत अभिलेखों के मूल्यांकन परिकलन की सूचना से सहमत होकर अद्यतन मूल्यांकन में लागू प्रमुख इनपुटों को सत्यापित करती है।

कंपनी संगत बाहरी स्रोतों से प्रत्येक परिसंपत्ति और दायित्व के उचित मूल्य में परिवर्तन की तुलना भी करती है ताकि निर्धारित किया जा सके कि परिवर्तन युक्तिसंगत है।

उचित मूल्य प्रकटनों के प्रयोजन से, कंपनी परिसंपत्तियों या देयताओं की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों तथा उपर्युक्त मूल्य क्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं की श्रेणियों का निर्धारण करती है।

## 2.26 इक्विटी धारकों को लाभांश

प्रदत्त/देय लाभांश को उस वर्ष के लिए स्वीकार किया जाताा है, जिस वर्ष संबंधित लाभांशों को यथा उपयुक्त निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

## 2.27 वित्तीय माध्यम

### क. आरंभिक स्वीकृति और मापन

वित्तीय माध्यमों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय माध्यमों के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं।

ख. **अनुवर्ती मापन**

**वित्तीय परिसंपत्तियां**

वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

**क) परिशोधित मूल्य पर ऋण माध्यम**

ऋण माध्यमों को परिशोधित लागत पर मापा जाएगा यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

(i) परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के भीतर ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोगड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है और

(iii) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रूप से बकार्यों मूल राशि पर मूल और ब्याज का भुगतान है।

ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है।

**ख) अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण माध्यम (एफवीटीओसीआई)**

ऋण माध्यम को अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होते हैं:

- व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और
- परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के भीतर शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में कंपनी ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर–स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुनःवर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

**(ग) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर ऋण माध्यम**

एफवीटीपीएलप ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवीओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ऋण माध्यमों को नामित करने के लिए चयन कर सकती है, जो अन्यथा एवीटीपीएल पर परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मापदंड को पूरा करते हैं। ऐसा करने पर मापन या अस्थायी स्वीकृति कम होती है या समाप्त हो जाती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी के अंतर्गत शामिल ऋण उपकरणों को लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

**वित्तीय देयताएं**

(क) परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रभावी ब्याज दर विधि पर व्यापार तथा अन्य देयों, प्रतिभूति जमा राशियों और प्रतिधारण राशियों के रूप में

परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं को आरंभिक तौर पर उचित मूल्य पर और तत्पश्चात परिशोधित लागत पर प्रतिधारित किया जाता है

**(ख) एफवीटीपीएल पर वित्तीय देयताएं**

कंपनी एफवीटीपीएल पर किसी वित्तीय परिसंपत्तियों को नामित नहीं करती है।

**(ग) गैर–स्वीकार्यता**

**वित्तीय परिसंपत्तियां**

वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का भाग या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का भाग) को केवल तभी गैर–स्वीकृत किया जाता है जब परिसंपत्ति से रोकड़ प्रवाह का संविदागत अधिकार समाप्त हो जाता है या वह व्यापक स्तर पर वित्तीय परिसपत्तियों को अंतरित करता है या परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों या लाभों को अंतरिक करता है।

**(घ) वित्तीय देयता**

वित्तीय देयता को गैर–स्वीकृत तब किया जाता है जब देयता के अंतर्गत दायित्व का निर्वाहन हो जाता है या वह रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जब व्यापक रूप से भिन्न शर्तों पर या मौजूदा देयताओं की शर्तों पर व्यापक आशोधनों द्वारा मौजूदा वित्तीय देयता को समान ऋणदाता से अन्य वित्तीय देयता के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है तो ऐसे विनियम या आशोधन को मूल देयता की गैरस्वीकृति माना जाएगा और नए देयता को स्वीकार किया जाएगा, तथा संबंधित प्रतिधारण राशि में अंतर को लाभ और हानि विवरण में स्वीकार किया जाएगा।

**(ड.) वित्तीय विवरणों की हानि**

कंपनी क्षतिपूर्ण हानि के मापन तथा स्वीकृति के लिए संभावित ऋण घाटा मॉडल का प्रयोग करती है। कंपनी व्यापार प्राप्य पर क्षतिपूर्ण घाटा भत्ते की स्वीकृति के लिए सरलीकृत परिदृश्य का अनुसरण कर रही है। सरलीकृत परिदृश्य के अनुप्रयोग के लिए कंपनी को ऋण जोखिम में रेलपथ परिवर्तनों की आवश्यकता नहीं है । बल्कि वह आरंभिक स्वीकृति से ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को जीवनभर ईसीएल के आधार पर क्षतिपूर्ण घाटे को स्वीकार किया है।

कंपनी परिशोधित लागत और एफवीटीओसीआई ऋण माध्यमों पर प्रतिधारित परिसंपत्तियोां के साथ संबद्ध अनुमानित ऋण घाटों के आधार पर आकलन करती है।

इस अवधि के दौरान स्वीकृत ईसीएल क्षतिपूर्ण घाटा भत्ते (रिवर्सल पर) को लाभ और हानि विवरण में आय/व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

**2.28 बिक्री के लिए धारित गैर चालू परिसंपत्तियां (या निपटान समूह)**

गैर चालू परिसंपत्तियों (या निपटान समूहों) को परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसे बिक्री के लिए धारित किया गया है जब इसकी प्रतिधारण राशि को बिक्री संव्यवहार तथा के माध्यम से सैद्धांतिक रूप से वसूली की जाए और बिक्री को अत्यधिक संभावित है। बिक्री को अत्यधिक संभावित तब माना जाता है जब परिसंपत्ति निपटान समूह अपनी वर्तमान शर्तें पर तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह संभव नहीं है कि बिक्री को वापस लिया जाएगा और वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर। बिक्री के लिए प्रतिधारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों को प्रतिधारण राशि और उचित मूल्य घटा बिक्री की लागतों में से जो कोई भी कम हो पर वर्णित किया जाएगा। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किए जाने के पश्चात मूल्यह्रासित या परिशोधित नहीं किया जाता है।

बिक्री /संवितरण के लिए धारित वर्गीकृत परिसंपत्तियों को तुलन पत्र में पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाता है।

यदि इंड एएस–105 बिक्री के लिए धारित गैर चालू परिसंपत्तियां द्वारा वर्णित मापदंड पूरे नहीं किए जाते हैं तो, निपटान समूह को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण से बाहर किया जाएगा। गैर चालू परिसंपतियां जिन्हें बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण से बाहर किया गया है उन्हें (i) बिक्री के लिए धारित अनुसार वर्गीकरण से पूर्व परिसंपत्ति की प्रतिधारण राशि, मूल्यह्रास के लिए समायोजित, जिसे यदि स्वीकार किया जाता तो उसे परिसंपत्ति को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता, और (ii) उस तिथि को इसकी वसूलीयोग्य राशि जब निपटान समूह बिक्री के लिए धारित अनुसार वर्गीकरण से बाहर किया जाए, जो कोई भी कम हो।

**2.29 वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए जारी किन्तु प्रभावी न किए गए मानकः**

इंड एएस 116–पट्टे : निगमित कार्य मंत्रालय ने दिनांक 30 मार्च, 2019 को इंड एएस 116, पट्टा को अधिसूचित किया है। इंड एएस 116 इंडि एएस 17 तथा संबंधित व्याख्यानों को इसके प्रस्तावित प्रभावी तिथि से, वार्षिक अवधि 1 अप्रैल 2019 को या उसके पश्चात आरंभ होने के कारण, प्रतिस्थापित करेगा। यह मान पट्टे की स्वीकार्यता, मापन, प्रस्तुतीकरण और प्रकटन के लिए सिद्धांतों का निर्धारित करेगा। इंड एएस 116 में पट्टों को चिह्नित करना अपेक्षित है और एकल पट्टाधरक लेखांकन मॉडल को आरंभ करना तथा 12 महीनों से अधिक की अवधि के लिए सभी पट्टों के लिए परिसंपत्तियों और देयताओं को स्वीकार करने अपेक्षित है, बशर्ते संबंधित परिसंपत्ति निम्न मूल्य की हो। मानक में पट्टाधारक के लिए संवर्धित प्रकटन अपेक्षाएं भी समाहित हैं और इसके तुलन पत्र में सभी पट्टों के लिए समवर्ती देयताएं निर्धारित हैं।

## 3. परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(₹ में)

| विवरण | संयंत्र एवं मशीनरी | कम्प्यूटर | फर्नीचर, फिक्सचर, फर्निशिंग | वातानुकूलन विद्युत | उपकरण कार्यालय | उपकरण प्रयोगशाला | उपकरण | वाहन | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <u>लागत या मूल्यांकन</u> | | | | | | | | | |
| **1 अप्रैल 2017 को** | **112,979,444** | **807,618** | **226,990** | **109,735** | **50,200** | **99,939** | **224,324** | **149,800** | **114,648,050** |
| संवर्धन | - | 1,308,061 | 68,988 | 17,114 | 90,436 | 215,470 | 43,200 | - | 1,743,269 |
| निपटान / समायोजन | - | **3,350** | - | - | - | - | - | - | **3,350** |
| **31 मार्च 2018 को** | **112,979,444** | **2,112,329** | **295,978** | **126,849** | **140,636** | **315,409** | **267,524** | **149,800** | **116,387,969** |
| संवर्धन | - | 1,017,628 | 111,166 | 74,953 | 54,116 | 8,829 | - | 226,626 | 1,493,318 |
| निपटान / समायोजन | - | 460,098 | - | - | - | - | - | - | 460,098 |
| **31 मार्च 2018 को** | **112,979,444** | **2,669,859** | **407,144** | **201,802** | **194,752** | **324,238** | **267,524** | **376,426** | **117,421,189** |
| <u>संचित मूल्यह्रास और हानि</u> | | | | | | | | | |
| **1 अप्रैल 2017 को** | **28,853,469** | **408,805** | **40,175** | **33,336** | **18,939** | **24,883** | **19,576** | **3,859** | **29,403,042** |
| वर्ष के लिए प्रभारित मूल्यह्रास | 15,890,866 | 329,830 | 22,761 | 22,447 | 17,421 | 28,911 | 24,036 | 14,226 | 16,350,498 |
| निपटान / समायोजन | | 647.00 | | | | | | | 647 |
| **31 मार्च 2018 को** | **44,744,335** | **737,988** | **62,936** | **55,783** | **36,360** | **53,794** | **43,612** | **18,085** | **45,752,893** |
| वर्ष के लिए प्रभारित मूल्यह्रास | 13,830,791 | 632,119 | 46,975 | 35,383 | 30,200 | 65,743 | 25,408 | 21,892 | 14,688,512 |
| निपटान / समायोजन | - | 95,999 | - | - | - | - | - | - | 95,999 |
| **31 मार्च 2019 को** | **58,575,126** | **1,274,108** | **109,911** | **91,166** | **66,560** | **119,537** | **69,020** | **39,977** | **60,345,406** |
| <u>निवल बही मूल्य</u> | | | | | | | | | |
| **31 मार्च 2019 को** | **54,404,318** | **1,395,751** | **297,233** | **110,636** | **128,191** | **204,701** | **198,504** | **336,449** | **57,075,782** |
| **31 मार्च 2018 को** | **68,235,109** | **1,374,341** | **233,042** | **71,066** | **104,276** | **261,615** | **223,912** | **131,715** | **70,635,076** |

## गैर चालू परिसंपत्तियां

### 4 प्रगतिरत पूंजीगत कार्य

(₹ में)

| विवरण | राशि |
|---|---|
| **1 अप्रैल 2017 को आरंभिक शेष** | **19,988,399** |
| संवर्धन (आगामी व्यय) | 1,727,239 |
| समायोजन | - |
| **31 मार्च 2018 को अंतिम शेष** | **21,715,638** |
| संवर्धन (आगामी व्यय) | 645,112 |
| समायोजन | - |
| **31 मार्च 2019 को अंतिम शेष** | **22,360,750** |
| **निवल बही मूल्य** | |
| **31 मार्च 2019 को** | **22,360,750** |
| **31 मार्च 2018 को** | **21,715,638** |

| * विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों का ब्यौरा | 1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष | 2018-19 के दौरान संवर्धन | सीडब्ल्यूआईपी का अमूर्त परिसंपत्ति में पूंजीकरण (पट्टा अधिकार) | 31 मार्च 2018 को शेष |
|---|---|---|---|---|
| प्रगतिरत पूंजीगत कार्य (रेलपथ मशीन) | | | | |
| रेलपथ मशीन सीएसएम 906 | 6,433,494 | | - | 6,433,494 |
| रेलपथ मशीन सीएसएम 911 | 6,433,494 | | - | 6,433,494 |
| रेलपथ मशीन यूएनआईएमएटी 8225 | 6,083,797 | | - | 6,083,797 |
| रेलपथ मशीन व्यय | 2,764,853 | 645,112 | - | 3,409,965 |
| **कुल** | **21,715,638** | **645,112** | - | **22,360,750** |

| * विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों का ब्यौरा | 1 अप्रैल 2017 को आरंभिक शेष | 2017-18 के दौरान संवर्धन | सीडब्ल्यूआईपी का अमूर्त परिसंपत्ति में पूंजीकरण (पट्टा अधिकार) | 31 मार्च 2018 को शेष |
|---|---|---|---|---|
| प्रगतिरत पूंजीगत कार्य (रेलपथ मशीन) | | | | |
| रेलपथ मशीन सीएसएम 906 | 6,380,094 | 53,400 | - | 6,433,494 |
| रेलपथ मशीन सीएसएम 911 | 6,380,094 | 53,400 | - | 6,433,494 |
| रेलपथ मशीन यूएनआईएमएटी 8255 | 6,083,797 | - | - | 6,083,797 |
| रेलपथ मशीन व्यय | 1,144,414 | 1,620,439 | - | 2,764,853 |
| **कुल** | **19,988,399** | **1,727,239** | - | **21,715,638** |

## 5 अमूर्त परिसंपत्ति

(₹ में)

| विवरण | साफटवेयर | पट्टा अधिकार | कुल |
|---|---|---|---|
| **1 अप्रैल 2017 को आरंभिक शेष** | - | **956,473,656** | **956,473,656** |
| वर्ष के दौरान संवर्धन | 17,445 | - | 17,445 |
| समायोजन | - | - | - |
| **31 मार्च 2018 को अंतिम शेष** | **17,445** | **956,473,656** | **956,491,101** |
| वर्ष के दौरान संवर्धन | | | - |
| समायोजन | | 1,370,760.00 | 1,370,760.00 |
| **31 मार्च 2019 को अंतिम शेष** | **17,445** | **955,102,896** | **955,120,341** |
| **परिशोधन एवं हानि** | | | |
| **1 अप्रैल 2017 को आरंभिक शेष** | - | **37,194,408** | **37,194,408** |
| परिशोधन | 17,445 | 25,365,044 | 25,382,489 |
| हानि | - | - | - |
| समायोजन | - | | - |
| **31 मार्च 2018 को अंतिम शेष** | **17,445** | **62,559,452** | **62,576,897** |
| परिशोधन | - | 16,561,935 | 16,561,935.00 |
| हानि | - | - | - |
| समायोजन | - | | - |
| **31 मार्च 2019 को अंतिम शेष** | **17,445** | **79,121,387** | **79,138,832.21** |
| **निवल बही मूल्य** | | | |
| **31 मार्च 2018 को** | - | **893,914,204** | **893,914,204** |
| **31 मार्च 2019 को** | - | **875,981,509** | **875,981,509** |

1. पट्टा अधिकारः कंपनी ने विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर बहुउद्देशीय परिसरों मे निर्माण के लिए आरएलडीए (रेल भूमि विकास प्राधिकरण) के साथ समझौता करार में प्रवेश किया है। भूमि रेलवे की है और कंपनी ने उस पर भवनों का निर्माण किया है तथा एमएफसी के आरंभ होने की तिथि से 45 वर्षों के लिए पट्टा अधिकार (वाणिज्यिक अधिकार) प्राप्त है।

2. पट्टा अधिकार को उस तिथि से पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है, जिसमें संबंधित परियोजना प्रोरेटा आधार पर वाणिज्यिक प्रचालन में आई है। वर्ष के दौरान परिशोधित राशि है 1,65,61,935 रूपए (वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए 2,53,65,044 रूपए)।

# 6 गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां

## 6.1 ऋण

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को | 31 मार्च 2018 को |
|---|---|---|
| **कर्मचारी ऋण*** | | |
| क. वसूली योग्यः रक्षित | 55,720 | - |
| ख. वसूली योग्य : अरक्षित, | 438,382 | - |
| **कुल** | **494,102** | - |

*ऊपर उल्लिखित ऋण और अग्रिम में कंपनी, फर्म के अधिकारियों को देय ऋण शामिल नही हैं, जिनमें निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिनमें निदेशक सदस्य है।

## 6.2 अन्य

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को | 31 मार्च 2018 को |
|---|---|---|
| **वसूली योग्य : रक्षित** | | |
| 12 महीनों से अधिक की शेष परिपक्वता वाली सावधि जमा राशियां | - | 3,000,000 |
| 12 महीनों से अधिक की शेष परिपक्वता वाली सावधि जमा राशियां (बैंक गारंटी) | 23,938,140 | 34,770,000 |
| कर्मचारी ऋण और अग्रिमों पर संचित ब्याज | 165,246 | - |
| **वसूली योग्य : अरक्षित** | | |
| जमा राशियां | | |
| - सांविधिक विभागों के साथ - | 486,905 | 358,188 |
| **कुल** | **24,590,291** | **38,128,188** |

**नोट 6.2.1.**: दिनांक 31 मार्च 2019 को 2,39,38,140 रूपए (31 मार्च 2018 को 3,47,70,000 रूपए) विदेश मंत्रालय के पास सावधि जमा राशि को दर्शाता है (विदेश मंत्रालय, सीबीएसई, हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को दर्शाता है)।

# 7 अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को | 31 मार्च 2018 को |
|---|---|---|
| प्रतिपूर्ति योग्य आयकर | 70,223,850 | 67,256,781 |
| **कुल** | **70,223,850** | **67,256,781** |

## 8 आस्थगित कर

शेष में वहनीय अस्थायी अंतर शामिल

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को | 31 मार्च 2018 को |
|---|---|---|
| **आस्थगित कर देयता** | | |
| परिसंपत्तियां, संयंत्र और उपकरण व अपूर्ति परिसंपत्तियां | 175,903,029 | 184,684,145 |
| कुल आस्थिगत कर देयताएं | 175,903,029 | 184,684,145 |
| **आस्थगित कर परिसंपत्तियां** | | |
| उपदान | 50,114 | 38,686 |
| अवकाश वेतन | 420,382 | 53,441 |
| पीआरपी | 146,500 | 108,982 |
| डीमोबिलाइजिंग | - | - |
| अन्य व्यय | 1,554,764 | 5,398,130 |
| **कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां** | **2,171,759** | **5,599,238** |
| **निवल आस्थगित कर (परिसंपति)/देयता** | **173,731,270** | **179,084,906** |

### आस्थगित कर देयता/(परिसंपत्ति) में संचलन

(₹ में)

| विवरण | पीपीपी (परिसंपत्ति, संयंत्र व उपकरण) | कर्मचारी लाभ दायित्वं | अन्य व्यय | कुल |
|---|---|---|---|---|
| **31 मार्च 2017 को समापन शेष** | **177,937,760** | **-265,512** | **-13,219,645** | **164,452,602** |
| 2017–18 के दौरान प्रभारित/(नामे) | | | | |
| लाभ व हानि खोते में | 6,746,385 | 67,302 | 7,821,515 | 14,635,202 |
| अन्य वृहत आय में | | -2,898 | | -2,898 |
| **31 मार्च 2018 को समापन शेष** | **184,684,145** | **-201,109** | **-5,398,130** | **179,084,906** |
| 2018–19 के दौरान प्रभारित/(नामे) | | | | |
| लाभ व हानि खोते में | -8,781,116 | -415,835 | 3,843,366 | -5,353,585 |
| अन्य वृहत आय में | | -52 | | -52 |
| **31 मार्च 2019 को समापन शेष** | **175,903,029** | **-616,995** | **-1,554,764** | **173,731,270** |

## चालू परिसंपत्तियां

### 9 दरसूचियां

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को | 31 मार्च 2018 को |
|---|---|---|
| सामग्री एवं भंडारण | | |
| –हाथ में | 36,739 | 33,583 |
| –तीसरे पक्ष के पास | - | - |
| –ट्रांजिट में | - | - |
| **कुल** | **36,739** | **33,583** |

### 10 चालू परिसंपत्तियां

### 10.1 वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को | 31 मार्च 2018 को |
|---|---|---|
| वसूली योग्य : रक्षित | | |
| व्यापार प्राप्य* | 634,374,775 | 381,287,981 |
| **कुल** | **634,374,775** | **381,287,981** |

***व्यापार प्राप्यों का ब्यौरा**

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को | 31 मार्च 2018 को |
|---|---|---|
| **वसूली योग्य : रक्षित** | | |
| (क) संबंधित पक्षों से – इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड | 13,014,219 | 39,112,558 |
| (ख) अन्यों से | 621,360,556 | 342,175,423 |
| **वसूली योग्य : अरक्षित** | - | - |
| ऋण जोखिम में व्यापक वृद्धि | - | - |
| ऋण घाटा | - | - |
| | 634,374,775 | 381,287,981 |
| संदिग्ध प्राप्य हेतु भत्ता | - | - |
| **कुल प्राप्य प्राप्तियां** | **634,374,775** | **381,287,981** |

ऊपर उल्लिखित व्यापार प्राप्य में कंपनी, फर्म के अधिकारियों को देय ऋण शामिल नही हैं, जिनमें निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिनमें निदेशक सदस्य है।

## वित्तीय परिसंपत्तियां

### 10.2 रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को | 31 मार्च 2018 को |
|---|---|---|
| उपलब्ध रोकड | 142,224 | 101,548 |
| उपलब्ध चैक/ड्राफ्ट | | |
| बैंकों में शेष: | | |
| - चालू खातों में | 5,179,237 | 14,734,323 |
| - फलैक्सी खाते | 1,983,339 | 115,038,972 |
| - तीन माह से कमी की मुल परिपक्वता वाली जमा राशियां | - | - |
| **कुल** | **7,304,800** | **129,874,843** |

### 10.3 रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्यों के अतिरिक्त बैंक शेष

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को | 31 मार्च 2018 को |
|---|---|---|
| **अन्य बैंक शेष** | | |
| – 3 महीने से अधिक किन्तु 12 महीने से कम की मूल परिवक्वता वाली जमा राशियां | 1,320,378,599 | 411,015,409 |
| – 3 महीने से अधिक किन्तु 12 महीने से कम की मूल परिवक्वता वाली जमा राशियां (बैंक गारंटी) | 22,906,000 | 6,190,196 |
| **कुल** | **1,343,284,599** | **417,205,605** |

**नोट 10.3.1.**: दिनांक 31 मार्च 2019 को 2,29,06,000 रूपए (31 मार्च 2018 को 61,90,196 रूपए) राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास साविधि जमा राशि को दर्शाता है (निर्माण मंत्रालय, म्यामार को दर्शाता है)।

### 10.4 ऋण

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को | 31 मार्च 2018 को |
|---|---|---|
| **वसूली योग : अरक्षित** | | |
| प्रतिभूति जमा राशियां | 610,500 | 563,500 |
| कर्मचारी ऋण* | | |
| क. वसूली योग : रक्षित | 55,720 | - |
| ख. वसूली योग : अरक्षित, | 206,568 | - |
| **कुल** | **872,788** | **563,500** |

*ऊपर उल्लिखित ऋण और अग्रिम में कंपनी, फर्म के अधिकारियों को देय ऋण शामिल नही हैं, जिनमें निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिनमें निदेशक सदस्य है।

### 10.5 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को | 31 मार्च 2018 को |
|---|---|---|
| **क) वसूलीयोग्य – रक्षित,** | | |
| 12 महीनों से कम की शेष परिवक्वता वाली सावधि जमा राशियां | 89,527,909 | - |
| 12 महीनों से कम की शेष परिवक्वता वाली सावधि जमा राशियां (बैंक गारंटी) | 4,352,986 | - |
| कर्मचारी ऋणों और अग्रिमों पर संचित ब्याज | | 58,714 |
| बैंकों में एफडीआर पर संचित ब्याज | 20,742,616 | 13,712,349 |
| **ख) वसूलीयोग्य – अरक्षित,** | | |
| ग्राहकों द्वारा वापस ली गई/प्रतिधारित राशि | 3,485,668 | 4,833,021 |
| बयाना जमा राशि | 3,300,000 | 2,800,000 |
| **ग) संविदा परिसंपत्तियां** | | |
| बिलयोग्य राजस्व | 20,159,283 | 20,159,283 |
| **कुल** | **141,568,461** | **41,563,367** |

(क) ग्राहक द्वारा प्रमाणित किन्तु रिपेर्टिंग तिथि को बिल न की गई 201,59,283 रूपए की राशि कार्य के मूल्य सहित है।

**नोट 10.5.1:** दिनांक 31 मार्च 2019 को 43,52,986 रूपए हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय तथा विदेश मंत्रालय और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास सावधि जमा राशियों को दर्शाता है।

## 11 चालू परिसंपत्तियां

### 11.1 चालू कर परिसंपत्तिया

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को | 31 मार्च 2018 को |
|---|---|---|
| आयकर के लिए प्रावधान (अग्रिम कर और टीडीएस का प्रावधान) | - | 2,065,416 |
| अग्रिम कर/टीडीए प्राप्य (पिछले वर्ष) | - | - |
| **कुल** | - | **2,065,416** |

### 11.2 चालू कर देयताएं

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को | 31 मार्च 2018 को |
|---|---|---|
| आयकर के लिए प्रावधान (अग्रिम कर और टीडीएस का प्रावधान) | 4,107,997 | - |
| अग्रिम कर/टीडीए प्राप्य (पिछले वर्ष) | - | - |
| **कुल** | **4,107,997** | - |

## 12 अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को | 31 मार्च 2018 को |
|---|---|---|
| **पूंजी अग्रिमों से इतर अग्रिम** | | |
| ठेकेदारों को अग्रिम | 7,307,710 | 2,100,000 |
| **अन्य** | | |
| पूर्वप्रदत्त व्यय | 750,282 | 966,267 |
| स्टाफ को इम्प्रेस्ट | 61,869 | 48,106 |
| **कुल** | **8,119,861** | **3,114,373** |

## 13 इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को | 31 मार्च 2018 को |
|---|---|---|
| **प्राधिकृत शेयर पूंजी** | | |
| 10 रूपए के पूर्व प्रदत्त 6,50,00,000 इक्विटी शेयर | | |
| (दिनांक 31.03.2018 को प्रति 10 रूपए के 6,50,00,000 इक्विटी शेयर) | 650,000,000 | 650,000,000 |
| | **650,000,000** | **650,000,000** |
| **जारी/अंशदायी तथा प्रदत्त पूंजी** | | |
| 10 रूपए के पूर्व प्रदत्त 6,50,00,000 इक्विटी शेयर | | |
| (दिनांक 31.03.2018 को प्रति 10 रूपए के 6,50,00,000 इक्विटी शेयर) | 650,000,000 | 650,000,000 |
| | **650,000,000** | **650,000,000** |

### कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक की शेयरधारिता का ब्यौरा

(₹ में)

| शेयरधारक के नाम | 31 मार्च 2019 को | | 31 मार्च 2018 को | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरो की सं. | श्रेणी में प्रतिशत धारिता | शेयरो की सं. | श्रेणी में प्रतिशत धारिता |
| इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) | 65,000,000 | 100.00% | 65,000,000 | 100.00% |
| **कुल** | **65,000,000** | **100.00%** | **65,000,000** | **100.00%** |

रिपोर्टिंग तिथि के तत्काल पूर्व पांच वर्षों की अवधि के दौरान बोनस के रूप में जारी इक्विटी शेयरों, रोकड़ से इतर जारी शेयरों तथा बायबैक वाले शेयरों की समेकित संख्या।

| विवरण | 31 मार्च 2018 को | 31 मार्च 2017 को | 31 मार्च 2018 को | 31 मार्च 2015 को | 31 मार्च 2014 को |
|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या..... | संख्या..... | संख्या..... | संख्या..... | संख्या..... |
| रोकड़ से इतन आवंटित इक्विटी शेयर | - | - | - | - | - |
| बोनस के रूप में जारी इक्विटी शेयर | - | - | - | - | - |
| **कुल** | - | - | - | - | - |

## इक्विटी शेयरों और शेयर पूंजी का समाधान

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को | | | 31 मार्च 2018 को | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या | रूपए | राशि | शेयरों की संख्या | रूपए | राशि |
| वर्ष के आरंभ में जारी/अंशदायी तथा प्रदत्त इक्विटी पूंजी बकाया | 65,000,000 | 650,000,000 | 650,000,000 | 65,000,000 | 650,000,000 | 650,000,000 |
| जमा : वर्ष के दौरान जारी शेयर | - | - | - | - | - | - |
| वर्ष के अंत में जारी/अंशदायी तथा प्रदत्त इक्विटी पूंजी बकाया | 65,000,000 | 650,000,000 | 650,000,000 | 65,000,000 | 650,000,000 | 650,000,000 |

**नोटः**

1) कंपनी के पास 10.00 रूपए प्रति शेयर से अधिक मूल्य वाले इक्विटी की केवल एक श्रेणी है। प्रत्येक शेयरधारक प्रत्येक शेयर के लिए केवल एक मत का पात्र है दिवालियापन के मामले में इक्विटी शेयरधारक सभी प्रेफरेंशियल राशियों के संवितरण के पश्चात अपने शयरधारिता के अनुपान में कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पात्र है।

## 14 अन्य इक्विटी

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को | 31 मार्च 2018 को |
|---|---|---|
| प्रतिधारित आमदनियां | - | - |
| सामान्य आरक्षित निधि | 773,787,820 | 633,528,980 |
| **कुल** | **773,787,820** | **633,528,980** |

### 14.1 प्रतिधारित आमदनियां

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को | 31 मार्च 2018 को |
|---|---|---|
| **आरंभिक शेष** | | |
| जमा : लाभ व हानि विवरण से अंतरित लाभ | 140,258,966 | 136,543,859 |
| जमा : निर्धारित लाभ दायित्वों के पुनर्मापन से उत्पन अन्य आय | -126 | -5,477 |
| घटा : सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण | 140,258,840 | 136,538,383 |
| **समापन शेष** | - | - |

कंपनी ने वर्ष के लिए किसी लाभांश की घोषणा नहीं की है।

### 14.2 सामान्य आरक्षित निधि

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को | 31 मार्च 2018 को |
|---|---|---|
| आरंभिक शेष | 633,528,980 | 496,990,598 |
| जमा : लाभ व हानि विवरण से अंतरित लाभ | 140,258,840 | 136,538,383 |
| **समापन शेष** | **773,787,820** | **633,528,980** |

**अन्य आरक्षित निधियों की प्रकृति और प्रयोजन**

**(क) प्रतिधारित आमदनियां**

प्रतिधारित आमदनियां कंपनी के अवितरित लाभ को दर्शाती हैं।

**(ख) सामान्य आरक्षित निधि**

सामान्य आरक्षित निधि सांविधिक आरक्षित निधियों को दर्शाती हैं जो निगमित कानून के अनुरूप है, जिसमें लाभ का एक भाग आरक्षित निधि में शामिल किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, सामान्य आरक्षित निधि में किसी राशि का अंतरण कंपनी के विवेकाधिकार पर है।

## गैर चालू देयताएं

### 15.1 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को | 31 मार्च 2018 को |
|---|---|---|
| वसूली योग्य – अरक्षित, | | |
| प्रतिधारण राशि | 41,419,806 | 350,469 |
| **कुल** | **41,419,806** | **350,469** |

### 16 प्रावधान

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को | 31 मार्च 2018 को |
|---|---|---|
| कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान : | | |
| i) उपदान | 171,921 | 111,667 |
| ii) अवकाश वेतन | 1,437,375 | 150,996 |
| **कुल** | **1,609,296** | **262,663** |

### 17 अन्य गैर चालू देयताएं

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को | 31 मार्च 2018 को |
|---|---|---|
| एमएफसी के उपपट्टे से अपफ्रंट राशि | 317,579,006 | 314,739,447 |
| **कुल** | **317,579,006** | **314,739,447** |

## चालू देयताएं

### 18 वित्तीय देयताएं

### 18.1 व्यापार देय राशियां

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को | 31 मार्च 2018 को |
|---|---|---|
| (क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम (नोट 33 का संदर्भ) | 19,122,697 | - |
| (ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों से इतन | | |
| (क) ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता | 132,004,187 | 10,007,606 |
| (ख) संबंधित पक्ष | | |
| इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड | - | - |
| **कुल** | **151,126,884** | **10,007,606** |

## 18.2 अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को | 31 मार्च 2018 को |
|---|---|---|
| **अन्य देय राशियां** | | |
| कर्मचारियों को देय | 3,821,384 | 1,698,491 |
| जमा राशियां, प्रतिधारण राशि | 35,749,769 | 23,393,511 |
| अन्य | - | 19,102 |
| अन्य व्यय – प्रावधान | 5,339,162 | 15,597,924 |
| **अन्य देय – इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड** | | |
| ऋणों पर देय ब्याज | | |
| - कर्मचारियों के परिश्रमित, अन्य व्यय आदि के प्रतिपूर्ति के प्रति | 10,738,772 | 10,137,156 |
| - किराए के भुगतान के प्रति | - | - |
| **कुल** | **55,649,086** | **50,846,184** |

## 19 अन्य चालू देयताएं

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को | 31 मार्च 2018 को |
|---|---|---|
| **अन्य** | | |
| सांविधिक देयः | 27,621,560 | 9,071,133 |
| एमएफसी के उपपट्टे से अपफ्रंट राशि | 14,357,779 | 14,357,779 |
| **संविदा देयताएं :** | | |
| ग्राहकों से अग्रिम | 974,788,297 | 204,790,945 |
| **कुल** | **1,016,767,637** | **228,219,857** |

## 20 प्रावधान

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को | 31 मार्च 2018 को |
|---|---|---|
| **कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान :** | | |
| i) उपदान | 174 | 116 |
| ii) अवकाश वेतन | 6,244 | 3,421 |
| iii) पीआरपी | 503,089 | 314,905 |
| **कुल** | **509,507** | **318,442** |

## 21 प्रचालनों से राजस्व

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| **ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व** | | |
| (क) सेवाओं की बिक्री | | |
| श्रमशक्ति आपूर्ति | | |
| – अन्य | | |
| – संबंधित पक्ष | 5,265,659 | 4,816,293 |
| **उपकुल** | **5,265,659** | **4,816,293** |
| परियोजना प्रबंधन परामर्श | | |
| – अन्य | 476,834,925 | 154,616,659 |
| – स्वच्छ भारत अभियान परियोजनाएं | - | 407,550 |
| – संबंधित पक्ष | | |
| **उपकुल** | **476,834,925** | **155,024,209** |
| **(ख) अन्य ऑपरेटिंग राजस्व** | | |
| सीएसआर और स्वच्छ भारत अभियान परियोजनाओं का निष्पादन | 37,214,286 | 15,366,962 |
| अन्य | 335,500 | 66,275 |
| संबंधित पक्ष | - | - |
| **उपकुल** | **37,549,786** | **15,433,237** |
| **अन्य राजस्व** | | |
| एमएफसी के उपपट्टे से पट्टा किराया | | |
| – अन्य | 177,857,517 | 148,277,654 |
| – संबंधित पक्ष | | |
| **उपकुल** | **177,857,517** | **148,277,654** |
| संयंत्र एवं मशीनरी को पट्टा पर देना | | |
| – अन्य | | - |
| – संबंधित पक्ष | 8,891,667 | - |
| **उपकुल** | **8,891,667** | - |
| **कुल** | **706,399,554** | **323,551,393** |

## 22 अन्य आय

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| बैंक ब्याज सकल | 24,147,922 | 38,404,577 |
| कर्मचारी अग्रिम पर ब्याज | 32,211 | 315 |
| प्राप्य एवं अग्रिम पर ब्याज | 25,623,403 | 26,471,353 |
| आयकर की प्रतिपूर्ति पर ब्याज | - | 369,864 |
| विनिमय उच्चावचलन लाभ | 2,132,762 | 983,905 |
| अन्य गैर प्रचालनिक आय | | |
| – अन्यों से | 5,815,292 | 1,403,133 |
| – संबंधित पक्ष (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड) | - | - |
| **कुल** | **57,751,589** | **67,633,147** |

## 23 प्रचालनिक आय

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| प्रचालनों से लागत | 442,259,082 | 86,040,715 |
| **कुल** | **442,259,082** | **86,040,715** |

### i) प्रचालनों से लागत का ब्यौरा

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| कार्य व्ययय – सीएसआर | 35,953,728 | 12,755,358 |
| कार्य व्यय – परामर्श कार्य | 5,759,977 | 8,402,613 |
| कार्य व्यय – एमएफसी का पट्टा | 47,396,658 | 43,911,270 |
| कार्य व्यय – ईएमपी लैब का प्रचालन एवं अनुरक्षण | 747,190 | 977,815 |
| अन्य परियोजनाओं के लिए कार्य व्यय | 351,556,728 | 3,892,661 |
| कार्य व्यय – एलपीएआई | - | 930,000 |
| कार्य व्यय – एमईए | 844,800 | 15,170,999 |
| **कुल** | **442,259,082** | **86,040,715** |

## 24 कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| वेतन एवं पारिश्रमिक | 77,529,655 | 39,189,698 |
| भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान | 5,389,121 | 2,838,876 |
| **कुल** | **82,918,777** | **42,028,573** |

## 25 वित्तीय लागत

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| ब्याज व्यय | | |
| - संबंधित पक्ष से ऋण पर ब्याज | - | 11,916,642 |
| (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड) | | |
| आयकर पर ब्याज | 51,724 | 1,157,092 |
| बैंक तथा अन्य वित्तीय प्रभार | 425,688 | 705,061 |
| **कुल** | **477,412** | **13,778,795** |

## 26 मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| परिसंपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण | 14,688,512 | 16,350,497 |
| अमूर्त परिसंपत्तियां | 16,561,935 | 25,382,485 |
| **कुल** | **31,250,447** | **41,732,982** |

## 27 अन्य व्यय

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| दरें एवं कर | 1,272,809 | 2,046,005 |
| यात्रा एवं कन्वेयंस | 9,670,645 | 10,542,400 |
| मुद्रण एवं स्टेशनरी | 715,048 | 405,214 |
| पोस्टेज, दूरभाष एवं टेलेक्स | 552,441 | 306,612 |
| विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार | 2,592,963 | 3,006,062 |
| स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री पर घाटा | 325,617 | - |
| बीमा | 3,134,141 | 93,253 |
| किराया | 4,146,752 | 3,621,034 |
| प्रशिक्षण एवं भर्ती व्यय | 2,500 | 47,018 |
| वाहन प्रचालन एवं अनुरक्षण | 2,587,434 | 1,215,772 |
| लेखापरीक्षा पारिश्रमिक (ब्यौरे हेतु बिंदु(i) का संदर्भ लें) | 241,209 | 235,900 |
| विज्ञापन एवं प्रचार | 4,096,877 | 1,599,120 |
| विविध व्यय | 2,021,396 | 1,506,685 |
| सांविधिक देयों के विलंबित भुगतान पर ब्याज | 25,823 | 254,978 |
| शुल्क तथा अंशदान प्रभार | 604,338 | 11,193 |
| मरम्मत एवं अनुरक्षण | 1,173,706 | 444,877 |
| सीएसआर | 1,460,151 | 996,081 |
| विनिमय उच्चावचन घाटा | 660,687 | 208,367 |
| **कुल** | **35,284,536** | **26,540,569** |

### (i) सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान :

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| (I) लेखापरीक्षा शुल्क – चालू वर्ष | 183,409 | 185,400 |
| (ii) कर लेखापरीक्षा शुल्क – चालू वर्ष | 37,800 | 31,500 |
| (iii) यात्रा और जेब खर्च में से : | 20,000 | 19,000 |
| - स्थानीय | | |
| **कुल** | **241,209** | **235,900** |

## 28 आयकर व्यय

### लाभ एवं हानि में स्वीकृत आय कर

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| चालू आयकर : | | |
| चालू आयकर प्रभार | 37,055,508 | 38,641,721 |
| समायोजन : पर्व वर्ष | - | -8,757,877 |
| आस्थगित कर : | | |
| चालू वर्ष के संबंध में | -5,353,585 | 14,635,202 |
| **कुल** | **31,701,924** | **44,519,046** |

### कर व्यय और लेखांकन लाभ के बीच समाधान :

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| निरंतर प्रचालनों से कर पूर्व लेखांकिन लाभ | 171,960,889 | 181,062,905 |
| आयकर पूर्व लेखांकन लाभ | 171,960,889 | 181,062,905 |
| 21.5488 प्रतिशत की भारतीय सांविधिक आयकर दर पर | 37,055,508 | 38,641,721 |
| **राशियों पर कर प्रभाव जो परिकलन करयोग्य आय से कटौती योग्य (करयोग्य) नहीं हैं** | | |
| घटा : 90/91 के अंतर्गत कटौती | | |
| जमा : धारा 90/91 में कटौती के कारण अतिरिक्त प्रावधान | | |
| जमा : पूर्व अवधियों के करों हेतु समायोजन | - | -8,757,877 |
| गैर करयोग्य मद (ओसीआई) | 52 | |
| जमाः स्वीकृत आस्थगि कर देयताएं | -5,353,636 | 14,635,202 |
| 18.45 प्रतिशत की प्रभावी आयकर दर पद (31 मार्च 2018 : 24.59 प्रतिशत) | **31,701,924** | **44,519,046** |
| लाभ एवं हानि विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय (निरंतर प्रचालनों से संबंधित) | 31,701,924 | 44,519,046 |
| | **31,701,924** | **44,519,046** |

**नोट 29 अन्य वृहत आय के घटक (ओसीआई)**

**इक्विटी में प्रत्येक प्रकार की आरक्षित निधि द्वारा ओसीआई में परिवर्तनों से असमानता नीचे प्रस्तुत है**

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन | -178 | -8,375 |
| निर्धारित लाभ दायितवों के पुनर्मापन के कर घटक | 52 | 2,898 |
| **कुल** | **-126** | **-5,477** |

## 30 आमदनी प्रतिश शेयर (ईपीएस)

मूल ईपीएस राशियों का परिकलन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की वेटिड औसत संख्या द्वारा मूल कंपनी के शेयरधारकों के प्रति वर्ष के लिए लाभ को भाग करके किया जाता है।

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| मूल ईपीएस | 2.16 | 2.10 |
| विलयित ईपीएस | 2.16 | 2.10 |

विलयित ईपीएस राशियों का परिकलन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की वेटिड औसत संख्या द्वारा (परिवर्ती प्रेफरेंशयल शेयरों पर ब्याज के समायोजन के पश्चात) मूल कंपनी के शेयरधारकों के प्रति वर्ष के लिए लाभ जमा शेयरों की वेटिड औसत संख्या, जो सभी विलयित संभावित इक्विटी शेयरों को इक्विटी शेयरों में परिवर्तन पर जारी किए गए हैं, को भाग करके किया जाता है।

निम्नखित मूल ईपीएस परिकलन में प्रयुक्त आय और शेयर डाटा को प्रदर्शित करता है-

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| मूल कंपनी के शेयरधारकों के प्रति लाभ: | | |
| निरंतर प्रचालन | 140,258,966 | 136,543,859 |
| बंद प्रचालन | | |
| प्रति शेयर मूल आमदनी के लिए इक्विटी शेयरधारों के प्रति लाभ | 140,258,966 | 136,543,859 |
| परिवर्ती प्रेफरेंशियल शेयरों पर ब्याज | | |
| विलयन के प्रभाव के लिए समायोजित मूल के इक्विटी शेयरधारक के प्रति लाभ | 140,258,966 | 136,543,859 |

निम्नलिखित मूल ईपीएस परिकलनों के लिए प्रयुक्त वेटिड औसत शेयरों की संख्या को दर्शाता है।

(₹ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| मूल ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की वेटिड औसत संख्या* | 65,000,000 | 65,000,000 |
| विलयन का प्रभाव: | | |
| शेयर विकल्प | - | - |
| परिवर्ती प्रेफरेंशियल शेयर | - | - |
| विलयन के प्रभाव हेतु समायोजित इकिवटी शेयरों की वेटिड औसत संख्या* | 65,000,000 | 65,000,000 |

* शेयरों की वेटिड औसत संख्या के लिए वर्ष के दौरान कोषीय शेयर संव्यवहारों में परिवर्तन के वेटिड औसत प्रभाव को ध्यान में रखा गया है। इन वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग तिथि और प्राधिकरण तिथि के बीच इक्विटी शेयरों या संभावित इक्विटी शेयरों का कोई अन्य संव्यवहार नहीं हुआ है।

# प्रकटनों सहित लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

**31. आकस्मिक देयताएं / परिसंपत्तियां जिनका प्रावधान नहीं किया गया है :**

(क) कम्पनी के विरूद्ध वे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है कि राशि शून्य रुपए (शून्य रुपए )है।

(ख) अपील के अधीन कुल प्रत्यक्ष कर विवाद मांग रूपए 15,27,42,010 (रूपए 15,27,42,010)।

(ग) कंपनी के विरूद्ध न्यायालय में कर्मचारियों / अन्यों से संबंधित कुछ मामले लंबित हैं, जिनके संबंध में देयताएं निर्धारित नहीं हैं।

घ. ग्राहकों / अन्यों को जारी बैंक गारंटी :

i. दिनांक 24.03.2017 के बीजी सं. ओईओबी / एलजीआई / 040871217000019 के तहत 2,27,70,000 रूपए की परियोजना प्रबंधन सेवाओं के लिए विदेश मंत्रालय को जारी बैंक गारंटी।

ii. दिनांक 22.09.2017 के बीजी सं. 0408 / ओईओबी / एलजीआई / 71317000035 के तहत 10,00,000 रूपए की केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जारी बैंक गारंटी।

iii. दिनांक 19.08.2017 के बीजी सं. 0408 / ओईओबी / एलजीआई / 71217000064 के तहत 10,00,000 रूपए की हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय को जारी बैंक गारंटी।

iv. दिनांक 20.09.2018 के बीजी सं. ओईओबी / एलजीआई / 0408 / 71318000054 के तहत 22,40,500 रूपए की हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय को जारी बैंक गारंटी।

v. दिनांक 26.09.2018 के बीजी सं. ओईओबी / एलजीआई / 0408 / 71218000011 के तहत 50,00,000 रूपए की वेतन एवं लेखा अधिकारी (सचिवालय), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को जारी बैंक गारंटी।

vi. दिनांक 19.02.2019 के बीजी सं. ओईओबी / एलजीआई / 0408 / 71319000009 के तहत 34,36,000 रूपए की राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी को जारी बैंक गारंटी।

vii. दिनांक 19.02.2019 के बीजी सं. ओईओबी / एलजीआई / 0408 / 71319000010 के तहत 83,70,000 रूपए की राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी को जारी बैंक गारंटी।

viii. दिनांक 19.02.2019 के बीजी सं. ओईओबी / एलजीआई / 0408 / 71319000008 के तहत 61,00,000 रूपए की राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी को जारी बैंक गारंटी।

ix. दिनांक 08.11.2017 के बीजी सं. ओईओबी / एलजीआई / 0408 / 71117000036 के तहत 1,73,54,600 रूपए की नवोदय विद्यालय समिति को जारी बैंक गारंटी।

x. दिनांक 08.11.2017 के बीजी सं. ओईओबी / एलजीआई / 0408 / 71217000074 के तहत 1,55,04,000 रूपए की नवोदय विद्यालय समिति को जारी बैंक गारंटी।

xi. दिनांक 08.11.2017 के बीजी सं. ओईओबी / एलजीआई / 0408 / 71117000034 के तहत 37,37,500 रूपए की हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय को जारी बैंक गारंटी।

xii. दिनांक 08.11.2017 के बीजी सं. ओईओबी / एलजीआई / 040871117000035 के तहत 36,00,625 रूपए की विदेश मंत्रालय को जारी बैंक गारंटी।

**32. पूंजी प्रतिबद्धता:**

संयंत्र और मशीनरी का प्रापण

दिनांक 20.02.2015 की मद सं. 10/15 के तहत निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार, कंपनी ने भारत में विभिन्न क्षेत्रीय रेलों से पुरानी रेलपथ मशीनों की खरीद और उन्हें अवसंरचना क्षेत्र में कंपनी की क्षमता निर्माण में सहायता हेतु प्रचालनिक बनाने के लिए अपनी शेयर पूंजी को 25,00,00,000 रूपए तक बढा दिया है। कुल अनुमानित अनुमोदित व्यय 25,00,00,000 रूपए है जिसमें से 2,23,60,750 रूपए को 31 मार्च 2019 तक (31 मार्च 2018 को 2,17,15,638 रूपए) क्रियान्वित कर दिया गया है।

**33.** क) ऋणदाताओं, अग्रिमों, देनदारों के अधीन दर्शाए जा रहे कुछ शेष विषयानुसार पुष्टिकरण/समायोजन यदि कोई हो, के मद्देनजर हैं। कम्पनी उपर्युक्त सहित, पक्षों को पुष्टि के लिए पत्र भेज रही है।

ख) बिक्री–कर (टीडीएस सहित), मूल्य संवर्धन कर (वीएटी), आयकर (टीडीएस सहित) को पुष्टि/पुनर्विनियोजन / समायोजन, यदि कोई हो, के मद्देनजर अग्रिमों के अंतर्गत दर्शाया गया है।

ग) प्रबंधन के मतानुसार वसूली पर चालू परिस्थितियों ऋणों तथा अग्रिमों का मूल्य, व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया है, को उस मूल्य से कम नहीं होना चाहिए जिस मूल्य पर इन्हें तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

**34.** क. कंपनी ने यह जानने के लिए अपने आपूर्तिकर्ताओं को पत्र भेजे हैं कि क्या वे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिरियम) के अंतर्गत शामिल होते हैं या नहीं। कंपनी ने पाया कि केवल कुछ ही आपूर्तिकर्ता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आते हैं और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय राशियां 31 मार्च 2019 को 1,91,22,697 रूपए तथा 31 मार्च 2018 को शून्य रूपए हैं।

ख. कंपनी को अपने किसी आपूर्तिकर्ता से इस आशय की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि वे सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006(एमएसएमईडी अधिनियम) के अंतर्गत आते हैं। इस सूचना के आधार पर, 31 मार्च 2019 को को 30 दिन से अधिक अवधि के लिए लधु आद्योगिक उपक्रम के प्रति देय राशि 31 मार्च 2019 को शून्य तथा 31 मार्च 2018 को शून्य रूपए हैं।

**सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षित अनुसार प्रकटन निम्नानुसार है:**

| विवरण | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| (क) प्रत्येक लेखांकन वर्ष को समाप्त वर्ष को किसी आपूर्तिकर्ता को शेष अप्रदत्त मूल राशि व उसपर ब्याज | | |
| • सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को देय मूल राशि | 1,91,22,697 रू. | शून्य |
| • उपर्युक्त पर ब्याज | शून्य | शून्य |
| (ख) प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की शर्तों के अनुसार रीजन द्वारा प्रदत्त ब्याज की राशि और निर्धारित तिथि के पश्चात आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान की राशि। | शून्य | शून्य |

| विवरण | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| (ग) किए गए भुगतान (वर्ष के दौरान जिसका भुगतान किया गया है किन्तु निर्धारित तिथि के पश्चात) में विलंब की अवधि के लिए देय और प्रदत्त ब्याज की राशि किन्तु सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज को शामिल किए बिना। | शून्य | शून्य |
| (घ) प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में संचित तथा शेष अप्रदत्त ब्याज की राशि। | शून्य | शून्य |
| (ड.) आगामी वर्षों में भी देय एवं प्रदत्त ब्याज की शेष राशि, उस तिथि तक, जब कि सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के खंड 23 के अंतर्गत कटौतीयोग्य व्यय के अस्वीकार्य के प्रयोजन हेतु लघु उपक्रम को वास्तव में इन देय राशियों का भुगतान किया गया हो। | शून्य | शून्य |

## 35. विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम

### (क) आयातों पर सीआईएफ मूल्यः

| विवरण | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|
| सामग्री /मशीनरी | 0.00 | 0.00 |
| उपभोज्य, घटक और कलपुर्जे | 0.00 | 2,50,000 |
| **कुल** | **0.00** | **2,50,000** |

### (ख) विदेशी मुद्रा में अर्जन :

| विवरण | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|
| कार्य पावतियां | 51,11,771 | 1,91,71,252 |
| बैंक ब्याज | 0.00 | 1,543 |
| अन्य ब्याज | 0.00 | 0.00 |
| विदेशी विनिमय उच्चावचन लाभ (निवल) | 14,72,075 | 1,92,110 |
| अन्य | 9,94,986 | 2,21,693 |
| **कुल** | **75,78,832** | **1,95,86,598** |

**(ख) विदेशी मुद्रा में व्यय :**

| विवरण | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|
| प्रचालनिक व्यय | 10,36,048 | 2,50,000 |
| परामर्शदात्री प्रशर | 0.00 | 0.00 |
| विदेशी विनिमय उच्चावचन हानि (निवल) | 0.00 | 0.00 |
| प्रशासनिक तथा अन्य व्यय* | 96,94,881 | 1,53,55,316 |
| **कुल** | **1,07,30,929** | **1,56,05,316** |

*प्रशासनिक व्यय में म्यामार परियोजना व्यय शामिल हैं, जिन्हें स्थानीय मुद्रा (क्यात्स) में खर्च किया गया है, तथापि ग्राहक यथा विदेश मंत्रालय से भुगतान भारतीय रूपए में प्राप्त हुआ है।

**36.** क. नियमित कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि अंशदान, उपदान, छुट्टी नगदीकरण तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को को इंड एएस–19 की शर्तों के अनुसार लेखांकित किया गया है। इरकॉन के नियमित कर्मचारियों को देय पेंशन और पीआरपी के संबंध में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) की नीति को अपनाया गया है। और तदनुसार, पेंशन की उनपीएस योजना मे अंशदान किया गया है और पीआरपी के प्रावधानों को बुक किया गया है।

ख. कंपनी ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए अल्पकालीन संविधा आधार पर कतिपय कर्मचारिया को नियुक्त किया है। नियुक्ति संविदा के आधार पर, विदेश परियोजनाओं में तैनात कर्मचारी केवल अवकाश नकदीकरण के लिए पात्र हैं और उन्हें किसी प्रकार का सेवानिवृत्ति लाभ देय नहीं है।

ग. नियमित/संविदा आधार पर तैनात इरकॉन आईएसएल के कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान को कंपनी द्वारा नियमित रुप से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा कराया जा रहा है।

घ. इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड में कार्यरत व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के रोल में हैं। इनके भविष्य निधि अंशदान, उपदान, छुट्टी नगदीकरण तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को इनकी धारक कंपनी से इनवाइज/डेबिट एडवाइस के आधार पर प्रगतिरत शीर्षों में पूंजीगत कार्यों के अंतर्गत रेखांकित किया गया है। एएस–19 की शर्तों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के उपदान तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभों का प्रावधान लेखांकन नीति (नोट सं.2, बिन्दु सं. 20) के अनुसार उनकी धारक कंपनी द्वारा किया जा रहा है।

ड. प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान को धारक कंपनी द्वारा अपने भविष्य निधि ट्रस्ट में नियमित रुप से जमा कराया जा रहा है।

**37. इंड एएस–19 के अनुसार प्रकटन (कर्मचारी लाभ)**

**उपदान**

पृथकरण पर (अधिवर्षिता, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, शारीरिक अक्षमता या मृत्यु के कारण) उपदान पात्र कर्मचारियों को सेवा के पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर से देय होगा, जिन्होंने 5 वर्ष या अधिक अवधि की निरंतर सेवा पूरी की है। उपदान की सीमा बीमांकक मूल्यांकन के लिए 20 लाख रूपए निर्धारित की गई है।

बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी के नियमित कर्मचारियों के लिए उपदान के संबंध में दिनांक 31 मार्च 2019 को प्रावधान 1,72,095 रूपए (वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए 1,11,783 रूपए) है।

**पेंशन**

इरकॉन आईएसएल के नियमित कर्मचारियों को देय पेंशन के संबंध में, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) की नीति को अपनाया गया है और तदनुसार पेंशन की एनपीएस योजना में अंशदान किया जा रहा है और अनुमोदित मान्यताप्राप्त निधि मे नियमित आधार पर धनराशि जमा की जा रही है।

**अवकाश नकदीकरण**

अवकाश नकदीकरण के संबंध में, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) के नियमों को अपनाया गया है, और इसलिए, कंपनी के नियमित कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण के लिए संचित आधार पर बहियों में प्रावधान किया गया है।

कंपनी के नियमित कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण के संबंध में दिनांक 31 मार्च 2019 को बीमांकक मूल्यांकन इंड एएस–19 के अनुसार 2,85,134 रूपए (वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए 1,54,417 रूपए) का प्रावधान किया गया है।

**38.** कंपनी ने अपनी धारक कंपनी से शून्य रुपए (वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए शून्य रूपए) का ऋण लिया है। दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए शून्य रुपए (31 मार्च 2018 को 22,92,00,000 रूपए) की राशि का पुनर्भुगतान किया गया है और अब बकाया ऋण शून्य रुपए (31 मार्च 2018 को शून्य रूपए) है। वर्ष के दौरान ऋण पर भुगतान किया गया देय ब्याज दिनांक 31 मार्च 2019 को शून्य रूपए (वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए 1,19,16,642 रूपए) है।

**39.** (क) रेल मंत्रालय ने रेल बजट 2009–10 के तहत चिह्नित स्थलों पर बहुउद्देशीय परिसरों के विकास की घोषणा की है जिन्हें इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) द्वारा संयुक्त रुप से विकसित किया जाएगा।

(ख) तदनुसार इरकॉन तथा आरएलडीए के बीच 21.08.2009 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। दिनांक 21 अगस्त, 2009 को इरकॉन तथा आरएलडीए के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार बहुउद्देशीय परिसरों के विकास, प्रचालन तथा अनुरक्षण का कार्य इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) द्वारा किया जाना है। इसके अतिरिक्त, बहुउद्देशीय परिसरों के लिए आरएलडीए तथा डब्ल्यूओएस यथा इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के बीच दिनांक 04.07.2013 को एक पट्टा करार पर हस्ताक्षर किए थे।

(ग) निर्माण गतिविधियों से संबंधित प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सभी व्ययों को पूंजीकृत किया गया है और उनका मूल्य निर्धारण लागत पर किया गया है। निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष व्यय/ आकस्मिक व्यय को संबंधित निर्माण या आकस्मिकता से प्रत्यक्ष रुप से संबंधित व्यय के स्तर तक लागत आधार पर पूंजीकृत किया गया है।

(घ) सभी बहुउद्देशीय परिसर परियोजनाओं को पूंजीकृत किया गया है और सभी व्ययों और ऋण पर ब्याज को विचाराधीन वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते मे प्रभारित किया गया है (जिसे पूर्व में विभिन्न परियोजनाओं में पूंजीकृत किया गया था)।

(ड.) कंपनी ने आज की तिथि तक 23 बहुउद्देशीय परिसरों को उपपट्टे पर दिया है जिनमें से पांच एमएफसी यथा मैसूर, थिरूवल्ला, कन्नूर, राजगीर तथा रामपुरहाट को देय राशियों का भुगतान न किए जाने के कारण समाप्त कर दिया गया है।

(च) इसके लिए कंपनी ने उप–पट्टेदार से एकमुशत बयाना राशि तथा मासिक किराया प्राप्त किया है/प्राप्य है। पट्टे के अंतर्गत स्वीकार किया गया कुल राजस्व 17,78,57,517 रूपए (वित्तीय वर्ष 2017–18 में 14,82,77,654 रूपए) है। उप–पट्टेदार से प्राप्त/प्राप्य एकमुशत बयाना राशि तथा मासिक किराये को प्रोरेटा आधार पर पट्टा अवधि में सीधी–रेखा आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में लाभ के रूप में स्वीकार किया गया है।

**40.** दिनांक 01.04.2013 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) और इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) के बीच करार के अनुसार इरकॉन आईएसएल को श्रमिक–प्रतिदिन आधार पर इरकॉन की

मलेशिया परियोजना के लिए ''श्रमशक्ति की आपूर्ति'' का कार्य प्रदान किया गया है। इससे प्राप्त राजस्व 35,00,014 रूपए (वित्तीय वर्ष 2017–18 में 48,16,293 रुपए) है। इस पर किया गया व्यय 13,08,988 रूपए (वित्तीय वर्ष 2017–18 में 18,46,265 रुपए) है।

**41.** इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) के बीच दिनांक 28.03.2019 के करार के अनुसार, इरकॉन आईएसएल ने दिनांक 28.05.2018 से किराया प्रभार पर इरकॉन की जयनगर नेपाल परियोजना को ''डोमेटिक टेंपिंग मशीन'' को पट्टे पर दिया था। इससे प्राप्त राजस्व 88,91,667 रुपए है। इस पर किया गया व्यय 1,03,06,413 रूपए है।

**42.** दिनांक 26.03.2019 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) और इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) के बीच करार के अनुसार इरकॉन आईएसएल को दिनांक 01.10.2017 से श्रमिक–प्रतिदिन आधार पर इरकॉन की अल्जीरिया परियोजना के लिए ''श्रमशक्ति की आपूर्ति'' का कार्य प्रदान किया गया है। इससे प्राप्त राजस्व 16,11,757 रूपए है और वेतन के भुगतान के प्रति प्रतिपूर्ति 14,20,463 रूपए है। अल्जीरिया परियोजना से कुल प्राप्य राशि 30,32,220 रूपए है। इस पर किया गया व्यय 9,95,722 रूपए है।

**43.** दिनांक 25.03.2019 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) और इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) के बीच करार के अनुसार इरकॉन आईएसएल को दिनांक 01.01.2019 से श्रमिक–प्रतिदिन आधार पर इरकॉन की कोलकाता परियोजना के लिए ''श्रमशक्ति की आपूर्ति'' का कार्य प्रदान किया गया है। इससे प्राप्त राजस्व 1,53,888 रूपए है। इस पर किया गया व्यय 1,16,582 रुपए है।

**44.** वर्ष के दौरान, धारक कंपनी ने ईएमपी लेब के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए कंपनी को जम्मू मे परिसंपत्तियों सहित ईएमपी लैब सुपुर्द कर दी है। इससे प्राप्त राजस्व 3,35,5000 रूपए (वित्तीय वर्ष 2017–18 में 66,275 रूपए) है। कंपनी ने वर्ष के दौरान जम्मू मे ईएमपी लैब के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए 6,78,122 रूपए (वित्तीय वर्ष 2017–18 में 9,68,315 रूपए) खर्च किए है, जिसे लाभ एवं हानि खाते मे प्रभारित किया गया है।

**45.** कंपनी ने विभिन्न ग्राहकों से लागत जमा आधार पर परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण का कार्य प्राप्त और निष्पादित किया गया है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत तथा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से इतर अन्य विभिन्न ग्राहकों के सीएसआर कार्यों के अंतर्गत 3,72,14,286 रूपए (वित्तीय वर्ष 2017–18 में 1,53,66,962 रूपए) का राजस्व बुक किया गया हैं।

**46. वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्त नई परियोजनाएं**

क. दिनांक 11.06.2018 को भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर) और इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) के बीच करार के अनुसार इरकॉन आईएसएल को ईस्टर्न डेडिकेटिड फ्रेट कॉरीडोर (गुजरात) पर भौपुर के समीप एमएमएलपी की स्थापना के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति का कार्य प्रदान किया गया है।

ख. दिनांक 26.07.2018 को राष्ट्रीय ताप उर्जा निगम (एनटीपीसी) और इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) के बीच करार के अनुसार इरकॉन आईएसएल को एनटीपीसी उच्चाहार (उत्तर प्रदेश) में परियोजना प्रबंधन का कार्य तथा स्तर–1 पर पीआरसी स्लीपर एमजीआर प्रणाली सहित स्लीपरों के प्रतिस्थापन का कार्य प्रदान किया गया है।

ग. दिनांक 03.09.2018 को भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर) और इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) के बीच करार के अनुसार इरकॉन आईएसएल को अंकलेश्वर (गुजरात) के समीप दहेज में एमएमएलपी कंटेनर टर्मिनल की स्थापना के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग एवंय परियोजना पर्यवेक्षण का कार्य प्रदान किया गया है।

घ. दिनांक 16.11.2018 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) के बीच करार के अनुसार इरकॉन आईएसएल को एनडीआरएफ अकादमी, नागपुर (महाराष्ट्र) के लिए अवसंरचना के निर्माण का कार्य प्रदान किया गया है।

ड. वर्ष के दौरान कंपनी ने भारतीय पावर ग्रिड निगम लिमिटेड (पीजीसीआईएल) से स्वच्छ भारत अभियान परियोजनाओं के अंतर्गत टोयलट ब्लॉकों के निर्माण का कार्य भी प्राप्त किया है।

**47. पट्टों के संबंध में प्रकटन:**

कंपनी ने प्रचालनिक पट्टे पर कोई परिसंपत्ति प्राप्त नहीं की है।

**क. बहुउद्देशीय परिसरों के लिए प्रचालनिक पट्टे**

i. कंपनी ने दिनांक 31.03.2019 को अनेक उपपट्टाधारियों को 23 (तेईस) बहुउद्देशीय परिसर उपपट्टे पर दिए हैं, जिनमें से दिनांक 31.03.2019 को 5 एमएफसी के करार को रद्द कर दिया गया है और ये हैं कन्नूर, राजगीर, रामपुरहाट, थिरूवल्ला तथा मैसूर।

ii. गैर–रद्द पट्टे के अंतर्गत देय योग्य भावी न्यूनतम पट्टा किराया/प्राप्य निम्नानुसार है:

| पट्टा किराया | एक वर्ष से अधिक नहीं | एक वर्ष से 5 वर्ष तक | 5 वर्ष के बाद |
|---|---|---|---|
| | 16,15,69,326.00 | (18,33,89,342) | 94,56,95,666.00 |
| प्राप्य | (1,04,89,11,766) | 6,36,14,50,015.00 | (7,62,80,57,960) |
| देय | शून्य (शून्य) | शून्य (शून्य) | शून्य (शून्य) |

**ख. वर्ष के लिए बहुउद्देशीय परिसरों को पट्टे पर देने के संबंध में मूल्यह्रास/परिशोधन का प्रकटन :–**

| विवरण | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|
| परिसंपतियों की सकल राशि | 88,78,73,517 | 75,44,83,701 |
| संचित मूल्यह्रास/परिशोधन | 8,55,19,331 | 5,97,04,415 |

| विवरण | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|
| वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन | 1,47,06,531 | 2,05,45,422 |

**48 ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व पर इंड एएस–115 के अंतर्गत प्रकटन'**

**(क) राजस्व का वियोजन**

ग्राहकों के साथ संविदाओं से कंपनी के राजस्व के वियोजन का ब्यौरा नीचे प्रस्तुत है

| | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | | |
|---|---|---|---|
| **वस्तुओं या सेवाओं का प्रकार** | **भवन** | **अन्य** | **कुल** |
| निष्पादन दायित्वों के संतोष का समय: | | | |
| सम्पूर्ण समय में | 47,68,34,925 | 4,28,15,445 | 51,96,50,370 |
| समय बिंदु पर | - | - | - |
| **कुल** | 47,68,34,925 | 4,28,15,445 | 51,96,50,370 |
| निष्पादन दायित्वों को मापन की विधि: | | | |
| इनपुट विधि | 47,68,34,925 | 4,28,15,445 | 51,96,50,370 |
| आउटपुट विधि | - | - | - |
| **कुल** | 47,68,34,925 | 4,28,15,445 | 51,96,50,370 |

| | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | | |
|---|---|---|---|
| **भौगोलिक बाजार :** | | | |
| घरेलू | 40,96,60,892 | 3,77,03,674 | 44,73,64,566 |
| अंतरराष्ट्रीय | 6,71,74,033 | 51,11,771 | 7,22,85,804 |
| **कुल** | **47,68,34,925** | **4,28,15,445** | **51,96,50,370** |

| | 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु | | |
|---|---|---|---|
| **वस्तुओं या सेवाओं का प्रकार** | **भवन** | **अन्य** | **कुल** |
| **निष्पादन दायित्वों के संतोष का समयः** | | | |
| सम्पूर्ण समय में | 15,50,24,209 | 2,02,49,530 | 17,52,73,739 |
| समय बिंदु पर | - | - | - |
| **कुल** | **15,50,24,209** | **2,02,49,530** | **17,52,73,739** |
| **निष्पादन दायित्वों को मापन की विधि:** | | | |
| इनपुट विधि | 15,50,24,209 | 2,02,49,530 | 17,52,73,739 |
| आउटपुट विधि | - | - | - |
| **कुल** | **15,50,24,209** | **2,02,49,530** | **17,52,73,739** |
| **भौगोलिक बाजार:** | | | |
| घरेलू | 2,53,36,865 | 1,54,33,237 | 4,07,70,102 |
| अंतरराष्ट्रीय | 12,96,87,344 | 48,16,293 | 13,45,03,637 |
| **कुल** | **15,50,24,209** | **2,02,49,530** | **17,52,73,739** |

**(ख) सेगमेंट सूचना में प्रकटित राशियों सहित ग्राहकों के साथ संविदाओं से प्राप्त राजस्व का समाधानः**

सेगमेंट रिपोर्टिंग से राजस्व है 70,63,99,554 रूपए *(32,35,51,393 रूपए) (नोट 54 का संदर्भ लें)

*70,63,99,554 रूपए (वित्तीय वर्ष 2017–18 में 32,35,51,393 रूपए) के कुल सेगमेंट राजस्व में पीएमसी संविदाओं से राजस्व 51,96,50,370 रूपए (वित्तीय वर्ष 2017-18 17,52,73,739) और एमएफसी के पट्टे तथा डौमेटिक मशीन से 18,67,49,184 रूपए (वित्तीय वर्ष 2017-18 14,82,77,654) (नोट 21 का संदर्भ लें)।

**(ग) कंपनी ने इंड एएस 115 ''ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व'' के अनुप्रयोग के लिए आशोधित पूर्वव्यापी परिदृश्य का प्रयोग किया है और दिनांक 1 अप्रैल 2018 को प्रतिधारित आमदनी शून्य है।**

**(घ) संविदा शेषः**

| विवरण | 31 मार्च 2019 | 31 मार्च 2018 |
|---|---|---|
| व्यापार प्राप्य (नोट 11.2) | 63,43,74,775 | 38,12,87,981 |
| संविदा परिसंपत्तियां (नोट 11.6) | 2,01,59,283 | 2,01,59,283 |
| संविदा देयताएं (नोट 17) | 97,47,88,297 | 20,47,90,945 |

(i) व्यापार प्राप्य पर ब्याज निर्धारित नहीं किया जाता है और ग्राहकों के प्रोफाइल में शामिल हैं रेल मंत्रालपय, सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम, भारत तथा विदेश में राज्य स्वामित्व वाली कंपनियां। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र

लगभग 15 से 24 महीने है। सामान्य भुगतान शर्तों में शामिल हैं मोबिलाइजेशन अग्रिम, 45 से 60 दिन की ऋण अवधि के लिए मासिक प्रगति भुगतान।

(ii) संविदा परिसंपत्तियों को उस अवधि के लिए स्वीकार किया जाता है, ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं या सेवाओं के लिए विनिमय में कंपनी के अधिकार के प्रतिनिधित्व के लिए सेवाओं का निष्पादन किया गया है। इसमें निर्माण संविदाओं के अंतर्गत ग्राहकों से देय शेष राशियां शामि हैं, जो उस समय उत्पन्न होती हैं जब कंपनी संविदाओं की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करती है, तथापि, राजस्व को इनपुट विधि के अंतर्गत उस अवधि के लिए स्वीकार किया जाता है। पूर्व में संविदा परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार की गई किसी राशि को संलग्न शर्तों को पूरा किए जाने पर व्यापार प्राप्यों के रूप में पुनःवर्गीकृत किया जाता है यथा बिलिंग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक भावी सेवा।

| विवरण | 31 मार्च 2019 | 31 मार्च 2018 |
|---|---|---|
| वर्ष के आरंभ में संविदा परिसंपत्तियां | 2,01,59,283 | 2,53,53,373 |
| वर्ष के अंत में संविदा परिसंपत्तियां | 2,01,59,283 | 2,01,59,283 |

(iii) निर्माण संविदाओं से संबंधित संविदा दायित्व ग्राहकों से देय शेष राशियां है, और ये उस समय उत्पन्न होती हैं जब इनपुट विधि के अंतर्गत विशिष्ट माइलस्टोन भुगतान निर्धारित तिथि को स्वीकृत राजस्व से अधिक हो जाता है और दीर्घकालीन संविदा परियोजनाआं में अग्रिम प्राप्त होता है। अग्रिम रूप में प्राप्त राशि, ग्राहकों द्वारा इनवाइस तैयार किए जाने पर निर्माण अवधि में समायोजित कर दी जाती है।

| विवरण | 31 मार्च 2019 | 31 मार्च 2018 |
|---|---|---|
| वर्ष के आरंभ में संविदा देयताएं | 20,47,90,945 | 3,17,00,131 |
| वर्ष के अंत में संविदा देयताएं | 97,47,88,297 | 20,47,90,945 |

संविदा देयताओं में वृद्धि परियोजनाओं के निष्पादन के कारण है यथा हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग तथा भारतीय भू पोट प्राधिकरण।

### (ड.) अवधि के दौरान स्वीकृत राजस्वः

(i) निम्नलिखित तालिका दर्शाती है कि अग्रानीत संविदा दायित्वों की तुलना में चालू रिपोर्टिंग अवधि में स्वीकृत राजस्व कितना है।

| विवरण | 31 मार्च 2019 | 31 मार्च 2018 |
|---|---|---|
| निर्माण संविदाओं में अग्रिम (संविदा देयताएं) | 10,40,00,000 | 58,35,118 |

(ii) पूर्व वर्षों में संतुष्ट निष्पादन दायित्वों की तुलना में चालू रिपोर्टिंग अवधि में कोई राजस्व स्वीकार नहीं किया गया है।

### (च) असंतुष्ट दीर्घकालीन संविदाएं

निम्नलिखित तालिका दीर्घकालीन निर्माण संविदाओं के परिणामस्वरूप असंतुष्ट निष्पादन दायित्वों को दर्शाती है:

(रु. में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 | 31 मार्च 2018 |
|---|---|---|
| दिनांक 31 मार्च 2019 को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से असंतुष्ट दीर्घकालीन निर्माण संविदाओं के लिए आवंटित संव्यवहार मूल्य की सकल राशि | 7,41,28,39,540 | * |

प्रबंधन आशा करती है कि 31 मार्च 2019 को असंतुष्ट संविदाओं के लिए आवंटित संव्यवहार मूल्य को निम्नानुसार भावी राजस्व के रूप में स्वीकार किया जाए::

(रु. में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 |
|---|---|
| एक वर्ष या कम में | रु. 3,50,48,04,297 |
| एक वर्ष से अधिक और दो वर्ष तक | रु. 3,90,80,35,243 |
| दो वर्ष से अधिक | - |
| **कुल** | **रु. 7,41,28,39,540** |

** उपर प्रकटित राशि में बाधित परिवर्ती राशि शामिल नहीं है।

* इंड एएस 115 में परिवर्तन प्रावधानों के अंतर्गत अनुमेय अनुसार, 31 मार्च 2018 को असंतुष्ट निष्पादन दायित्वों (आंशिक) को आवंटित संव्यवहार मूल्य का प्रकटन नहीं किया गया है।

## 49. संबंधित पक्ष संव्यवहार

क. कंपनी की संपूर्ण इक्विटी शेयर पूंजी उसकी धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के स्वामित्व में है।

ख. संबंधित पक्षों के संबंध और नाम निम्नानुसार हैं :

| विवरण | | संबंधित पक्ष का नाम |
|---|---|---|
| i. घारक कंपनी | | इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड |
| | निदेशक | श्री एम के सिंह |
| | | श्री सुरजीत दत्ता |
| | | श्री ए के गोयल और |
| | | श्री पराग वर्मा |
| ii. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक: | अन्य | अन्यः श्री सी के नायर (सीईओ) (31 जनवरी 2019 को सेवानिवृत्त)<br>श्री राणा प्रताप सिंह (सीईओ) (1 फरवरी 2019 को कार्यभार ग्रहण किया)<br>श्री अनिकेत खेत्रपाल (सीएफओ) (24 जनवरी 2019 को कार्यमुक्त हुए)<br>श्रीमती पूजा चौरसिया (सीएफओ) 25 जनवरी 2019 को कार्यभाग ग्रहण किया<br>सुश्री दीपशिखा गुप्ता, कंपनी सचिव (31 मई 2018 को कार्यमुक्त हुईं)<br>कुमारी मनीषा गोला, कंपनी सचिव, 28 नवंबर 2018 को कार्यभार ग्रहण किया |

ग. प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक निम्नानुसार है :

| विवरण | | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|---|
| क) | अल्पकालीन लाभ | 56,31,942 | 62,33,151 |
| ख) | रोजगार पूर्व लाभ* | 26,71,780 | 30,26,342 |
| ग) | अन्य दीर्घकालन लाभ | | |
| | **कुल** | **83,03,722** | **92,59,493** |

**नोट सं. 36 का संदर्भ लें।**

कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन धारक कंपनी द्वारा की गई है और कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी, और कंपनी सचिव का पारिश्रमिक ऊपर दर्शाया गया है।

घ. संबंधित पक्ष संव्यवहार

| विवरण | संव्यवहार | | बकाया राशि | |
|---|---|---|---|---|
| | 2018-19 | 2017-18 | 2018-19 | 2017-18 |
| प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक (उपर्युक्त ग) | नोट 48(ग) के अनुसार | | 35,000 | 44,000 |
| धारक कंपनी से सेवाओं तथा वस्तुओं की खरीद के प्रति देय राशि | 17,39,736 | 16,10,867 | 0.00 | 0.00 |
| वेतन व मजदूरी, पीएफ अंशदान, यात्रा आदि के रुप में कर्मचारियों को पारिश्रमिक का भुगतान | 2,31,98,956 | 1,03,78,490 | (1,07,38,772)* | (1,01,37,156) |
| धारक कंपनी से राजस्व आय | 1,41,57,326 | 48,16,293 | 1,30,14,219 | 3,91,12,558 |
| धारक कंपनी से ऋण* | 0.00 | (22,92,00,000) | 0.00 | 0.00 |
| धारक कंपनी से लिए गए ऋण पर देय ब्याज | 0.00 | 1,19,16,642 | 0.00 | 0.00 |

*वर्ष के दौरान कंपनी शून्य रुपए का ऋण लिया और शून्य रुपए का पुनःभुगतान किया है।

() धारक कंपनी (इरकॉन) द्वारा किए गए भुगतान को दर्शाता है।

**50.** 31 मार्च 2019 को कंपनी की इन्वेंटरी 36,739 रूपए (31 मार्च 2018 को 33,583 रूपए) है।

**51.** कंपनी ने 31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि के लिए निवल वसूलीयोग्य मूल्य तथा अग्रेणीत लागत के निम्नतर आधार पर वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण द्वारा व्यक्तिगत परिसंपत्तियो के हानिकरण का आकलन किया है। हानिकरण घाटा शून्य (31 मार्च 2018 को शून्य रूपए) है।

**52.** क. इस अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 135 के अनुसार सीएसआर पर कंपनी द्वारा व्यय किए जाने वाली अपेक्षित सकल राशि 18,08,000 रूपए (वित्तीय वर्ष 2017–18 में 12,31,000 रूपए) है।

ख कंपनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर व्यय किए जाने के लिए अपेक्षित 18,08,000 रूपए (वित्तीय वर्ष 2017–18 में 12,31,000 रूपए) में से 14,60,151 रूपए (वित्तीय वर्ष 2017–18 में 12,56,000 रूपए) रूपए खर्च किए हैं।

'किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| विवरण | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|
| वाटर कूलरों और वाटर प्यूरिफायरों की आपूर्ति | शून्य | 12,56,000 |
| शिक्षा संवर्धन | शून्य | शून्य |
| रोजगार विमास प्रशिक्षण व्यय | 5,72,873 | शून्य |
| स्कूलों में सौर पैनलों और कम्प्यूटरों की आपूर्ति | 8,87,278 | शून्य |
| **कुल** | **14,60,151** | **12,56,000** |

**53.** कंपनी द्वारा किए गए किसी दीर्घकालीन संविदाओं पर कंपनी किसी महत्वपूर्ण भावी घाटों को नहीं देखती है, इसलिए, इस संबंध में किसी प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, विचाराधीन अवधि के दौरन किसी डेविएशन संविदाओं में प्रवेश नहीं किया है।

## 54. सेगमेंट रिपोर्टिंग:

प्रचालनिक संगमेंट की रिपोर्टिंग मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धरक को उपलब्ध कराई गई गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप तरीके से की जाती है।

तदनुसार, कंपनी ने परियोजना परामर्श, श्रमशक्ति आपूर्ति, एमएफसी के उपट्टाकरण तथा संयंत्र और मशीनरी को पट्टे पर देने तथा अन्य प्रचालनिक राजस्वों के आधार पर पांच प्रचालनिक रिपोर्टिंग सेगमेंट चिह्नित किए हैं।

परियोजना के भौगोलिक स्थल के आधार पर दो प्रचालनिक सेगमेंट हैं घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय

| विवरण | अंतरराष्ट्रीय | | घरेलू | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018-19 | 2017-18 | 2018-19 | 2017-18 | 2018-19 | 2017-18 |
| **क. टर्नओवर** | | | | | | |
| प्रचालन से राजस्व | 72,285,804.00 | 134,503,637.00 | 634,113,750.00 | 189,047,756.00 | 706,399,554.00 | 323,551,393.00 |
| अन्य आय | 2,073,945.00 | 1,335,413.00 | 55,677,644.00 | 66,297,734.00 | 57,751,589.00 | 67,633,147.00 |
| अंतःसेगमेंट | | | | | | |
| **कुल राजस्व** | **74,359,749.00** | **135,839,050.00** | **689,791,394.00** | **255,345,490.00** | **764,151,143.00** | **391,184,540.00** |
| **ख. परिणाम** | | | | | | |
| प्रावधान पूर्व लाभ, मूल्यह्रास, ब्याज और कर | 34,306,256.00 | 101,235,633.00 | 174,721,654.00 | 141,240,469.00 | 209,027,910.00 | 242,476,102.00 |
| **घटाएँ**–प्रावधान और पश्चलिखित (निवल) | - | - | 5,339,162.00 | 5,901,420.00 | 5,339,162.00 | 5,901,420.00 |
| मूल्यह्रास | 216,641.00 | 3,585,839.00 | 31,033,806.00 | 38,147,143.00 | 31,250,447.00 | 41,732,982.00 |
| ब्याज | - | - | 477,412.00 | 13,778,795.00 | 477,412.00 | 13,778,795.00 |
| **कर पूर्व लाभ** | **34,089,615.00** | **97,649,794.00** | **137,871,274.00** | **83,413,111.00** | **171,960,889.00** | **181,062,905.00** |
| **कर व्यय** | **7,345,903.00** | **24,009,753.00** | **24,356,021.00** | **20,509,293.00** | **31,701,924.00** | **44,519,046.00** |
| **कर पश्चात लाभ** | **26,743,712.00** | **73,640,041.00** | **113,515,128.00** | **62,898,342.00** | **140,258,840.00** | **136,538,383.00** |
| **ग. अन्य सूचना** | | | | | | |
| परिसंपत्तियां | 6,650,502.00 | 40,513,508.00 | 3,181,809,566.00 | 2,032,444,285.00 | 3,188,460,068.00 | 2,072,957,793.00 |
| शामिल स्थिर परि–संपत्तियां (निवल ब्लाक) | 725,865.00 | 542,629.00 | 954,692,176.00 | 985,722,289.00 | 955,418,041.00 | 986,264,918.00 |
| देयताएं | 1,707,681.00 | 422,011.00 | 1,762,964,567.00 | 789,006,802.00 | 1,764,672,248.00 | 789,428,813.00 |
| पूंजीगत व्यय सावधिक परिसंपत्तियों को जोड़कर | 410,022.00 | 792,629.00 | 1,728,408.00 | 2,695,324.00 | 2,138,430.00 | 3,487,953.00 |

परियोजना के भौगोलिक स्थल के आधार पर दो प्रचालनिक सेगमेंट हैं घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय

| विवरण | प्रचालन आय | | सेगमैन्ट परिसम्पतियां | | स्थिर परिसंपतियां जोड़कर | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018-19 | 2017-18 | 2018-19 | 2017-18 | 2018-19 | 2017-18 |
| परामर्श परियोजनाएं | 476,834,925.00 | 155,024,209.00 | 1,618,464,287.00 | 113,443,965.00 | 1,493,318.00 | 542,629.00 |
| जनशक्ति की आपूर्ति | 5,265,659.00 | 4,816,293.00 | 3,008,408.00 | 38,787,561.00 | - | - |
| एमएफसी को उपपट्टे पर देना | 177,857,517.00 | 148,277,654.00 | 1,203,752,316.00 | 1,124,389,613.00 | - | - |
| संयंत्र और मशीनरी को पट्टे पर देना | 8,891,667.00 | - | 314,718,651.00 | 89,950,747.00 | 645,112.00 | 1,727,239.00 |
| अन्य | 37,549,786.00 | 15,433,237.00 | 48,516,406.00 | 706,385,907.00 | - | 1,218,085.00 |
| **कुल** | **706,399,554.00** | **323,551,393.00** | **3,188,460,068.00** | **2,072,957,793.00** | **2,138,430.00** | **3,487,953.00** |

## 55. पूंजी प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य इस प्रकार अपनी पूंजी का प्रबंधन करना है ताकि निरंतर आधार पर अपनी क्षमताओं को सुनिश्चित और सुरक्षित रखा जा सके, जिससे कंपनी शेयरधाराकों अधिकतम रिटर्न और अन्य स्टेकधारको को लाभ प्रदान कर सके।

इसके अतिरिक्त, कंपनी आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन और वित्तीय अपेक्षाओं के आलोक में अपनी पूंजी संरचना की व्यवस्था करती है। दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजी प्रबंधन के उद्देश्यों, नीतियों और प्रक्रियाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है।

## 55. उचित मूल्य मापन

### क. श्रेणी के आधार पर वित्तीय साधन

| विवरण | 31 मार्च 2019 को | | | 31 मार्च 2018 को | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | एफवीटीपीएल | एफवीटीओसीआई | परिशोधित लागत | एफवीटीपीएल | एफवीटी ओसीआई | परिशोधित लागत |
| **वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | | | | |
| (i) व्यापार प्राप्य | - | - | 63,43,74,775.00 | - | - | 38,12,87,981.00 |
| (ii) रोकड एवं रोकड़ समतुल्य | - | - | 73,04,800.00 | - | - | 12,98,74,843.00 |
| (iii) उपर्युक्त (ii) इतर बैंक शेष | - | - | 1,34,32,84,599.00 | - | - | 41,72,05,605.00 |
| (iv) स्टाफ ऋण एवं अग्रिम | | | 13,66,890.00 | | | 5,63,500.00 |
| (v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | - | - | 16,61,58,752.00 | - | - | 7,96,91,555.00 |
| **कुल वित्तीय परिसंपत्तियां** | - | - | **2,15,24,89,816.00** | - | - | **100,86,23,484.00** |
| **वित्तीय देयताएं** | | | | | | |
| (i) ऋण | 0.00 | 0.00 | | | | |
| (ii) व्यापार प्राप्य | - | - | 15,11,26,884.00 | - | - | 1,00,07,606.00 |
| (iii) अन्य वित्तीय देयताएं | - | - | 9,70,68,893.00 | - | - | 5,11,96,653.00 |
| **कुल वित्तीय देयताएं** | - | - | **24,81,95,777.00** | - | - | **6,12,04,259.00** |

### ख. परिसंपत्तियां और देयताएं, जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा गया है जिसके लिए उचित मूल्य का प्रकटन किया गया है।

**उचित मूल्य क्रम**

| विवरण | 31 मार्च 2019 को | | 31 मार्च 2018 को | |
|---|---|---|---|---|
| | वहन मूल्य | उचित मूल्य | वहन मूल्य | उचित मूल्य |
| **वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | | |
| कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम | 4,94,102.00 | - | - | - |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 2,45,90,291.00 | - | 3,81,28,188.00 | - |
| कुल वित्तीय परिसंपत्तियां | 2,50,84,393.00 | - | 3,81,28,188.00 | - |
| **वित्तीय देयताएं** | | | | |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 4,14,19,806.00 | - | 3,50,469.00 | - |
| **कुल वित्तीय देयताएं** | **4,14,19,806.00** | - | **3,50,469.00** | - |

उचित मूल्य के आकलन के लिए निम्नलिखित विधियां और अनुमानों का प्रयोग किया गया था:

i. व्यापार प्राप्यों, व्यापार देय राशियों, रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्यों तथा अन्य अल्पकालीन प्राप्य तथा देय राशियों की वहन राशियों को अल्पावधि प्रकृति के कारण उनके उचित मल्यों पर विचार किया गया है।

ii. दीर्घकालीन वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का मूल्यांकन कंपनी द्वारा मापदंडों जैसे ब्याज दर, विशिष्ट राष्ट्र जोखिम कारक और अन्य जोखिम कारक पर मूल्यांकित किया गया है। इस मूल्यांकन के आधार पर, ऐसे वित्तीय माध्यमों का उचित मूल्य उनकी वहन मूल्यस से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न नहीं हैं।

**उचित मूल्य अनुक्रम**

स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में कोट किया हुआ मूल्य (असमायोजित) हैं।

स्तर 2: लेवल 1 के भीतर शामिल कोट किए हुए मूल्य के अलावा इनपुट जो हैं जो परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए अवलोकनीय हैं, प्रत्यक्ष (अर्थात मूल्य) या अप्रत्यक्ष (मूल्य से उत्पन्न) रूप में।

स्तर 3: परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए इनपुट जो आमेलित किए जाने योग्य बाजार डाटा (गैर अवलोकनीय इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

## 57 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यापार और अन्य देयराशियां शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का प्रमुख उद्देश्य कंपनी के प्रचालन को वित्तपोषित करना है और अपने प्रचालन के सहयोग के लिए गारंटी प्रदान करना है कंपनी के प्रधान वित्तीय परिसंपत्तियों में शामिल हैं व्यापार तथा अन्य प्राप्य राशियां और रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य, जो सीधे उनके प्रचालनों से उत्पन्न होते हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम, नकदी जोखिम का सामना करती है। कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियां उपयुक्त नीतियों तथा प्रक्रियों द्वारा शासित होती हैं और इन वित्तीय जोखिम को कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार चिह्नित, मापित और प्रबंधित किया जाता है। निदेशक मंडल इन सभी जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए इनकी समीक्षा करता है तथा इनके लिए नीतियों का अनुमोदन करता है। इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

### (क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाजार कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत का उचित मूल्य और नकदी प्रवाह में उतार–चढाव होता है। बाजार जोखिम में ब्याज दर जोखिम शामिल है। बाजार जोखिमों से प्रभावित होने वाले वित्तीय लिखत में ऋण तथा उधार, जमा राशियां तथा अन्यस गैर–डैरिवेटिव लिखित शामिल हैं।

### (ख) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाजार कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत का उचित मूल्य और नकदी प्रवाह में उतार चढाव होता है। कंपनी अपने ब्याज जोखिम का प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के आधार पर करती है।

### (ग) ऋण जोखिम

कंपनी के ग्राहक प्रोफाइल में विदेश मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम, गृह मंत्रालय, भारत में राज्य स्वामित्व वाली कंपनियां शामिल हैं। तदनुसार, कंपनी की ग्राहक ऋण जोखिम कम है। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 15 से 24 महीने है। सामान्य भुगतान शर्तों में शामिल हैं मोबिलाइजेशन अग्रिम, 45 से 60 दिन की ऋण अवधि के लिए मासिक प्रगति भुगतान। कुछ मामलों में, प्रतिधारण राशियों को बैंक / निगमित गारंटियों से प्रतिस्थापित किया गया है। कंपनी में उचित ध्यान केन्द्रित करने और वसूली पर बल देने के लिए संगठन के विभिन्न स्तरों पर ओवरड्यू ग्राहक प्राप्य राशियों के लिए विस्तृत समीक्षा तंत्र विद्यमान है।

### व्यापार एवं अन्य प्राप्य राशियां

ऋण जोशिम के प्रति कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेशताओं से प्रभावित है। ग्राहक की जनसांख्यिकी तथा उद्योग और राष्ट्र का स्वतः जोखिम, जिसमें ग्राहक प्रचालन कर रहा है, भी ऋण जोखिम आकलन को प्रभावित करता है।

निम्नलिखित तालिका शीर्ष पांच परियोजनाओं से सृजित राजस्व के संबंध में ब्यौरा प्रस्तुत करता है:

| विवरण | को समाप्त वर्ष हेतु | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च 2019 | 31 मार्च 2018 |
| पांच शीर्ष परियोजनाओं से राजस्व | | |
| हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय | 32,95,76,113 | - |
| एमएफसी का उपपट्टा | 17,78,57,517 | 14,82,77,654 |
| म्यामार में सड़क व पुल परियोजनाओं का निर्माण | 6,71,74,033 | 12,96,87,344 |
| विज्ञान एवं तकनीकी विभाग | 4,44,81,828 | - |
| स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सीएसआर परियोजना | 3,72,14,286 | 1,53,66,962 |

### ऋण जोखिम का खतरा

| विवरण | 31 मार्च 2019 | 31 मार्च 2018 |
|---|---|---|
| वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए जीवनकाल संभावित ऋण घाटों (एलईसीएल) के प्रयोग द्वारा स्वीकृति का मापन किया जाता है | | |
| गैर चालू निवेश | - | - |
| गैर चालू ऋण | 4,94,102 | - |
| अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपित्तियां | 2,45,90,291 | 3,81,28,188 |
| चालू निवेश | - | - |
| रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य | 73,04,800 | 12,98,74,843 |
| अन्य बैंक शेष | 1,34,32,84,599 | 41,72,05,605 |
| चालू ऋण | 8,72,788 | 5,63,500 |
| अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां | 14,15,68,461 | 4,15,63,367 |
| **वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए स्वीकृति को सरलीकृत परिदृश्य के प्रयोग द्वारा मापा जाता है** | | |
| व्यापार प्राप्य | 63,43,74,775 | 38,12,87,981 |
| संविदा परिसंपत्तियां | 2,01,59,283 | 2,01,59,283 |

**सरलीकृत परिदृश्य के प्रयोग द्वारा घाटे भत्ते में परिवर्तन के मापन का सार**

| विवरण | 31 मार्च 2019 | 31 मार्च 2018 |
|---|---|---|
| आरंभिक भत्ता | | |
| वर्ष के दौरान प्रावधान | | |
| वर्ष के दौरान उपयोग | | |
| बट्ट खाता राशि | | |
| समापन भत्ता | - | - |

वर्ष के दौरान कंपनी ने शून्य रूपए (31 मार्च 2019 को शून्य रूप) के घाटा भत्ते के लिए को स्वीकार किया है।

**जीवनकाल संभावित ऋण घाटा (एलईसीएल) परिदृश्य के प्रयोग द्वारा निर्धारित घाटा भत्ते में परिवर्तन का सार**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2019 | 31 मार्च 2018 |
|---|---|---|
| आरंभिक भत्ता | | |
| वर्ष के दौरान प्रावधान | | |
| वर्ष के दौरान उपयोग | | |
| बट्ट खाता राशि | | |
| (विनिमय लाभ)/हानि | | |
| समापन भत्ता | - | - |

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कोई अनुमान तकनीकों या पूर्वानुमानों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने शून्य रूपए (31 मार्च 2018 को शून्य रूपए) के घाटे भत्ते को स्वीकार किया है।

### (घ) वित्तीय लिखत एवं रोकड़ जमा राशियां

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ शेष राशियों के ऋण जोखिमों का प्रबंधन कंपनी की नीति के अनुसार किया जाता है। अतिरेक राशियों का निवेश प्रति पक्ष से प्राप्त वित्तीय कोटेशनों के आधार पर प्रति पक्ष की स्वीकृति से ही किया जाता हैं।

### (ड.) नकदी जोखिम प्रबंधन

नकदी जोखिम वह जोखिम होता है जो कंपनी इनके देय होने पर अपनी वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं होती है। कंपनी यथासंभव स्तर तक यह सुनिश्चित करके अपने नकदी जोखिम का प्रबंधन करती है कि उसके पास सदैव पर्याप्त नकदी उपलब्ध हो, जब वह देय होती है।

कंपनी का निगमित कोष विभाग नकदी, वित्तपोषण और निपटान प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, ऐसे जोखिमों से संबंधित प्रक्रियाओं और नीतियों की निगरानी वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा की जाती है।

कंपनी की कार्यशील पूंजी स्थिति निम्नानुसार है:

| विवरण | 31 मार्च 2019 को | 31 मार्च 2018 को |
|---|---|---|
| रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य | 73,04,800.00 | 12,98,74,843.00 |
| बैंक शेष | 1,34,32,84,599 | 41,72,05,605.00 |
| इंवेंटरियां | 36,739.00 | 33,583.00 |
| ऋण और अग्रिम | 8,72,788.00 | 5,63,500.00 |
| व्यापार प्राप्य | 63,43,74,775.00 | 38,12,87,981.00 |
| अन्य चालू परिसंपत्तियां | 81,19,861.00 | 31,14,373.00 |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 14,15,68,461.00 | 4,15,63,367.00 |
| **कुल परिसंपत्तियां (क)** | **2,13,55,62,024.00** | **97,36,43,252.00** |
| घटाए: | | |
| ऋण | 0.00 | 0.00 |
| वित्तीय देयताएं | 20,67,75,970.00 | 6,08,53,790.00 |
| अन्य चालू देयताएं | 1,01,67,67,637.00 | 22,82,19,857.00 |
| **कुल देयताएं (ख)** | **1,22,35,43,607.00** | **28,90,73,647.00** |
| **कार्यशील पूंजी (क–ख)** | **91,20,18,417.00** | **68,45,69,605.00** |

नीचे प्रस्तुत तालिका दिनांक 31 मार्च 2019 को महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं की संविदागत परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरा प्रस्तुत करता है।

| विवरण | 31 मार्च 2019 को | | |
|---|---|---|---|
| | एक वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2 वर्ष या अधिक |
| उधार | - | - | - |
| व्यापार प्राप्य | 14,86,40,897 | 2,59,264 | 22,26,723 |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 5,56,49,086 | 4,06,17,056 | 8,02,750 |

| विवरण | 31 मार्च 2018 को | | |
|---|---|---|---|
| | एक वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2 वर्ष या अधिक |
| उधार | - | - | - |
| व्यापार प्राप्य | 1,00,07,606 | - | - |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 5,08,46,184 | - | 3,50,469 |

## 58. अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य से संबंधित प्रमुख अनुमान, तथा अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत निम्नानुसार हैं, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों और देयताओं के वहन मूल्य को महत्वपूर्ण रूप से समायोजित करने के कारण व्यापक जोखिम हो सकता है।

**क उचित मूल्यांकन मापन और मूल्यांकन प्रक्रिया**

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयाताओं के उचित मूल्यों का मापन डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों के प्रयोग द्वारा किया जाता है। इन विधियों के लिए इनपुट, जहां संभव हो, अवलोकनीय बाजारों से प्राप्त किया जाता है, किन्तु जहां यह व्यवहारिक नहीं है, उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए विवेक के स्तर की आवश्यकता होती है। निर्णयों में नकदी जोखिम, ऋण जोखिम तथा उतार–चढाव जैसे इनपुटों पर विचार को शामिल किया जाता है। इन कारकों के संबंध में अनुमानों में परिवर्तन वित्तीय लिखतों के प्रस्तुत उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं।

**ख. कर**

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है कि यह संभावना हो कि करयोग्य लाभ उपलब्ध हो जिसके प्रति घाटों को उपयोग किया जा सके और आस्थगित कर परिसंपत्ति की राशि के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णयों की आवश्यकता है जिन्हें भरावी कर नियोजन नीतियों के साथ भावी करयोग्य लाभ के स्तर औरा संभावित समय के आधार पर स्वीकार किया जा सके।

**ग. राजस्व स्वीकृति**

ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व को उस समय स्वीकार किया जाता है जब वस्तुओं और सेवाओं के नियंत्रण को उस राशि पर ग्राहकों को अंतरित किया जाता है जिस पर कंपनी इन वस्तुओं और सेवाओं हेतु विनिमय के लिए पात्रता की उम्मीद काती है।

ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व को उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है, जिस स्तर तक यह संभावना हो कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और राजस्व और लागत, यदि लागू हो, को विश्वसनीय रूप से आंका जा सके।

**59.** रिपोर्टिंग तिथि के पश्चात होने वाली घटनाएं – तुलनपत्र की तिथि के पश्चात होने वाली घटनाओं को संज्ञान में लिया गया है।

**60.** कतिपय पूर्व अवधि राशियों को चालू अवधि प्रस्तुतीकरण के अनुरूप करने के लिए पुनःवर्गीकृत किया गया है। इन पुनर्वर्गीकरणों का प्रचालनों के प्रस्तुत परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं है।

**61. वित्तीय विवरणों का अनुमोदन**

दिनांक 21 मई 2019 को वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृति हेतु जारी किया गया है।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ह/–<br>**सीए तरूण कपूर**<br>**(साझेदार)**<br>**स.सं. 095949** | ह/–<br>**पूजा चौरसिया**<br>**सी.एफ.ओ** | ह/–<br>**राणा प्रदाप सिंह**<br>**सी.ई.ओ** | ह/–<br>**मनीषा गोला**<br>**कंपनी सचिव** |
| | ह/–<br>**सुरजीत दत्ता**<br>**निदेशक**<br>**(डीआईएन– 06687032)** | ह/–<br>**एम के सिंह**<br>**अध्यक्ष**<br>**(डीआईएन–06687032)** | |
| **स्थान : नई दिल्ली**<br>**दिनांक : 21-05-2019** | | | |

# लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

# संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट

**इरकॉन इंन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड,**
**नई दिल्ली**
**के सदस्यों हेतु**

## स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षण रिपोर्ट

हमने इरकॉन इंन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड (''कंपनी) के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र और इस वर्ष की समाप्ति के लिए लाभ और हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित), इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल हैं।

दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम (''अधिनियम'') की अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के परिणास्वरूप इस रिपोर्ट को संशोधित किया गया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दिनांक 23.05.2019 की हमारी पूर्ववर्ती रिपोर्ट को अधिक्रमित करती है।

### मत

हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति करते हैं जो 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कम्पनी कार्यों के संदर्भ में कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015, यथासंशोधित, के साथ पठनीय अधिनियम के अनुच्छेद–133 तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों से संगत हैं तथा अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं तथा जिनसे इस तिथि को समाप्त वर्ष के अनुसार लाभ और हानि तथा कुल वृहत आय, इक्विटी परिवर्तन तथा रोकड़ प्रवाह की स्थिति प्रस्तुत होती हैं।

### मत का आधार

हमने अधिनियम के अनुच्छेद 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट में स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व खंड में किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे लेखा परीक्षण से सम्बद्ध स्वतंत्र अपेक्षाओं के साथ हमारा लेखा परीक्षण स्वतंत्र अपेक्षाओं के अनुरूप है तथा हमारे द्वारा इन आचार अपेक्षाओं एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने उत्तरदायित्वों का पालन किया है। हम यह मानना है कि स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारा लेखा परीक्षा मत प्रस्तुत करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

## स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन के दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों, जो कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक), यथा संशोधित के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद–133, के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के कार्यकलापों (वित्तीय स्थिति), लाभ हानि (अन्य वृहत आय सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड़ प्रवाह तथा इक्विटी परिवर्तन के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अनुच्छेद 134(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डो की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और स्टेंडएलोन एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

## लेखापरीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य वित्तीय विवरणों को तथ्यात्मक दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके अपने मत को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्च स्तर कहा जा सकता है परन्तु इसमें किए गए लेखा परीक्षण के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसए प्रक्रिया के अंतर्गत किए गए लेखा परीक्षण से तथ्यात्मक दुर्विवरण, यदि कोई है, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी। तथ्यात्मक दुर्विववरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है तथा इसे तथ्यात्मक तभी माना जा सकता है जब इनसे अलग अलग अथवा समस्त रूप में इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

लेखांकन मानकों के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें व्यावसायिक तौर पर संशयात्मक दृष्टिकोण के साथव्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैं:–

- वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों,का संज्ञान तथा मूल्यांकन करना तथा ऐसे जोखिमों पर प्रभावीय लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का स्वरूप तैयार लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखा परीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हो। पता न लगाई जा सकी किसी जालसाजी से किए गए तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिम परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां साठ गांठ, धोखाधड़ी, किन्हीं उद्देश्यों से की गई चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।
- परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखा परीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(3)(प) के अंतर्गत हमारा दायित्व अपने इस मत की अभिव्यक्ति करना भी है कि क्या कम्पनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सिस्टम स्थापित किया गया है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों पर यह सिस्टम प्रभावी है अथवा नहीं है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता एवं सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखा परीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या स्थितियां अथवा परिस्थितियां है जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे गोइंग कंसर्न के लिए कम्पनी की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संबद्ध प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने तथा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा है। हमारे द्वारा किया गया निश्चय हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कम्पनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।
- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या वित्तीय विवरणों में लेन देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं।

हम, अन्य मामलों के साथ साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्य क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सारणी एवं लेखा परीक्षण के निष्कर्षो और साथ ही हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

हमारे द्वारा शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को लेखा परीक्षा स्वतंत्रता से संबद्ध आचार अपेक्षाओं के संबंध में हमारे द्वारा समेकित विवरण भी प्रस्तुत किए गए हैं तथा हमारी लेखा परीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हो, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबंधता एवं अन्य मामलों का सम्प्रेषण भी उन्हें किया गया है।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को सम्प्रेषित मामलों में से हमने उन मामलों का निर्धारण किया है चालू अवधि के स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के अत्यधिक महत्वपूर्ण थे तथा तदनुसार जो प्रमुख लेखापरीक्षा मामले थे। अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में हमने उन मामलों का वर्णन किया है जो विधि अथवा विनियमों के अंतर्गत ऐसे मामलों के सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं अथवा जहां, अत्यधिक विरल परिस्थितियों में, हमारे द्वारा किन्हीं परिणामों की संभावना के कारण किसी मामले की अभिव्यक्ति न करने का निर्धारण किया गया है क्योंकि ऐसी अभिव्यक्ति किए जाने से सार्वजनिक हितों पर औचित्यपरक रूप में काफी प्रभाव हो सकता है।

## अन्य मामले

हम दिल्ली तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों के लिए वस्तु एंव सेवा कर के रिटर्नों में प्रस्तुत आंकडों के मेल न खाने की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं और यह देयता दावित अल्प ऋण और प्रकट अल्प देयताओं के कारण उत्पन्न हुई है।

इस विशय के संबंध में हमारा पत आशोधित नहीं है।

## अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम की धारा 143 (11) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा अपेक्षित उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में यथा लागू विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण हम संलग्नक–क के रूप में दे रहे हैं।

2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143 के उप अनुच्छेद (11) की शर्तों के अनुसार जांच किए जाने वाले क्षेत्रों को दर्शाते हुए निदेश जारी किए हैं।

3. अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) में की गई अपेक्षाओं के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

   (क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं

   (ख) हमारे मतानुसार, विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी द्वारा लेखों की उचित बहियों का अनुरक्षण किया गया है जैसा कि अभी तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत हुआ है।

   (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, लाभ–हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

   (घ) हमारे मतानुसार, उपयुक्त स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम–7 के साथ पठनीय अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) से संगत हैं।

   (ड.) दिनांक 31 मार्च 2019 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड पर लिए गए, कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) की शर्तों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।

(च) कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के उपर वित्तीय रिपोर्टिंग की उपयुक्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक कुशलता के संबंध में अनुबंध ग में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

(छ) हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में:

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है –स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण के नोट सं. 30 का संदर्भ लें;

ii. कंपनी ने लागू नियमों के अनुसार प्रावधान किए हैं, और डैरिवेटिव संविदाओं सहित कोई दीर्घकालीन संविदाएं नहीं है जिनके लिए कोई महत्वपूर्ण अप्रत्याशित घाटे हुए हैं।

iii. वर्ष के दौरान कंपनी के मामले में ऐसा कोई अवसर नहीं आया है जहां है निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में कोई राशि हस्तांतरित की गई हो। ऐसी राशि के अंतरण में विलंब का कोई प्रश्न नहीं उठता।

**कृते कपूर गोयल एंड कंपनी पंजीकरण सं.:001370एन**
**सनदी लेखाकार**

ह/–
**सीए तरूण कपूर (साझेदार)**
**सदस्यता संख्या : 095949**

**स्थान : नई दिल्ली**
**दिनांक : 24/06/2019**

अनुबंध–क

# दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 (सीएआरओ 2016)

**सेवा में,**

**सदस्य, इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड**

**(i) स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में**

(क) कम्पनी ने उचित अभिलेखों का रखरखाव किया है जिनसे मात्रात्मक विवरणों और उसकी स्थिति का पता चलता है।

(ख) हमें उल्लेख किए अनुसार, कंपनी की प्रकिया के अनुसार, युक्तिसंगत अंतराल पर चरणबद्ध सत्यापन कार्यकम मे प्रबंधन द्वारा स्थिर परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है, जो हमारी राय में कम्पनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा किया जाने वाला नियमित सत्यापन उचित है। इस प्रकार के सत्यापन में कोई विसंगति नहीं पाई गई है।

(ग) अचल परिसंपत्तियों का टाइटल डीड कंपनी के नाम पर है।

**(ii) इन्वेंटरियों से संबंधित**

हमें उल्लेख किए अनुसार, उपभोज्य और स्टेशनरी के इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान युक्तिसंगत अंतराल पर किया जाता है।

**(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुपालन**

प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के अनुसार कम्पनी अधिनियम की धारा–189 के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर में किसी कम्पनी, फर्म, लिमिटेड देयता साझेदारियों या अन्य पक्षों को किसी प्रकार का रक्षित या अरक्षित ऋण प्रदान नहीं किया गया है। इसलिए आदेश के पैरा 4 के खंड (iii) (क), (iii) (ख) तथा (iii) (ग) कम्पनी पर लागू नहीं होती।

**(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के अंतर्गत अनुपालन**

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के अंतर्गत ऋण, निवेश, गारंटियों और प्रतिभूतियों के संबंध में प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

**(v) जमाराशियों को स्वीकार करते समय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 का अनुपालन**

हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 तक तथा अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियमों, जहां लागू हो, के प्रावधनों या किसी अन्य संगत प्रावधानों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के उल्लंघन में कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं। कंपनी विधि बोर्ड या राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य न्यायालय या अधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

**(vi) लागत रिकॉर्ड का अनुरक्षण**

हमें प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि, केन्द्रीय सरकार ने कंपनी के उत्पादों के लि कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद–148 (1) के अंतर्गत लागत रिकार्ड का अनुरक्षण निर्धारित नहीं किया गया है।

### (vii) सांविधिक देय राशियों को जमा कराना

क) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवाकर, सीमाशुल्क, मूल्य संवर्धन कर, वस्तु एवं सेवाकर तथा अन्य सामग्रीगत सांविधिक देय सहित अविवादित सांविधिक देय राशियों के संबंध में लेखा बिहयों में कटौती की गई / संचित राशियों को सामान्य रूप से नियमित आधार पर कंपनी द्वारा सांविधिक प्राधिकरणों को जमा कराया गया है और छह माह से अधिक की अवधि के लिए कोई भी बकाया राशि 31 मार्च 2019 को अविवादित देयों के रूप में शेष नहीं है, केवल 33724 रूपए तथा 88617 रूपए के संबंध में क्रमश हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए श्रम उपकर को छोड़कर।

ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार भविष्य निधि, आयकर बिक्रीकर, सम्पदाकर, सेवाकर, सीमाशुल्क, मूल्य संवर्धन कर, वस्तु एवं सेवाकर, उपकर तथा अन्य सामग्रीगत सांविधिक देय के संबंध में नीचे उल्लिखित को छोड़कर इनके देय होने की तिथि से छह माह से अधिक की अवधि के लिए कोई अविवादित देय नहीं है :

**बिंदु सं : 7(ख) का प्रकटन**

| निम्न से संबंधित | प्राधिकरण जहां लंबित है | आकलन वर्ष | विवादित राशि |
|---|---|---|---|
| आयकर अधिनियम, 1961, धारा 271(1)(ग) के अंतर्गत दंड | आय आयुक्त (अपील) | 2014-15 | 51441170 |
| आयकर अधिनियम, 1961, धारा 143(3) के अंतर्गत दंड | आय आयुक्त (अपील) | 2015-16 | 101300840 |

### (viii) ऋणों और उधारों का पुनर्भुगतान

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंकों की देय राश्यिों के भुगतान में सिकी प्रकार की चूक नहीं की है। वर्ष के दौरान कंपनी का किसी वित्त संस्था, बैंक या डिबेंचर धारकों के प्रति कोई देय राशि लंबित नहीं है।

### (ix) पब्लिक ऑफर या दीर्घकालीन ऋण द्वारा एकत्र धनराशि का उपयोग

कंपनी ने आरंभिक पब्लिक ऑफर या भावी पब्लिक ऑफर (ऋण लिखितों सहित) तथा दीर्घकालीन ऋणों के माध्यम से कोई धनराशि एकत्र नहीं की है। इसलिए यह खंड लागू नहीं है।

### (x) वर्ष के दौरान जालसाजी कर रिपोर्टिंग

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर तथा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर वर्ष के दौरान कोई जालसाली नोटिस या रिपोर्ट नहीं की गई है।

### (xi) प्रबंधकीय पारिश्रमिक

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधानों द्वारा अनिवार्य अपेक्षित अनुमोदनों के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान किया है।

### (xii) निवल स्वामित्व निधि व जमाराशियों के अनुपात के संबंध में निधि कंपनी द्वारा अनुपालन

हमारे पास उपलब्ध सूचना और रिकार्डों के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है।

**(xiii) कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 177 तथा 188 के संबंध में संबंधित पक्ष अनुपालन**

जी हां, संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी संव्यवहार अधिनियम के खंड 177 तथा 188 के अनुपालन में है, जहां लागू हो और उसका ब्यौरा लागू लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित अनुसार, अपेक्षित ब्यौरों को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

**(xiv) शेयरों और डिबैंचरों के निजी प्लेसमेंट के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 42 के अंतर्गत अनुपालन**

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी के शेयरों या परिवर्ती डिबैंचरों के निजी प्लेसमेट का कोई प्रेफरेंशियल आवंटन नहीं किया।

**(xv) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के अंतर्गत अनुपालन**

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनके संबंधित किसी व्यक्ति के साथ कोई गैर–रोकड़ संव्यवहार नहीं किया है।

**(xvi) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के खंड 45–1क के अंतर्गत पंजीकरण की अपेक्षा**

कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के खंड 45–1क के अंतर्गत पंजीकरण की अपेक्षा नहीं है और तदनुसार, इस आदेश का पैरा 3 (xvi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

**कृते कपूर गोयल एंड कंपनी पंजीकरण सं.:001370एन**
**सनदी लेखाकार**

ह/–
**सीए तरूण कपूर**
**(साझेदार)**
**सदस्यता संख्या : 095949**

**स्थान : नई दिल्ली**
**दिनांक : 24/06/2019**

अनुबंध–ख

## अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार यथपेक्षित हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं कि:

| क्र.सं. | विवरण | लेखापरीक्षा के उत्तर |
|---|---|---|
| (i) | क्या समूह में सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने व्यवस्था स्थापित की गई है? यदि हां, तो लेखांकन संव्यवहारों को बाह्य सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से की जाने वाली प्रक्रिया से लेखों के समेकन में होने वाली कठिनाईयों तथा वित्तीय कठिनाईयों, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें। | जी हां। कंपनी के पास सभी लेखांकन संव्यवहारों के निष्पादन हेतु तथा वित्तीय लेखों को तैयार करने के लिए टैली प्रणाली विद्यमान है। कोई भी लेखांकन संव्यवहार आईटी प्रणाली से बाहर नहीं किया जाता है। |
| | क्या किसी विद्यमान ऋण अथवा किसी ऋणदाता द्वारा समूह को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में समूह द्वारा ऋण अदायगी न किए जाने के कारण ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना अथवा छूट/बट्टा किए जाने की प्रक्रिया की गई है? यदि हां, तो इससे संबंधित किसी प्रकार की वित्तीय बाध्यताएं हों तो उसका विवरण प्रस्तुत करें। | वर्ष के दौरान, ऋण के पुनर्भुगतान की कंपनी की अक्षमता के कारण क्षेत्र में देनदारों द्वारा कर्ज/ऋणों/ब्याज आदि में छूट प्रदान करने/बट्टे खाता डालने या पुनर्निधारण का कोई मामलन विद्यमान नहीं है। |
| | क्या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र / राज्य एजेंसियों से प्राप्त / प्राप्य से प्राप्य निधियों का उचित लेखा रखा गया है/ नियमों एवं शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया है? व्यतिक्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें। | वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान किसी विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत किसी केन्द्रीय या राज्य एजेंसी से कोई निधि प्राप्त नहीं की गई है/प्राप्य नहीं है। |

**कृते कपूर गोयल एंड कंपनी**
**सनदी लेखाकार**
**पंजीकरण सं.:001370एन**

**ह/–**
**सीए तरूण कपूर**
**(साझेदार)**
**सदस्यता संख्या : 095949**

# 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड की समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के ''अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट'' शीर्षक के अंतर्गत पैरा 3(च) में संदर्भित स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का ''अनुबंध–ग''।

**कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') के खंड 143 के उप खंड 3 के खंड (प) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।**

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2019 को इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

**आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व**

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं – कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और खामियों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रूप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं।

**लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व**

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधर पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट (''दिशानिर्देश नोट'')के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं – वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मौजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहै जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

## वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1)उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्यौरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रूप से प्रदर्शित करते हैं, (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रूप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं, और (3)कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

## वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, त्रुटि और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

## अर्हत मत

हमारे मतानुसार, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सभी सामग्रीगत पहलुओं में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अनुरक्षित किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2018 से कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

**कृते कपूर गोयल एंड कंपनी**
**सनदी लेखाकार**
**एफआरएन: 001370एन**

ह/–
**सीए तरूण कपूर**
**(साझेदार)**
**सदस्यता संख्या : 095949**

**स्थान : नई दिल्ली**
**दिनांक 24/06/2019**

# भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

# 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत स्वतंत्र लेखापरीक्षण तथा आश्वासन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143(10) के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनाँक 21.05.2019 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों पर पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों व कम्पनी के कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जो अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक प्रश्न प्रस्तुत करे।

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**
**के निमित्त और उनकी ओर से**

**ह/०**
**(बी.आर.मंडल)**
**प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक,**
**रेलवे वाणिज्यिक, नई दिल्ली**

**स्थान : नई दिल्ली**
**दिनांकः 2 अगस्त 2019**

INFRA & SERVICES

# इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड

(इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)


सी-4, जिला केन्द्र, साकेत, नई दिल्ली-110017, इंडिया

फोन: +91-29565666, फैक्स: +91-11-126854000, 265522000

ईमेल: info@irconsil.com । वेब: www.irconisl.com